



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05102026-276786
CG-DL-E-05102026-276786

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 291]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 28, 2026/आश्विन 6, 1948

No. 291]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 28, 2026/ASVINA 6, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2026

मामला सं.-एडी (ओआई)-35/2025

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित मेलामाइन के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच।

क. मामले की पृष्ठभूमि

फा. सं. 6/40/2025-डीजीटीआर - समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' भी कहा गया है) और उसकी समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "पाटनरोधी नियमावली" अथवा "नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

1. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" कहा गया है) को गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (जीएसएफसी) (जिसे इसके बाद "आवेदक" या "घरेलू उद्योग" कहा गया है) से चीन जन.गण.(जिसे इसके बाद "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित मेलामाइन (जिसे इसके बाद "संबद्ध सामान" या "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने की मांग का एक आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है।
2. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर प्राधिकारी ने संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने और पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाए और घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार संबद्ध जांच शुरू करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 6/40/2025-डीजीटीआर दिनांक 29 सितंबर 2025 द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ख. प्रक्रिया

3. जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

3.1 जांच की शुरुआत

- i. नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरू करने से पहले संबद्ध देश की सरकार को भारत में उनके दूतावास के माध्यम से वर्तमान पाटनरोधी आवेदन-पत्र की प्राप्ति के संबंध में अधिसूचित किया गया था।
- ii. नियम 6(2) के अनुसार, आवेदन-पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, भारत में संबद्ध सामानों के ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति साझा करते हुए जांच की शुरुआत की शुरुआत के संबंध में सूचित किया गया था।

3.2 जांच की अवधि और क्षति अवधि

- i. जैसा कि अधिसूचना में उल्लेख किया गया है, जांच की अवधि (जांच की अवधि) 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक मानी गई थी। क्षति की अवधि वर्ष

2021-22, 2022-23, 2023-24 और जांच की अवधि शामिल करने के लिए निर्धारित की गई थी।

3.3 आयात आंकड़े

- i. क्षति की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के लेनदेन-वार आयात आंकड़े प्राप्त करने के लिए डीजी सिस्टम से अनुरोध किया गया था। आंकड़े प्राप्त हो गए थे और लेनदेनों की उचित जांच के बाद आवश्यक विश्लेषण के लिए उन पर भरोसा किया गया है। डीजी सिस्टम के लेनदेन-वार आंकड़ों के आधार पर आयातों की मात्रा और मूल्य पर विचार किया गया है।

3.4 आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर का परिचालन

- i. नियम 6(3) के अनुसार, आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति संबद्ध देश की सरकार को उनके दूतावास के माध्यम से, संबद्ध देश के संबद्ध आयातों के ज्ञात निर्यातकों, आवेदन-पत्र की प्रति के लिए लिखित में अनुरोध करने वाले अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई थी।
- ii. प्राधिकारी ने संबद्ध देश की सरकार को भारत में उनके दूतावास के माध्यम से प्रश्नावली भेजी। संबद्ध देश की सरकार से अनुरोध किया गया था कि वह उनके देश में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों को अधिसूचना और प्रश्नावली भेजें और उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।

3.5 भारत में संबद्ध देश के विचाराधीन उत्पाद के निर्यातकों और प्रयोक्ताओं/आयातकों द्वारा सूचना और प्रतिभागिता

- i. नियम 6(4) के अनुसार इस जांच के लिए सामान्य मूल्य और निवल निर्यात कीमत के संबंध में सूचना मंगाने के लिए निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी गई थी। चीन के उत्पादकों को, यदि वे बाजार अर्थव्यवस्था के स्तर का दावा करने का इरादा रखते हैं, तो एमईटी प्रश्नावली पूरी करने के लिए कहा गया था।

क्र.सं.	उत्पादक/ निर्यातक
1	अनहुई जिन्हे इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड
2	चेंगदू यूलॉग केमिकल कंपनी लिमिटेड

3	फोशान कैसिनो बिल्डिंग मटीरियल कंपनी लिमिटेड
4	गोल्डन एलिफेंट केमिकल कंपनी लिमिटेड
5	हेनान होंगये टेक्नोलॉजिकल केमिकल कंपनी लिमिटेड
6	हेनान शिनलियानशिन इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
7	हेनान हार्वेस्ट इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड
8	होलिटेक टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
9	इनर मंगोलिया इहजुकेम इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड
10	जियानफेंग केमिकल्स कंपनी लिमिटेड
11	लुक्सी केमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड
12	शानदोंग हुलू हेंगशेंग केमिकल कंपनी लिमिटेड
13	सिचुआन केमिकल वर्क्स कंपनी लिमिटेड
14	सिचुआन गोल्डन-एलिफेंट सिंसियरिटी केमिकल कंपनी लिमिटेड
15	सिचुआन मेइफेंग केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
16	तियानजिन काइवेई केमिकल कंपनी लिमिटेड
17	उरुमकी पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड
18	वेइफांग ताइनुओ केमिकल कंपनी लिमिटेड
19	यांगमेई फेंगक्सी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री (ग्रुप) कंपनी लिमिटेड
20	यिंगकोउ तियानलुआन एलबोरेट केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड

- II. संबद्ध देश की सरकार को भारत में उनके दूतावास के माध्यम से निर्यातक प्रश्नावली भी भेजी गई थी। संबद्ध देश की सरकार से अनुरोध किया गया था कि वह संबद्ध देश में संबद्ध सामानों के उत्पादकों/निर्यातकों को जांच शुरुआत अधिसूचना और निर्यातक प्रश्नावली भेजें और उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।

- III. उपरोक्त के उत्तर में, संबद्ध देश के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने उत्तर दिया है और निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है:

क्र.सं.	उत्पादक/निर्यातक
1	ब्रदर्स विंग इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
2	गोल्डन एलिफेंट इंटरनेशनल सप्लाय चैन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
3	हार्वेस्ट इंटरनेशनल बिज़नेस लिमिटेड
4	हेनान शिनलियानशिन इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
5	हुआकियांग केमिकल ग्रुप स्टॉक कंपनी लिमिटेड
6	हुबेई यिहुआ इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
7	शानडोंग होंगशेंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड
8	सिचुआन गोल्डन-एलिफेंट सिन्सियरिटी केमिकल कंपनी लिमिटेड
9	वेइफांग चांगरुन केमिकल कंपनी लिमिटेड
10	शिनजी जिउली केमिकल कंपनी लिमिटेड
11	शिनजी जिउयुआन केमिकल कंपनी लिमिटेड
12	शिनजियांग जिनजियांग केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
13	शिनजियांग शिनलियानशिन एनर्जी केमिकल कंपनी लिमिटेड
14	शिनजियांग यिहुआ केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
15	यिहुआ (शिनजियांग) मैटीरियल ट्रेड कंपनी लिमिटेड
16	शानडोंग हुआलू-हेंगशेंग केमिकल कंपनी लिमिटेड
17	सिचुआन किंग'आन मटीरियल्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड

- iv. नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में विचाराधीन उत्पाद के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावली भेजी गई थी।

क्र.सं.	आयातक/प्रयोक्ता
1	अग्रवाल लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
2	अल्फा आइका (I) लिमिटेड
3	बालाजी एक्शन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड
4	ब्लूम डेकोर लिमिटेड
5	इकोबोर्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
6	एक्सिम कॉर्प
7	ग्रीनप्लाइ इंडस्ट्रीज लिमिटेड
8	जीवीके पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
9	हेज़ल मर्केटाइल लिमिटेड
10	एचईएफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
11	किशोर ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
12	मंगलम टिम्बर प्रोडक्ट्स लिमिटेड
13	मेघदूत लैमिनाट प्राइवेट लिमिटेड
14	मेरिनो इंडस्ट्रीज लिमिटेड
15	मिल्टन लैमिनेट्स लिमिटेड
16	पीपीजी एशियन पेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
17	रुशील डेकोर लिमिटेड
18	संदीप ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
19	स्टाइलम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
20	सुंडेक इंडिया लिमिटेड
21	सूर्या विकास प्लाईवुड प्राइवेट लिमिटेड
22	द बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कारपोरेशन

23	वर्गो इंडस्ट्रीज़
----	-------------------

- v. उपरोक्त के प्रत्युत्तर में, भारत के निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने उत्तर दिया है और आयातक/प्रयोक्ता प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है:

क्र.सं.	आयातक/प्रयोक्ता
1	मेरिनो इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड
2	सेंचुरी प्लाईबोर्ड (इंडिया) लिमिटेड
3	ग्रीनलाम लैमिनेट्स लिमिटेड
4	वर्गो लैमिनेट्स लिमिटेड
5	प्रिस्टीन मेलामाइन एलएलपी

- vi. संदीप ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने भी वर्तमान जांच में कानूनी अनुरोध किए हैं। आयातक ने कोई उत्तर दायर नहीं किया है।
- vii. इंडियन लैमिनेट्स मैन्युफैचरर्स एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ इंडियन प्लाईवुड एंड पैनल इंडस्ट्री द्वारा भी अनुरोध किए गए हैं। इन जांच परिणामों में इन अनुरोधों पर विचार किया गया है।

3.6 पंजीकृत हितबद्ध पक्षकार

- i. निर्धारित समय सीमा के भीतर खुद को पंजीकृत करने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। सभी पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया गया कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को वर्तमान कार्यवाही में अपने सभी अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर परिचालित करें।

3.7 आर्थिक हित प्रश्नावली

- i. सभी ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, आयातकों, और घरेलू उद्योग को एक आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की गई थी। आर्थिक हित प्रश्नावली प्रशासनिक लाइन मंत्रालय के साथ भी साझा की गई थी। आर्थिक हित प्रश्नावली घरेलू उद्योग, विभिन्न

प्रतिभागी प्रयोक्ताओं, आयातकों और निचले स्तर की एसोसिएशन द्वारा दायर की गई थी।

3.8 मौखिक सुनवाई

- i. नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 23 अप्रैल, 2026 को आयोजित सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध दें, उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध दें, यदि कोई हों।

3.9 प्रकटन विवरण और प्रकटन विवरण के बाद की टिप्पणियाँ

- i. नियमावली के नियम 16 के अनुसार, जांच के आवश्यक तथ्य जो प्रस्तावित निर्धारण का आधार बने थे, उन्हें 18 सितंबर 2026 के प्रकटन विवरण के माध्यम से हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किया गया था, और हितबद्ध पक्षकारों को अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने के लिए 23 सितंबर 2026 तक का समय दिया गया था। प्रकटन विवरण पर टिप्पणियाँ हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त हो गई हैं। प्रकटन पश्चात टिप्पणियों की, संगत मानी गई सीमा तक इन अंतिम जांच परिणामों के खंड-ट में जांच की गई है।

3.10. आगे की प्रक्रिया

- i. विदेशी उत्पादकों, निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों, जिन्होंने उत्तर नहीं दिया है या इस जांच से संगत सूचना नहीं दी है, को असहयोगी माना गया है।
- ii. नियम 6(8) के अनुसार, जहां भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान कार्यवाही के दौरान समय पर पहुंच से इनकार कर दिया है या अन्यथा आवश्यक सूचना प्रदान नहीं की है, या जांच में अत्यधिक बाधा डली है, ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना गया है, और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज किए गए हैं।
- iii. नियम 7 के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की जांच ऐसी गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया गया है, और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान

करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।

- iv. नियम 8 के अनुसार, घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों का सत्यापन वर्तमान कार्यवाही के लिए आवश्यक मानी गई सीमा तक किया गया था। प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में अपने विश्लेषण में हितबद्ध पक्षकारों के सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है।
- v. क्षतिरहित कीमत की गणना आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार भारत में घरेलू समान वस्तु इष्टतम उत्पादन लागत उत्पादन करने तथा बिक्री की लागत के आधार पर की गई है।
- vi. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी तर्कों और प्रदान की गई सूचना को उस सीमा तक माना गया है जहां तक इसे साक्ष्य के साथ समर्थित किया गया है और वर्तमान जांच के लिए संगत माना गया है।
- vii. इन अंतिम जांच परिणामों में '***' किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना और नियमावली के तहत मानी गई सूचना दर्शाते हैं।
- viii. संबद्ध जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 85.43 रु. है, जो जांच की अवधि के दौरान लागू आयातित सामानों के मूल्य के परिवर्तन के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के तहत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों का औसत है। इन्हीं अंतिम जांच परिणाम में समान दर लागू की गई है।

(स्रोत: <https://foservices.icegate.gov.in/#/services/viewExchangeRate>)

ग. विचाराधीन उत्पाद

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

4. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।
 - i. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित मेलामाइन उच्च शुद्धता का होता है और यूरिया-आधारित मार्ग के माध्यम से उत्पादित होता है, जबकि चीनी उत्पादकों का उत्पादन कोयला आधारित होता है।

- ii. यूरिया और कोयला आधारित उत्पादन में अंतर सीधे लागत और कीमत निर्धारण को प्रभावित करते हैं और किसी भी कीमत तुलनीयता विश्लेषण में इन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए।

ग.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

5. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।
 - i. हितबद्ध पक्षकारों ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य रिकॉर्ड में नहीं रखा है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और चीन जन.गण. से आयातित उत्पाद के बीच कोई वास्तविक अंतर है।
 - ii. उत्पादन प्रक्रियाओं या फीडस्टॉक में अंतर उत्पाद की आवश्यक विशेषताओं, अंतिम उपयोग या प्रतिस्थापनीयता को प्रभावित नहीं करते हैं, और घरेलू रूप से उत्पादित और आयातित मेलामाइन वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से परस्पर परिवर्तनीय हैं।
 - iii. सभी पूर्व जांचों में, प्राधिकारी ने लगातार यह माना है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद समान वस्तु हैं।
 - iv. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देश से आयातित उत्पाद की समान वस्तु हैं।

ग.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

6. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किए अनुरोधों की जांच की गई है और उन्हें नीचे हल किया गया है।
7. जांच शुरुआत के स्तर पर, विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

“3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "मेलामाइन" है।

4. मेलामाइन और लैमिनेट के लिए उपयोग किए जाने वाले मेलामाइन फॉर्मैल्डिहाइड रेजिन अच्छी कठोरता, खरोंच, दाग, पानी और गर्मी के प्रतिरोध की पेशकश करते हैं। कुछ औद्योगिक विद्युत अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले लैमिनेट में उच्च यांत्रिक शक्ति, अच्छी गर्मी प्रतिरोध और अच्छी विद्युत इन्सुलेशन गुण होते हैं।

मेलामाइन उप शीर्ष 2933 61 00 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के तहत वर्गीकृत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

आवेदक ने किसी पीसीएन पद्धति का प्रस्ताव नहीं किया है। हितबद्ध पक्षकारों को सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरुआत की तारीख से 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति पर अपनी टिप्पणियां/सुझाव प्रस्तुत करें।

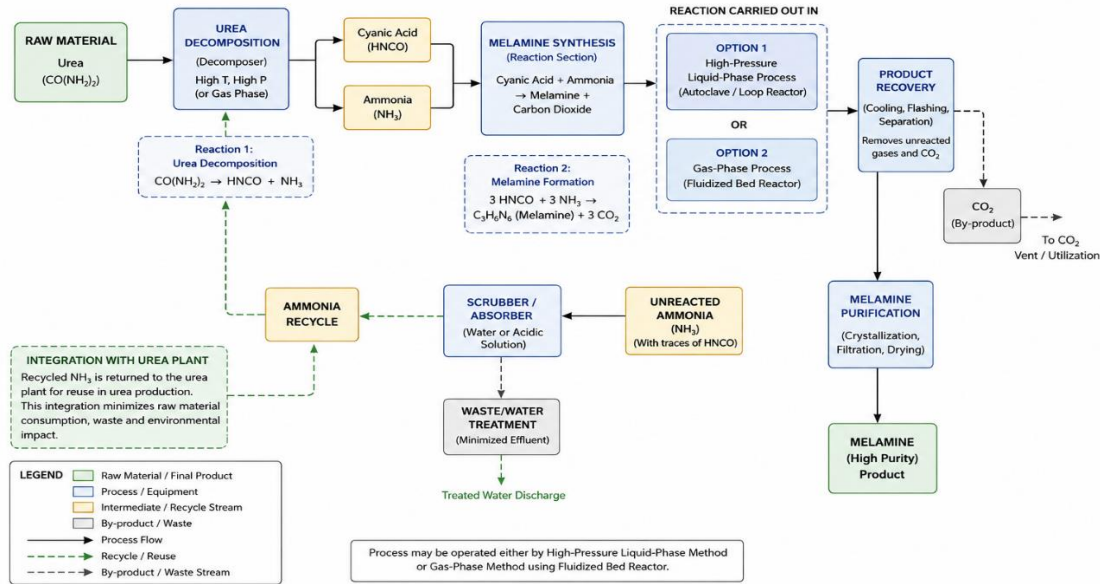
8. जांच शुरुआत अधिसूचना में सभी हितबद्ध पक्षकारों को उत्पाद क्षेत्र और पीसीएन पद्धति पर अपनी टिप्पणियां जांच शुरुआत की तारीख से 15 दिनों के भीतर दायर करने के लिए आमंत्रित किया गया था। घरेलू उद्योग के अलावा, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति पर कोई टिप्पणी दायर नहीं की है। तदनुसार, दिनांक 3 नवंबर 2025 की सूचना द्वारा प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के उसी क्षेत्र को अधिसूचित किया है, जैसा कि प्रतिक्रिया दायर करने के उद्देश्य से जांच शुरुआत अधिसूचना में अधिसूचित किया गया था और यह भी अधिसूचित किया गया था कि वर्तमान जांच में कोई पीसीएन पद्धति स्वीकार नहीं की गई है।

विचाराधीन उत्पाद की विनिर्माण प्रक्रिया

9. मेलामाइन का निर्माण प्राथमिक कच्चे माल के रूप में यूरिया का उपयोग करके किया जाता है। इस प्रक्रिया में, यूरिया को पहले सायैनिक एसिड और अमोनिया में विघटित किया जाता है। इसके बाद सायनिक एसिड अमोनिया के साथ प्रतिक्रिया करके मेलामाइन बनाता है, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड एक उप-उत्पाद के रूप में बनता है। औद्योगिक रूप से, यह प्रतिक्रिया या तो उच्च दबाव तरल-चरण विधि या एक द्रवीकृत बैड रिएक्टर का उपयोग करके गैस-चरण विधि के माध्यम से की जाती है। उत्पादन प्रक्रिया आम तौर पर अमोनिया के पुनर्चक्रण की अनुमति देने और अपशिष्ट और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए यूरिया संयंत्रों के साथ एकीकृत की जाती है।

मेलामाइन उत्पादन का फ़्लोचार्ट

MELAMINE PRODUCTION FLOWCHART



मेलामाइन के प्रयोग

- मेलामाइन का प्रयोग मेलामाइन फॉर्मेलिहाइड बनाने में किया जाता है जिसका उपयोग डिनरवेयर, लैमिनेट फर्श, ड्राई इरेज़ बोर्ड और इन्सुलेशन के निर्माण में, ध्वनि रोधन सामग्री में और सफाई उत्पादों में किया जाता है।

उत्पाद के लिए सीमा शुल्क वर्गीकरण और सीमा शुल्क नीति

- मेलामाइन 29336100 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के तहत वर्गीकृत है। जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों पर लागू मूल सीमा शुल्क 7.5% है। विचाराधीन उत्पाद का आयात 'ओपन जनरल लाइसेंस' (ओजीएल) नीति के तहत अनुमत है और विचाराधीन उत्पाद के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

उत्पादन प्रक्रिया में अंतर के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों का तर्क

- यह दावा किया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित मेलामाइन उच्च शुद्धता का होता है क्योंकि यह यूरिया से बनाया जाता है जबकि चीन से आयातित उत्पाद कोयले से बनाया जाता है। हालांकि, हितबद्ध पक्षकारों ने उत्पाद के भौतिक और तकनीकी गुणों में कोई अंतर नहीं दिखाया है। न ही हितबद्ध पक्षकारों ने दोनों के विभिन्न प्रकार्यों और प्रयोगों की पहचान की है। यह नोट किया जाता है कि विनिर्माण प्रौद्योगिकी,

फीडस्टॉक या उत्पादन प्रक्रिया में अंतर, अपने आप में, यह सिद्ध नहीं करते हैं कि उत्पाद उनके भौतिक विशेषताओं, तकनीकी विशिष्टताओं, अंतिम उपयोगों या प्रतिस्थापनीयता के संदर्भ में भिन्न हैं। विभिन्न फीडस्टॉक या उत्पादन प्रौद्योगिकियों के मात्र उपयोग से उत्पाद अलग नहीं हो जाते हैं, जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए कि उत्पाद में भौतिक और तकनीकी गुणों में भौतिक अंतर है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद में समान अनिवार्य विशेषताएं हैं और वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से परस्पर परिवर्तनीय हैं। जब तक दोनों उत्पाद एक ही कार्य करते हैं और एक ही अनुप्रयोग के लिए उपयोग किए जाते हैं, वे समान वस्तुएं होती हैं। यह भी देखा जाता है कि जहां एक आयातक व्यापारी ने शुद्धता में अंतर का दावा किया है, वहीं चीन से भाग लेने वाले उत्पादकों या भारत में प्रयोक्ताओं द्वारा ऐसा कोई दावा नहीं किया गया है। आयातक व्यापारी ने शुद्धता से उत्पन्न कीमत अंतर के संबंध में कोई सूचना नहीं दी है।

13. यह भी देखा जाता है कि उत्पादन प्रौद्योगिकी में अंतर के संबंध में इसी तरह के अनुरोध पिछली निर्णायक समीक्षा जांच में भी उठाए गए थे। हालाँकि, यह निष्कर्ष निकाला गया कि चीन जन.गण. से आयातित उत्पाद और घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद समान वस्तु हैं। प्राधिकारी ने 23 अगस्त, 2021 की निर्णायक समीक्षा के अंतिम जांच परिणामों के पैरा 14 में निम्नलिखित का उल्लेख किया है:

14. यह आरोप लगाया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद की गुणवत्ता और चीन जन.गण. से आयातित उत्पाद की गुणवत्ता के बीच अंतर है। एक हितबद्ध पक्षकार ने उल्लेख किया है कि घरेलू उद्योग का उत्पाद प्रीमियम गुणवत्ता का है। इसी तरह का एक अप्रमाणित दावा पिछली निर्णायक समीक्षा जांच में भी उठाया गया था। वर्तमान जांच में भी, न तो आयातकों और न ही किसी उत्पादक/निर्यातक ने कुछ अनुभवजन्य साक्ष्य के आधार पर गुणवत्ता में इस अंतर को दर्शाया है। इसी तरह, उच्च दबाव और कम दबाव वाले मेलामाइन के बीच अंतर को उजागर करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है। इसलिए, किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रदान किए गए किसी भी सत्यापन योग्य साक्ष्य के अभाव में, प्राधिकारी इस दावे पर विचार नहीं कर पाए।

इस प्रकार, प्राधिकारी को वर्तमान जांच में हितबद्ध पक्षकारों के तर्क में कोई औचित्य नहीं मिलता।

घरेलू उद्योग द्वारा समान वस्तु

14. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान और संबद्ध देश से आयातित सामान भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।

विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र

15. प्राधिकरण का मत है कि विचाराधीन उत्पाद का दायरा “मेलामाइन” है तथा घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद, नियमों के नियम 2(घ) के अर्थ में, विषय देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

16. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

घ.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

17. आवेदक ने घरेलू उद्योग और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- i. वर्तमान आवेदन-पत्र गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (जीएसएफसी) द्वारा दायर किया गया है, जो भारत में समान वस्तु का एकमात्र उत्पादक है।
 - ii. घरेलू उद्योग ने न तो संबद्ध देश से उत्पाद का आयात किया है और न ही संबद्ध देश से किसी उत्पादक/निर्यातक या भारत में आयातक से संबद्ध है।
 - iii. घरेलू उद्योग एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, जिसे 1962 में निगमित किया गया था, जिसमें गुजरात राज्य की कुल शेयरधारिता लगभग 37% है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

18. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

“(ख) “घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से हैं जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।”

19. यह आवेदन-पत्र गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड ने दायर किया है। आवेदक भारत में किसी आयातक या विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों/निर्यातकों से संबद्ध नहीं है और उसने जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।

नियम 2(ख) की आवश्यकता

20. डीजी सिस्टम आंकड़ों की जांच की गई है, और यह पाया गया है कि आवेदक ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश या किसी अन्य देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।

नियम 5 की आवश्यकता

21. आवेदक भारत में समान वस्तु का एकमात्र उत्पादक है। घरेलू उद्योग का कुल भारतीय उत्पादन में 100% हिस्सा है। घरेलू उद्योग का समान वस्तु के भारतीय उत्पादन में प्रमुख अनुपात है।

घरेलू उद्योग

22. उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी का मानना है कि आवेदक नियमावली के नियम 2 (ख) के अभिप्राय से पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन-पत्र नियमावली के नियम 5(3) के तहत आधार की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

ड. विविध तथा गोपनीयता के मुद्दे

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

23. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विविध मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. प्राधिकारी को स्वतंत्र रूप से आवेदन-पत्र का आकलन करना चाहिए और आवेदक के दावों के आधार पर स्वतः जांच शुरू नहीं कर सकते। प्राधिकारी को यह जांचने की आवश्यकता है कि क्या साक्ष्य सटीक, पर्याप्त और पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क पर प्रथम दृष्टया मामला सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। यह मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष और उचित जांच पर आधारित होना चाहिए।
- ii. आवेदक को पहले यूएसडीओसी द्वारा सीवीडी जांच में असहयोगी पाया गया था, जहां उसने अपने लेखांकन रिकॉर्ड तक पहुंच से इनकार कर दिया था। इस प्रकार, आवेदक की वित्तीय सूचना अविश्वसनीय हो सकती है।
- iii. भारत सरकार ने मेलामाइन पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया है, जबकि डीजीटीआर ने पहले उपायों की सिफारिश की थी।
- iv. चल रहे भू-राजनीतिक तनाव के कारण, भारत सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर पूर्ण सीमा शुल्क छूट प्रदान की है।
- v. गैर-वित्तीय विनियामक सुधार संबंधी उच्च-स्तरीय समिति ने विभिन्न रासायनिक उत्पादों पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को रद्द करने की सिफारिश की।
- vi. आवेदन-पत्र पाटन के पर्याप्त साक्ष्य प्रदान करने में विफल रहता है, विशेष रूप से निर्यात कीमत और आवश्यक समायोजन के संबंध में।
- vii. एनसीवी में प्रोफार्मा-IVए में दिए गए बिक्री की लागत में वास्तविक विसंगतियाँ हैं। एनसीवी दो परस्पर विरोधाभासी सूचीबद्ध श्रृंखलाएं प्रकट करता है।
- viii. आवेदक विचाराधीन उत्पाद और विचाराधीन गैर-विचाराधीन उत्पाद के तहत आयात को वर्गीकृत करने के लिए अपनाई गई आयात पृथक्करण पद्धति का प्रकटन करने में विफल रहा है।
- ix. प्लाईवुड और पैनल उत्पादन संबंधी क्यूसीओ के बाद के कार्यान्वयन, जिसने पहले से ही कच्चे माल की लागत में वृद्धि की है, पाटनरोधी शुल्क के कारण बढ़ी हुई मेलामाइन लागत से प्लाईवुड और पैनल उत्पादन लागत में और वृद्धि होगी, घरेलू और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी आएगी, और संभावित रूप से आयात पर निर्भरता बढ़ेगी।

ड.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

24. घरेलू उद्योग ने विविध मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि प्राधिकारी ने बिना जांच के जांच शुरू कर दी है, जांच शुरुआत अधिसूचना इस बात की पुष्टि करती है कि घरेलू उद्योग ने पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के विधिवत प्रमाणित साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, और प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट थे कि लागू नियमावली के तहत प्रथम दृष्टया मामला मौजूद था।
- ii. जबकि पाटनरोधी शुल्क का एक इतिहास रहा है, घरेलू उद्योग का निष्पादन बाद की समीक्षाओं में खराब हो गया। राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने पाया कि प्रयोक्ताओं ने उपायों से बचते हुए काम किया था।
- iii. संयुक्त राज्य अमेरिका के वाणिज्य विभाग द्वारा की गई प्रतिकारी शुल्क जांच का उल्लेख करते हुए, इस मुद्दे पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध के संबंध में, घरेलू उद्योग उल्लेख करता है कि वर्तमान जांच के उद्देश्य से उसके आंकड़ों की जांच और सत्यापन किया गया है। यह भी देखा गया है जाता एपीएम नीति के तहत आपूर्ति की गई प्राकृतिक गैस का उपयोग संबद्ध सामानों के उत्पादन में नहीं किया गया था।
- iv. आवेदक ने सभी संगत साक्ष्य प्रदान किए थे, और प्राधिकारी ने पाया कि वे प्रथम दृष्टया जांच शुरुआत करने की आवश्यकता को पूरा करते हैं।
- v. घरेलू उद्योग ने एनसीवी में प्रोफार्मा IV-ए में दो अलग-अलग बिक्री लागतों की सूचना दी है। पहला आंकड़ा बिक्री की कुल लागत को दर्शाता है, जिसमें घरेलू बिक्री और निर्यात बिक्री दोनों शामिल हैं। दूसरा आंकड़ा केवल घरेलू बिक्री से संबंधित बिक्री लागत को दर्शाता है।
- vi. घरेलू उद्योग डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार आयात पर निर्भर है। घरेलू उद्योग के पास डीजीसीआईएंडएस लेनदेन वार आंकड़ों तक पहुंच नहीं थी। चूंकि लेनदेन वार आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, इसलिए आयात पृथक्करण पद्धति प्रदान करने का कोई प्रश्न ही नहीं था।

3.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

प्रोफार्मा-IVए में बिक्री लागत की रिपोर्टिंग में विसंगति संबंधी अनुरोध

25. इस मुद्दे के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध के संबंध में, घरेलू उद्योग ने स्पष्ट किया है कि उसने प्रोफार्मा IV ए में बिक्री की दो अलग-अलग लागतों की सूचना दी है। रिपोर्ट की गई पहली संख्या बिक्री की कुल लागत को दर्शाती है, जिसमें घरेलू बिक्री और

निर्यात बिक्री दोनों शामिल हैं। दूसरा आंकड़ा केवल घरेलू प्रचालनों से संबंधित बिक्री की लागत को दर्शाता है। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के लिए केवल घरेलू प्रचालनों के संबंध में सत्यापित सूचना पर विचार किया है।

आवेदन-पत्र में प्रथम दृष्टया साक्ष्य के बिना जांच शुरुआत संबंधी अनुरोध

26. उपरोक्त अनुरोधों के संबंध में, यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग ने जांच शुरू करने को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त सूचना प्रदान की थी और प्राधिकारी द्वारा यह संतुष्ट होने के बाद जांच शुरू की गई थी कि जांच शुरू करने को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य थे। जैसा कि पहले ही जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लेख किया गया है, यह आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन-पत्र के आधार पर था और विचाराधीन उत्पाद के पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति के संबंध में प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर संतुष्टि प्राप्त करने के बाद प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए जांच शुरू की।

घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना की विश्वसनीयता संबंधी अनुरोध

27. उपरोक्त अनुरोधों के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि वर्तमान जांच के उद्देश्य से घरेलू उद्योग के आंकड़ों का सत्यापन किया गया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने स्पष्ट किया है कि एपीएम नीति के तहत आपूर्ति की गई प्राकृतिक गैस का उपयोग संबद्ध सामानों के उत्पादन में नहीं किया गया था। संबद्ध सामानों के उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली प्राकृतिक गैस की कीमत अन्य उत्पादों के उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली प्राकृतिक गैस से अलग होती है।

पूर्व में पाटनरोधी शुल्क न लगाए जाने संबंधी अनुरोध

28. प्राधिकारी ने कुछ हितबद्ध पक्षकारों के इस आशय के अनुरोध पर विचार किया है कि, संबद्ध सामानों के संबंध में पूर्व जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों के बावजूद, केंद्र सरकार द्वारा पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया गया था। हितबद्ध पक्षकारों ने शुल्क न लगाए जाने के कारणों के बारे में निश्चयात्मक अनुमानों की मांग की है और तर्क दिया है कि वर्तमान कार्यवाही में इस निमित्त शुल्कों की सिफारिश नहीं की जानी चाहिए।

29. प्राधिकारी शुरुआत में ही नोट करते हैं कि उक्त अनुरोध किसी भी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है, और वर्तमान जांच के रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पूर्व में शुल्क न लगाए जाने के लिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा बताए गए कारणों को प्रमाणित करता है। इसलिए, तर्क केवल दावों की प्रकृति में हैं और इन कार्यवाहियों में किसी भी निर्धारण के आधार के रूप में स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं।
30. प्राधिकारी यह भी पाते हैं कि सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9क की योजना और उसके तहत बनाई गई नियमावली के साथ पठित योजना, सिफारिश के कार्य और पाटनरोधी शुल्क लगाने के कार्य अलग-अलग हैं और अलग-अलग प्राधिकारियों के पास हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी को जांच करने और रिकॉर्ड में तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड करने और सिफारिश करने का अधिकार है, जबकि पाटनरोधी शुल्क लगाने या न लगाने का निर्णय केंद्र सरकार में निहित है। किसी विशेष मामले में केन्द्र सरकार के विवेकाधिकार की मौजूदगी या उसकी गैर-मौजूदगी बाद की जांच में प्राधिकारी की सांविधिक अनिवार्यता को नहीं रोकते या नियंत्रित नहीं करते।
31. यह सुनिर्धारित है कि प्रत्येक पाटनरोधी जांच स्वतंत्र है और अपने स्वयं के तथ्यों के आधार पर, रिकॉर्ड और उस कार्यवाही से संबंधित जांच की अवधि के आधार पर निर्धारित की जानी है। यह परिस्थिति कि पूर्व की जांच में की गई सिफारिशों के अनुसार, चाहे संबंधित अवधि के दौरान संबद्ध सामानों के संबंध में हो या अन्य उत्पादों के संबंध में, शुल्क नहीं लगाया गया था, वर्तमान मामले में उचित सिफारिश करने के लिए बाधा के रूप में या एक कारक के रूप में काम नहीं कर सकता है। प्राधिकारी ने यह भी नोट करते हैं कि इसी अवधि के दौरान, अन्य उत्पादों के संबंध में उसके द्वारा की गई सकारात्मक सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और केंद्र सरकार द्वारा उन्हें प्रभावी बनाया गया है।
32. उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी का मानना है कि पहले की जांच में शुल्क नहीं लगाने के इतिहास के कारण वर्तमान कार्यवाही के अनुसार पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करने में कोई कमी या अनुपयुक्तता नहीं है, और तदनुसार हितबद्ध पक्षकारों के उक्त अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाते हैं।

अन्य रासायनिक उत्पादों पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश हटाने संबंधी अनुरोध

33. अन्य उत्पादों पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश संबंधी अनुरोध के बारे में, प्राधिकारी पाटन के कारण घरेलू उद्योग को हो रही क्षति में राहत से इंकार करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश को निरस्त करने का कार्यान्वयन का आधार नहीं बन सकता है। अनुचित व्यापार

परिपाटियों को हल करने और घरेलू उद्योग को हुई क्षति की भरपाई के लिए व्यापार उपचारात्मक उपाय लगाए जाते हैं। यह भी देखा गया है कि ये गुणवत्ता नियंत्रण आदेश गैर-विचाराधीन उत्पाद से संबंधित हैं। इसलिए, हितबद्ध पक्षकारों के तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

आयात पृथक्करण पद्धति के संबंधी अनुरोध

34. वर्तमान जांच में अपनाई गई आयात पृथक्करण पद्धति संबंधी अनुरोध के बारे में, प्राधिकारी ने जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित एचएस कोड के लिए डीजी सिस्टम लेनदेन वार आंकड़ों पर भरोसा किया है। आयात की मात्रा और मूल्य का पता लगाने के उद्देश्य से केवल मेलामाइन विवरण वाले लेनदेन पर विचार किया गया है।
35. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर नियम 6(7) और व्यापार सूचना 10/2018 दिनांक 7 सितंबर 2018 के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया गया था। नियमावली के नियम 7 में यह प्रावधान है कि:

“गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उप नियमावली (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को अनुरोध किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना अनुरोध करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश अनुरोध करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण अनुरोध करेगा कि सार करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।”

36. घरेलू उद्योग और प्रतिभागी निर्यातकों द्वारा गोपनीयता के संबंध में किए गए अनुरोधों की प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई सीमा तक जांच की और उन्हें तदनुसार हल किया गया। यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों ने सूचना पर गोपनीयता का दावा किया है, जैसे बिक्री की मात्रा, बाजार हिस्सेदारी, स्टॉक, बिक्री कीमत, लागत, लाभ, नकद लाभ, निवेश पर आय, क्षतिरहित कीमत, उत्पादन लागत से संबंधित सूचना, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन, कीमत समायोजन, लाभ संबंधी सूचना, बिक्री चैनल, बिक्री और खरीद दस्तावेज, ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के नाम, आदि। यह भी देखा जाता है कि जहां भी सूचना किसी क्षति की अवधि के लिए है, उसे सूचीबद्ध आधार पर प्रदान किया गया है। प्राधिकरण नोट करता है कि सभी हितधारक पक्षों ने अपने व्यवसाय-संबंधी संवेदनशील जानकारी को गोपनीय होने का दावा किया है। संतुष्ट होने के उपरांत, प्राधिकरण ने जहाँ उचित पाया गया, वहाँ गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितधारक पक्षों के समक्ष प्रकट नहीं किया गया है।

च. वर्तमान जांच में, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

37. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- i. सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975, पाटनरोधी नियमावली, 1995 और डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.10 के तहत, अलग अलग जांच और निर्यातक-विशिष्ट पाटन मार्जिन का निर्धारण पसंदीदा दृष्टिकोण है।
 - ii. नमूनाकरण एक अपवाद है और इसे केवल तभी अपनाया जा सकता है जब बड़ी संख्या में हितबद्ध पक्षकारों के कारण अलग अलग जांच अव्यावहारिक हो। नमूनाकरण का सहारा लेने के किसी भी निर्णय को एक तर्कसंगत औचित्य द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।
 - iii. डब्ल्यूटीओ, भारतीय, यूरोपीय संघ और अमेरिकी न्यायशास्त्र के लिए नमूने का प्रतिनिधि, पारदर्शी और केवल असाधारण परिस्थितियों में नियोजित होना आवश्यक है। परिणामस्वरूप, नमूनाकरण को अपनाने से आयातकों को अप्रतिनिधिकारक अवशिष्ट शुल्क का सामना करना पड़ सकता है।

- iv. प्राधिकारी ने पहले भी इसी तरह के या इससे भी अधिक संख्या में निर्यातकों से जुड़ी जांच में डेस्क-आधारित सत्यापन और अलग अलग जांच की हैं।
- v. सभी निर्यातक उत्पादकों ने पहले ही प्रश्नावली के पूर्ण और समय पर उत्तर प्रस्तुत कर दिए हैं। अलग अलग जांच से सहयोगी, गैर-नमूनाकृत निर्यातकों को बाहर करने से उन्हें अलग अलग निर्धारण के उनके अधिकार से प्रभावी रूप से वंचित कर दिया जाएगा।
- vi. घरेलू उद्योग के सामान्य मूल्य का निर्धारण पद्धतिगत रूप से दोषपूर्ण है, क्योंकि यह चीन जन.गण. में वास्तविक घरेलू कीमतों पर आधारित नहीं है।
- vii. घरेलू उद्योग के पास निवल निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए विशेष रूप से समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक शुल्क, बंदरगाह व्यय, क्रेडिट लागत और मालसूची वहन लागत के लिए दावा किए गए समायोजनों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं।
- viii. जहां आयात सीधे उत्पादकों से खरीदे जाते हैं, बिना किसी मध्यस्थ के, और ऋण लागत अनुचित होती है क्योंकि लेनदेन आमतौर पर क्रेडिट पत्रों या अग्रिम भुगतान के माध्यम से किए जाते हैं।
- ix. मालसूची वहन लागत को निर्यात कीमतों से नहीं घटाया जाना चाहिए और कारखानागत स्तर वसूली को अनुचित रूप से कम कर देगी।
- x. निर्यात कीमत समायोजन के लिए कोई सहायक साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है। मालसूची वहन लागत, अनुचित तरीके से शामिल हैं और निर्यात कीमत से बिल्कुल भी नहीं काटा जाना चाहिए।

च.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

38. घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
 - i. उत्पाद का भारतीय बाजार में पाटन किए जाने का एक लंबा इतिहास है। पूर्व में की गई सभी जांचों में, प्राधिकारी ने लगातार पाटन पाया है।
 - ii. भाग लेने वाले विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों की बड़ी संख्या को देखते हुए प्राधिकारी को नमूनाकरण को अपनाना चाहिए।

- iii. प्राधिकारी ने बड़ी संख्या में निर्यातकों से जुड़ी कई जांचों में नमूनाकरण लागू किया है। जांच को समय पर पूरा करने और पाटन और क्षति मार्जिन के कुशल निर्धारण की सुविधा के लिए वर्तमान मामले में नमूनाकरण आवश्यक है।
- iv. उच्च स्तर की भागीदारी को देखते हुए सभी उत्तरदाताओं की अलग अलग जांच अनुचित रूप से बोझिल होगी।
- v. चूंकि चीन को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाता है, इसलिए चीनी उत्पादकों को यह सिद्ध करने की आवश्यकता होती है कि उनका घरेलू उद्योग बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति में काम करता है।
- vi. वर्तमान जांच में किसी भी चीनी उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था उपचार (एमईटी) प्रश्नावली दायर नहीं की है। इसलिए, प्राधिकारी को पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित करना चाहिए।
- vii. घरेलू उद्योग के पास निर्यातकों द्वारा समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, बैंक शुल्क, बंदरगाह व्यय, अंतर्देशीय माल भाड़ा, सार-संभाल प्रभार और अन्य संबंधित लागतों के लिए किए गए वास्तविक खर्चों तक पहुंच नहीं है। तदनुसार, अनुमानित आधार पर आवश्यक समायोजन किए गए।
- viii. इस अनुरोध के संबंध में कि निर्यात कीमत की गणना में मांगे गए समायोजन के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है, घरेलू उद्योग ने समुद्री बीमा, बैंक शुल्क, माल भाड़ा, सार-संभाल, मालसूची धारण और कमीशन जैसे खर्चों के लिए अनुमानित आंकड़ों पर भरोसा किया, क्योंकि वास्तविक निर्यातक आंकड़े अनुपलब्ध थे।
- ix. इस अनुरोध के संबंध में कि जांच के प्रथम चरण में मालसूची वहन लागत को समायोजित नहीं किया जाना चाहिए, प्राधिकारी ने कारखानागत निर्यात कीमत का स्तर निकालने के लिए मालसूची वहन लागत पर विचार नहीं किया।
- x. मालसूची वहन लागत, बिक्री के बाद के खर्च होने के कारण, सामान्य मूल्य और व्यापार के समान स्तर पर निर्यात कीमत के बीच उचित तुलना सुनिश्चित करने के लिए विचार किया जाना चाहिए। इस तरह का दृष्टिकोण संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील जैसे न्यायालयों में भी अपनाया जाता है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

39. धारा 9क(1)ग के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

“i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

(ख) बशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

40. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं:

- i. ब्रदर्स विंग इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
- ii. गोल्डन एलिफेंट इंटरनेशनल सप्लाइ चैन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
- iii. हार्वेस्ट इंटरनेशनल बिज़नेस लिमिटेड
- iv. हेनान शिनलियानशिन इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
- v. हुआकियांग केमिकल ग्रुप स्टॉक कंपनी लिमिटेड
- vi. हुबेई यिहुआ इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
- vii. शानदोंग होंगशेंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड
- viii. सिचुआन गोल्डन-एलिफेंट सिन्सियरिटी केमिकल कंपनी लिमिटेड

- ix. वेइफांग चांगरुन केमिकल कंपनी लिमिटेड
- x. शिनजी जिउली केमिकल कंपनी लिमिटेड
- xi. शिनजी जिउयुआन केमिकल कंपनी लिमिटेड
- xii. शिनजियांग जिनजियांग केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
- xiii. शिनजियांग शिनलियानशिन एनर्जी केमिकल कंपनी लिमिटेड
- xiv. शिनजियांग यिहुआ केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
- xv. यिहुआ (शिनजियांग) मटीरियल ट्रेड कंपनी लिमिटेड
- xvi. शानदोंग हुआलू-हेंगशेंग केमिकल कंपनी लिमिटेड
- xvii. सिचुआन किंग'आन मटीरियल्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड

च.3.1 नमूनाकरण का निर्धारण

41. नियम 17 के प्रावधानों के अनुसार, प्राधिकारी को उन सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए अलग अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने की आवश्यकता है जिन्होंने प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं। हालाँकि, जहां चीन जन.गण. से बड़ी संख्या में उत्पादकों/निर्यातकों ने जांच में भाग लिया है और प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं, प्राधिकारी अपनी जांच को उचित संख्या में उत्पादकों/निर्यातकों तक सीमित करके नमूनाकरण का सहारा ले सकते हैं। इस संबंध में नियम 17(3) इस प्रकार है।

“17(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी जांच के अधीन वस्तु के प्रत्येक ज्ञात निर्यातक या उत्पादक के लिए पाटन का अलग अलग मार्जिन का निर्धारित करेंगे:

बशर्ते कि ऐसे मामलों में जहां निर्यातकों, उत्पादकों की संख्या या शामिल वस्तुओं के प्रकार इतने बड़े हैं कि ऐसा निर्धारण अव्यावहारिक हो जाता है, यह चयन के समय उपलब्ध सूचना के आधार पर सांख्यिकीय रूप से वैध नमूनों का उपयोग करके, या प्रश्नगत देश से निर्यात की मात्रा के सबसे बड़े प्रतिशत तक अपने निष्कर्षों को सीमित कर सकता है जिसकी उचित रूप से जांच की जा सकती है, और इस परंतुक के तहत किए गए निर्यात, उत्पादकों या संबंधित आयातकों के परामर्श और सहमति से किया जाएगा:

बशर्ते यह भी कि निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी भी निर्यातक या उत्पादक के लिए पाटन का अलग अलग मार्जिन निर्धारित करेंगे, हालांकि शुरू में चयनित नहीं है, जो समय पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करता है, सिवाय जहां निर्यातकों या उत्पादकों की संख्या

इतनी अधिक है कि अलग अलग जांच अनुचित रूप से बोझिल होगी और जांच को समय पर पूरा करने से रोकेगी।”

42. यह नोट किया जाता है कि जबकि जांच शुरुआत अधिसूचना में प्रश्नावली के पूर्ण उत्तर दायर करने के उद्देश्य से मात्रा और मूल्य की सूचना दायर करने के लिए एक अलग अनुरोध शामिल नहीं था और सभी उत्पादकों को प्रश्नावली के उत्तर दायर करने के लिए कहा गया था, जांच की शुरुआत होने के बाद, 9 उत्पादकों और संबद्ध देश के उनके 8 निर्यातकों/व्यापारियों ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं। नीचे दी गई तालिका वर्तमान जांच में भाग लेने वाले सभी उत्पादकों के निर्यात की मात्रा को दर्शाती है।

क्र.सं.	कंपनी का नाम	क्यूआर के अनुसार भारत को निर्यात की गई कुल मात्रा (एमटी)	चीन जन.गण. से कुल आयात में क्यूआर मात्रा का % हिस्सा	डीजी सिस्टम के अनुसार भारत में कुल आयात का % हिस्सा	चीन जन.गण. से कुल आयात में डीजी सिस्टम के मात्रा का % हिस्सा
1.	मैसर्स शिनजियांग यिहुआ केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***
2.	मैसर्स शिनजियांग शिनलियानक्सिन एनर्जी केमिकल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***
3.	मैसर्स हुआकियांग केमिकल ग्रुप स्टॉक कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***
4.	मैसर्स शिनजी जिउली केमिकल कंपनी लिमिटेड और मैसर्स शिनजी जिउयुआन केमिकल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***

5.	मैसर्स सिचुआन किंग'आन मटीरियल्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***
6.	मैसर्स सिचुआन गोल्डन-एलिफेंट सिंसियरिटी केमिकल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***
7.	सिचुआन ग्रुप की सभी कंपनियों का कुल योग	***	***	***	***
8.	शेडोंग हुआलू-हेंगशेंग केमिकल कं. लिमिटेड	***	***	***	***
9.	मेसर्स शिनजियांग जिनजियांग केमिकल इंडस्ट्री कं. लि.	***	***	***	***
	कुल	***	***	***	***

43. भाग लेने वाली कंपनियों की बड़ी संख्या और वर्तमान जांच में जांच और सत्यापन के लिए आवश्यक सूचना की प्रकृति और सीमा को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने माना कि नियमावली के नियम 17(3) के अभिप्राय से सभी भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों की अलग अलग जांच उचित रूप से व्यवहार्य नहीं थी।
44. तदनुसार, हितबद्ध पक्षकारों को प्रस्तावित नमूनाकरण अभ्यास के बारे में सूचित किया गया था और साथ ही चीन से नमूनाकृत किए जाने के लिए प्रस्तावित उत्पादकों की सूची भी दी गई थी। 23 जनवरी 2026 को एक नोटिस जारी किया गया था और प्रस्तावित पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था। हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया कि उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों की संख्या इतनी अधिक नहीं है कि अलग अलग जांच अव्यावहारिक हो जाए और सभी निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का अलग अलग निर्धारण मांगा। हालांकि, प्राधिकारी का मानना है कि उत्तरदाता पक्षकारों की संख्या बहुत अधिक है। इसके अलावा, नियम 17(3) एक निश्चित संख्यात्मक सीमा निर्धारित नहीं करता है। सभी उत्तरदाता निर्यातकों की अलग अलग रूप से जांच करना अनुचित रूप से बोझिल था।

45. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि नमूनाकरण अलग अलग जांच के सामान्य नियम का अपवाद है और इसे केवल तभी अपनाया जा सकता है जब बड़ी संख्या के कारण सभी हितबद्ध पक्षकारों की जांच अव्यावहारिक हो। यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 17(3) विशेष रूप से नमूनाकरण का सहारा लेने की अनुमति देता है जहां उत्पादकों और निर्यातकों की संख्या इतनी अधिक है कि सभी भाग लेने वाली कंपनियों की अलग अलग जांच अनुचित रूप से बोझिल है और उचित रूप से व्यवहार्य नहीं है। वर्तमान मामले में, चीन जन.गण. के नौ उत्पादकों ने अपने संबंधित निर्यातकों/व्यापारियों, के साथ जांच में भाग लिया है और प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं। यह परीक्षण अव्यावहारिकता, अलग अलग जांचों के आयोजन की तर्कसंगतता, प्राधिकारी पर अलग अलग जांच को अनुचित रूप से बोझिल बनाने में से एक है। यह तथ्य कि कुछ अन्य जांचों में प्राधिकारी ने नमूनाकरण का सहारा नहीं लिया, नियम 17(3) के अंतर्गत परीक्षण यह है कि क्या उत्तर देने वाले पक्षों की संख्या तथा जाँची और सत्यापित की जाने वाली जानकारी को ध्यान में रखते हुए, सभी पक्षों की व्यक्तिगत रूप से जाँच करना अव्यावहारिक है और इससे अत्यधिक बोझ पड़ेगा तथा जाँच को समयबद्ध रूप से पूरा करने में बाधा उत्पन्न होगी।
46. इस आपत्ति के संबंध में कि प्रश्नावली के पूर्ण उत्तर प्राप्त होने के बाद और जांच शुरू होने के लगभग दस महीने बाद नमूनाकरण का सहारा नहीं लिया जा सकता है, यह नोट किया जाता है कि जांच 29 सितंबर 2025 को शुरू की गई थी और नमूनाकरण नोटिस 23 जनवरी 2026 को जारी किया गया था और इसलिए 10 महीने का कोई अंतराल नहीं है। यह देखा जाता है कि नियम 17(3) जांच के उस चरण के लिए कोई प्रावधान नहीं करता है जिस पर नमूनाकरण किया जाना चाहिए और प्रश्नावली के उत्तर दायर करने के बाद नमूनाकरण करने पर कोई निषेध नहीं है। नियम 17(3) का दूसरा परंतुक स्वयं यह स्वीकार करता है कि अलग अलग जांच को अस्वीकार किया जा सकता है जहां निर्यातकों की संख्या इतनी अधिक है कि ऐसी जांच अनुचित रूप से बोझिल होगी और जांच को समय पर पूरा करने से रोकेगी। निर्यातकों द्वारा केवल उत्तर दायर करने से प्राधिकारी अपने सांविधिक विवेकाधिकार से वंचित नहीं हो जाते हैं।
47. प्राधिकरण ने चीन जनवादी गणराज्य से उत्पादकों के नमूने लेने पर विचार किया। विभिन्न पक्षों से टिप्पणियाँ प्राप्त होने के बाद, नमूने में शामिल उत्पादकों को दिनांक 23 जनवरी 2026 की अधिसूचना के माध्यम से सूचित किया गया। विचार किया गया नमूना भारत को निर्यात की मात्रा के आधार पर निर्धारित किया गया था, जिसमें सर्वाधिक निर्यात मात्रा वाले उत्पादकों को नमूने का हिस्सा माना गया, जो नियम 17(3) के प्रथम

परंतुक के अनुरूप था, अर्थात् विषय देश से निर्यात की मात्रा का वह अधिकतम प्रतिशत जिसकी युक्तिसंगत रूप से जाँच की जा सकती थी। निम्नलिखित उत्पादकों का नमूना लिया गया।

क्र.सं.	कंपनी का नाम	डीजी सिस्टम के अनुसार भारत में कुल आयात का % हिस्सा	चीन जन.गण. से कुल आयात में डीजी सिस्टम के मात्रा का % हिस्सा
1.	मैसर्स शिनजियांग यिहुआ केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड	***	***
2.	मैसर्स शिनजियांग शिनलियानक्सिन एनर्जी केमिकल कंपनी लिमिटेड	***	***
3.	मैसर्स हुआकियांग केमिकल ग्रुप स्टॉक कंपनी लिमिटेड	***	***

- i. शिनजियांग यिहुआ समूह: शिनजियांग यिहुआ केमिकल इंडस्ट्री कं, लिमिटेड, यिहुआ (शिनजियांग) मटेरियल ट्रेड कं, और हुबेई यिहुआ इंटरनेशनल ट्रेडिंग कं. लिमिटेड।
 - ii. शिनजियांग शिनलियानक्सिन ग्रुप: शिनजियांग शिनलियानक्सिन एनर्जी केमिकल कं, लिमिटेड, हार्वेस्ट इंटरनेशनल बिजनेस लिमिटेड और हेनान शिनलियानक्सिन इंटरनेशनल ट्रेडिंग कं. लिमिटेड।
 - iii. हुआकियांग केमिकल ग्रुप: हुआकियांग केमिकल ग्रुप स्टॉक कं. लि.
48. गैर-नमूना-चयनित सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए डंपिंग मार्जिन नमूना-चयनित उत्पादकों के भारित औसत डंपिंग मार्जिन के आधार पर निर्धारित किया गया है, जो एंटी-डंपिंग समझौते के अनुच्छेद 9.4 के अनुरूप है। गैर-सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए डंपिंग मार्जिन नियमों के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है।

च.3.2 चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

49. डब्ल्यूटीओ में चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:

“जीएटीटी 1994 का अनुच्छेद VI, टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 (“पाटनरोधी करार”) के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार एक डब्ल्यूटीओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों की संलिप्तता की कार्यवाहियों में लागू होंगे जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

15.(क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद -VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनात्मकता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो निम्नलिखित नियमावली के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण ,उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है ,यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण ,उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II ,III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क),14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के संगत प्रावधान लागू होंगे ,तथापि ,उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों ,तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में ,जहां व्यवहार्य हो ,

आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ क (II) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अतिरिक्त, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

50. प्राधिकारी ने नोट किया है कि यद्यपि धारा 15 (क)(ii) में निहित प्रावधान 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि, अभिगम नयाचार की धारा 15(क)(i) के तहत दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत प्रावधान के लिए बाजार अर्थव्यवस्था स्तर का दावा करने संबंधी पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के माध्यम से संतुष्ट होने के लिए नियमावली के अनुबंध- 1 के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड अपेक्षित हैं। यह नोट किया जाता है कि चूंकि चीन जन.गण. के उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों ने पूरक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, अतः सामान्य मूल्य का परिकलन नियमावली के अनुबंध- 1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

51. चूंकि चीन जन.गण. से किसी भी उत्पादक ने अपने स्वयं के आंकड़ों/सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण का दावा नहीं किया है इसलिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया गया है जो निम्नलिखित रूप में पठित है:

“7 गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक तर्कसंगत समयावधि प्रदान की जाएगी।”

52. यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में गैर-बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए सामान्य मूल्य के निर्माण में तीन पद्धतियां निर्धारित हैं: (क) बाजार अर्थव्यवस्था किसी तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर; (ख) भारत सहित अन्य देशों में तीसरे देश से निर्यात कीमत; और (ग) किसी अन्य उचित आधार पर, जिसमें उपयुक्त लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए आवश्यक होने पर, विधिवत समायोजित, समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत शामिल है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के तहत, सामान्य मूल्य किसी प्रतिनिधि देश में कीमत या निर्मित मूल्य, ऐसे देश से भारत सहित अन्य देशों में निर्यातों की कीमत या किसी अन्य उचित आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।
53. यह नोट किया जाता है कि किसी भी हितधारक पक्ष ने किसी उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में उत्पाद के घरेलू मूल्य अथवा निर्मित मूल्य अथवा निर्यात मूल्य के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। यह नोट किया जाता है कि उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश का चयन हितधारक पक्षों द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत की गई जानकारी और साक्ष्य के आधार पर किया जाना आवश्यक है। चूंकि किसी भी हितधारक पक्ष ने कोई

सत्यापन योग्य जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है, इसलिए इस आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सका।

54. इसलिए, नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ 7 के अनुसार निर्मित सामान्य मूल्य के माध्यम से चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य "किसी अन्य उचित आधार" पर निर्धारित किया गया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के निर्माण में खपत की जाने वाली प्रमुख कच्ची सामग्री (सामग्रियों) की अंतर्राष्ट्रीय कीमत, अन्य कच्चे माल, यूटिलिटियों और अन्य इनपुट के खपत मानदंडों के बारे में सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना, और रूपांतरण लागत के साथ-साथ उचित अतिरिक्त बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और उचित मार्जिन के आधार पर सभी नमूनाकृत उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण किया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य पाटन मार्जिन तालिका में नीचे दिया गया है।

च.3.3 चीन के लिए निर्यात कीमत

- क. शिनजियांग यिहुआ केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड, यिहुआ (निर्माता) (शिनजियांग) मटेरियल ट्रेड कंपनी, लिमिटेड (ट्रेडर), और हुबेई यिहुआ इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी, लिमिटेड (ट्रेडर)।
55. निम्नलिखित तीन कंपनियों ने शिनजियांग यिहुआ समूह के हिस्से के रूप में प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है।
- क) शिनजियांग यिहुआ केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड (उत्पादक और निर्यातक)
 - ख) यिहुआ (शिनजियांग) मटेरियल ट्रेड कंपनी (निर्यातक)
 - ग) हुबेई यिहुआ इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (निर्यातक)
56. उत्पादकों के निर्यात चैनल नीचे दर्शाए गए अनुसार हैं।
- क. शिनजियांग यिहुआ केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड → असंबद्ध ग्राहक।
 - ख. शिनजियांग यिहुआ केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड. → यिहुआ (शिनजियांग) मटेरियल ट्रेड कंपनी → असंबद्ध ग्राहक।
 - ग. शिनजियांग यिहुआ केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड → यिहुआ (शिनजियांग) मटेरियल ट्रेड कंपनी. → हुबेई यिहुआ इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड → असंबद्ध ग्राहक।

57. जांच की अवधि के दौरान, शिनजियांग यिहुआ केमिकल इंडस्ट्री कं.लिमिटेड, चीन जन.गण. ने भारत को ***आरएमबी बीजक मूल्य के ***एमटी संबद्ध सामान बेचे हैं। जिसमें से कंपनी ने सीधे भारत में असंबद्ध खरीदारों को *** एमटी बेचा है और शेष मात्रा (*** एमटी) को अप्रत्यक्ष रूप से एक संबद्ध निर्यातक/व्यापारी, अर्थात् यिहुआ (शिनजियांग) मटेरियल ट्रेड कंपनी लिमिटेड के माध्यम से बेचा है।
58. शिनजियांग यिहुआ केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण द्वारा यिहुआ (शिनजियांग) मटेरियल ट्रेड कंपनी लिमिटेड को बेचे गए संबद्ध सामान (***एमटी), जिसे एक अन्य संबद्ध निर्यातक/व्यापारी अर्थात् हुबेई यिहुआ इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, और हुबेई यिहुआ इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा आगे फिर से बेचा गया है, और अंततः (***एमटी) को भारत में असंबद्ध खरीदारों को बेच दिया गया है।
59. यह भी अनुरोध किया गया है कि शिनजियांग यिहुआ केमिकल इंडस्ट्री कं, लिमिटेड, चीन जन.गण. ने ***एमटी को भारत में असंबद्ध खरीदारों को सीधे बेचा है (जैसा कि शिनजियांग यिहुआ केमिकल इंडस्ट्री कं. लिमिटेड के परिशिष्ट -3क में सूचित किया गया है) लेकिन (***एमटी) के लेनदेन में से एक जिसका वाणिज्यिक बीजक जांच की अवधि की तारीख (बीजक संख्या ***-वी और बीजक तारीख ***) के बाहर उठाया गया था लेकिन कंपनी सिस्टम में यह जांच की अवधि के भीतर लेखांकन था। उसी मात्रा (***एमटी) को कारखानागत निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य की गणना के लिए नहीं माना गया है।
60. उत्पादक/निर्यातक ने समुद्री माल भाड़ा और बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और अन्य संबंधित खर्चों और क्रेडिट लागत के निमित्त समायोजन का दावा किया है। डेस्क सत्यापन के बाद कारखानागत निर्यात कीमत स्तर की गणना करने के लिए इसे ध्यान में रखा गया है, और इस प्रकार निर्धारित कारखानागत निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है:
- ख. शिनजियांग शिनलियानक्सिन एनर्जी केमिकल कंपनी, लिमिटेड, चीन जन.गण. (निर्माता), हार्वेस्ट इंटरनेशनल बिजनेस लिमिटेड (ट्रेडर) और हेनान शिनलियानक्सिन इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी, लिमिटेड (ट्रेडर)
61. निम्नलिखित तीन कंपनियों ने शिनजियांग शिनलियानशिन समूह के हिस्से के रूप में प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है।
- क) शिनजियांग शिनलियानक्सिन एनर्जी केमिकल कंपनी लिमिटेड

- ख) हार्वेस्ट इंटरनेशनल बिजनेस लिमिटेड
- ग) हेनान शिनलियानक्सिन इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी, लिमिटेड

62. उत्पादकों के निर्यात चैनल नीचे दर्शाए गए अनुसार हैं।

- क. शिनजियांग शिनलियानक्सिन एनर्जी केमिकल कंपनी लिमिटेड → हार्वेस्ट इंटरनेशनल बिजनेस लिमिटेड. → असंबद्ध ग्राहक।
- ख. शिनजियांग शिनलियानक्सिन एनर्जी केमिकल कंपनी लिमिटेड → हेनान शिनलियानक्सिन इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड → असंबद्ध ग्राहक।

63. जांच की अवधि के दौरान, शिनजियांग शिनलियानक्सिन एनर्जी केमिकल कं, लिमिटेड, चीन जन.गण., ने दो संबद्ध निर्यातकों/व्यापारियों, अर्थात् हार्वेस्ट इंटरनेशनल बिजनेस लिमिटेड, और हेनान शिनलियानक्सिन इंटरनेशनल ट्रेडिंग कं, लिमिटेड के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भारत को ***आरएमबी बीजक मूल्य के ***एमटी संबद्ध सामान बेचे हैं।

64. शिनजियांग शिनलियानक्सिन एनर्जी केमिकल कंपनी. लिमिटेड, चीन जन.गण. ने हार्वेस्ट इंटरनेशनल बिजनेस लिमिटेड को *** एमटी संबद्ध सामानों की बिक्री की है, जिसमें से हार्वेस्ट इंटरनेशनल बिजनेस लिमिटेड ने *** एमटी को सीधे भारत में असंबद्ध खरीदारों को बेचा है और शेष मात्रा (*** एमटी) को अप्रत्यक्ष रूप से भारत में असंबद्ध निर्यातक/व्यापारी अर्थात्, यूनाइटेड रॉ मटेरियल प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर के माध्यम से बेचा है।

65. यह भी अनुरोध किया गया है कि शिनजियांग शिनलियानक्सिन एनर्जी केमिकल कं, लिमिटेड, चीन जन.गण. ने हेनान शिनलियानक्सिन इंटरनेशनल ट्रेडिंग कं, लिमिटेड को *** एमटी संबद्ध सामान बेचे हैं, जिसमें से कंपनी ने *** एमटी सीधे भारत में असंबद्ध खरीदारों को बेची है और शेष मात्रा (*** एमटी) को दो असंबद्ध निर्यातकों/व्यापारियों अर्थात्, कॉसमॉस वू लिमिटेड, हांगकांग और यूनाइटेड रॉ मटेरियल प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर के माध्यम से भारत को अप्रत्यक्ष रूप से बेचा गया है। यह नोट किया जाता है कि इन दो व्यापारियों ने अपेक्षित प्रश्नावली प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की, और इसलिए प्राधिकारी द्वारा अहयोगी के रूप में माना गया।

66. इन सभी उत्पादकों/निर्यातकों ने कॉसमॉस वू लिमिटेड, हांगकांग और यूनाइटेड रॉ मटेरियल प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर को छोड़कर डीजीटीआर के साथ अपने निर्यातक प्रश्नावली के

उत्तर दायर किए हैं। । इन दो असंबद्ध निर्यातकों/व्यापारियों के माध्यम से भारत को निर्यात की गई मात्रा (***) के संबंध में, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उपयुक्त समायोजन करके कारखानागत निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य की गणना की गई है।

प्राधिकारी ने उत्पादक/निर्यातकों द्वारा दावा किए गए समायोजन के आधार पर कारखानागत निर्यात कीमत स्तर निर्धारित किया है, जो अंतर्देशीय परिवहन और बंदरगाह और अन्य संबंधित खर्चों के निमित्त है। इस प्रकार निर्धारित कारखानागत कीमत नीचे पाटित मार्जिन तालिका में दी गई है।

ग. हुआकियांग केमिकल ग्रुप स्टॉक कंपनी लिमिटेड

67. हुआकियांग केमिकल ग्रुप स्टॉक कंपनी लिमिटेड विचाराधीन उत्पाद का एक उत्पादक है और उसने प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है। जांच की अवधि के दौरान, हुआकियांग केमिकल ग्रुप स्टॉक कं. लिमिटेड, चीन जन.गण. ने भारत में असंबद्ध खरीदारों को *** यूएसडॉ. बीजक मूल्य के ***एमटी संबद्ध सामान बेचे हैं।

68. उत्पादक/निर्यातक ने समुद्री माल भाड़ा, विदेशी बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और अन्य संबंधित खर्चों, क्रेडिट लागत और बैंक शुल्क के निमित्त समायोजन का दावा किया है। प्राधिकारी ने उत्पादक द्वारा प्रदान की गई सूचना का डेस्क सत्यापन किया। अतिरिक्त/पूरक सूचना आवश्यक मानी गई सीमा तक मांगी गई थी। दावा किए गए सभी समायोजन लेने के बाद, और सत्यापित की गई निवल निर्यात निर्धारित की गई थी, और नीचे दी गई तालिका में दिखाई गई है।

घ. गैर-नमूना सहयोगी उत्पादक/निर्यातक

69. गैर-नमूनाकृत सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई नमूनाकरण पद्धति के अनुसार निर्धारित किया गया है। ऐसे उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन को प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त माने गए नमूनाकृत सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित भारित औसत पाटन मार्जिन के आधार पर माना गया है। गैर-नमूनाकृत सहयोगी उत्पादकों की सूची इस प्रकार है:

क. सिचुआन गोल्डन-एलिफेंट सिन्सिरिटी केमिकल कं, लिमिटेड

ख. वेइफांग चांगरून केमिकल कंपनी, लिमिटेड

ग. जिनजी जियुली केमिकल कंपनी, लिमिटेड

- घ. शिनजी जियुआन केमिकल कंपनी लिमिटेड
 ड. शिनजियांग जिनजियांग केमिकल इंडस्ट्री कं. लि.
 च. शेडोंग हुआलू-हेन्गसैंग केमिकल कं, लि.

ड. असहयोगी उत्पादक/निर्यातक

70. चीन जन.गण. के असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है।

च. 3.4 पाटन मार्जिन

71 ऊपर निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है और नीचे दर्शाया गया है।

पाटन मार्जिन						
क्र.सं.	उत्पादक का नाम	निर्मित सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन
		(डॉ./एमटी)	(डॉ./एमटी)	(डॉ./एमटी)	(%)	(रैंज)
1	हुआकियांग केमिकल ग्रुप स्टॉक कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	40-50
2	शिनजियांग यिहुआ केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	50-60
3	शिनजियांग शिनलियानक्सिन एनर्जी केमिकल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	40-50
4	बिना गैर-नमूनाकृत सहयोगी उत्पादक*	***	***	***	***	40-50

5	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	60-70
---	------------------	-----	-----	-----	-----	-------

*गैर-नमूनाकृत सहयोगी उत्पादक -

- क) सिचुआन गोल्डन-एलिफेंट सिन्सियरिटी केमिकल कंपनी लिमिटेड
- ख) वेईफांग चांगरुन केमिकल कंपनी लिमिटेड
- ग) शिनजी जिउली केमिकल कंपनी लिमिटेड
- घ) शिनजी जिउयान केमिकल कंपनी लिमिटेड
- ड) शिनजियांग जिनजियांग केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
- च) शेडोंग हुआलू-हेंगशेंग केमिकल कंपनी लिमिटेड

छ. क्षति का आकलन और कारणात्मक संपर्क

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

72. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. आयात घरेलू उत्पादन को विस्थापित नहीं कर रहे हैं, लेकिन घरेलू मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं।
- ii. घरेलू उद्योग अपने अधिकांश उत्पादन को बेचने और मालसूची स्तर को कम करने में सक्षम रहा है।
- iii. घरेलू उद्योग के निर्यात और घरेलू बिक्री दोनों में आयात के कारण होने वाली क्षति के बजाय एक व्यापक वैश्विक प्रवृत्ति को दर्शाते हुए समान तरीके से गिरावट आई है।
- iv. संबद्ध देश से आयात की कीमतें अन्य देशों की तुलना में तुलनीय हैं।
- v. नकारात्मक कीमत कटौती से पता चलता है कि आयात कीमतें घरेलू बिक्री कीमतों से अधिक हैं।
- vi. 2021-22 में, असाधारण वैश्विक मूल्य वृद्धि के कारण मेलामाइन की कीमतें बढ़ गईं। ऐसे असामान्य वर्ष पर निर्भरता कीमत प्रभावों के आकलन को विकृत करती है।
- vii. रूस-यूक्रेन संघर्ष ने मेलामाइन उत्पादन श्रृंखला को काफी प्रभावित किया। वैश्विक प्राकृतिक गैस और उर्वरक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधानों ने उत्पादन लागत को सीधे प्रभावित किया।
- viii. यूरोपीय संघ द्वारा की गई मेलामाइन जांच में 2021-22 में प्रचलित विकृत कीमत निर्धारण वातावरण को स्वीकार किया गया। उस अवधि के दौरान बढ़ी हुई कीमतें

अस्थायी थीं और कोविड-19 व्यवधानों और रूस-यूक्रेन संघर्ष सहित असाधारण वैश्विक घटनाओं के कारण थीं।

- ix. घरेलू उद्योग के निष्पादन में किसी भी गिरावट का कारण कच्चे माल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव, नीतिगत परिवर्तन, मुद्रा जोखिम और सब्सिडी से संबंधित मुद्दे हैं।
- x. मेलामाइन के उत्पादन में प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण इनपुट है, क्योंकि इसका उपयोग न केवल ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है, बल्कि अमोनिया और यूरिया के लिए ऊपरी स्तर के उत्पादन श्रृंखला का हिस्सा भी बनता है। तदनुसार, इसकी लागत का उत्पादन की लागत पर सीधा असर पड़ता है।
- xi. प्राकृतिक गैस की खरीद विशिष्ट कीमत निर्धारण और अंतिम उपयोग की शर्तों के अधीन है, जिसमें सरकारी निर्देश और आवंटन नियम शामिल हैं, जैसा कि न्यायिक पूर्वोदाहरण से माना गया है। इसलिए, प्राकृतिक गैस के स्रोत, कीमत निर्धारण तंत्र, उत्पादों के बीच आवंटन और लेखांकन व्यवहार को सत्यापन की आवश्यकता है।
- xii. घरेलू उद्योग द्वारा तथाकथित क्षति उसकी अपनी लॉजिस्टिक और पैकेजिंग सीमाओं के कारण है, क्योंकि यह केवल 50 किलोग्राम बैग में मेलामाइन की आपूर्ति करता है और थोक पैकेजिंग विकल्प प्रदान नहीं करता है। इसके विपरीत, चीनी आपूर्तिकर्ता मेलामाइन को 50 किलो बैग और जंबो बैग दोनों में प्रदान करते हैं, जिससे निचले स्तर के प्रयोक्ताओं को अधिक लचीलापन मिलता है।
- xiii. जंबो बैग पैकेजिंग की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप उच्च मैनुअल हैंडलिंग आवश्यकताएं, पैकेजिंग लागत में वृद्धि, परिवहन अक्षमताएं और उच्च अनलोडिंग और भंडारण लागत होती है। परिणामस्वरूप, आवेदक को लगभग 1.5 -2 रु. प्रति किलोग्राम की लागत लगानी पड़ती है, जिससे इसका उत्पाद स्वाभाविक रूप से वितरित और खपत के आधार पर अधिक महंगा हो जाता है।
- xiv. प्राधिकारी ने पिछली जांच में देखा कि उच्च उत्पादन लागत के कारण संयंत्र 1 और 2 बंद कर दिए गए थे, जबकि संयंत्र 3 ने लागत लाभ के कारण उच्च क्षमता उपयोग पर काम किया था। इन अंतर्निहित लागत या तकनीकी स्थितियों में किसी भी बदलाव का कोई साक्ष्य नहीं है।
- xv. संयंत्र I और II आयातों के कारण अप्रैल 2021 से बेकार रहे हैं, न कि संरचनात्मक और तकनीकी हानि के कारण।
- xvi. ये संयंत्र पुराने केमी-लिंज तकनीक का उपयोग करते हैं, जबकि प्लांट 3 अधिक कुशल कैसाले एमईओएम तकनीक पर आधारित है, जो कम ऊर्जा खपत, उच्च रूपांतरण दक्षता, बेहतर उत्पाद गुणवत्ता और कम प्रचालन लागत प्रदान करता है।
- xvii. घरेलू उद्योग प्लांट 3 को कैसाले एमईएल तकनीक के कारण महत्वपूर्ण लाभ मिलते हैं, विशेष रूप से ऊर्जा दक्षता और प्रक्रिया एकीकरण लाभों के संदर्भ में।

- xviii. संयंत्र III को विशेष रूप से संयंत्रों के साथ जुड़े मौजूदा यूरिया-आधारित बुनियादी ढांचे के महंगे पुनरुद्धार से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
- xix. आवेदक को क्षति घरेलू उद्योग की क्षति की अवधि के दौरान क्षमता का विस्तार करने में विफलता और उसकी प्रचालन अक्षमताओं, कर्मचारियों की संख्या में कमी के साथ-साथ प्रति कर्मचारी मजदूरी में वृद्धि और घरेलू उद्योग द्वारा उसी अवधि के दौरान निर्यात में वृद्धि के कारण हुई है।
- xx. लगभग 17 वर्षों से पाटनरोधी शुल्क लगाने के बावजूद घरेलू उद्योग के उत्पादन में मामूली वृद्धि ही देखी गई है। इस तरह का संरक्षण सार्थक क्षमता विस्तार में तब्दील नहीं हुई है।
- xxi. क्षतिरहित कीमत की गणना के लिए नियोजित पूंजी पर 22% आय को प्राधिकारी द्वारा निरंतर अपनाया जाना विद्यमान चल रही आर्थिक स्थितियों और नियमावली के तहत कानूनी ढांचे के साथ बढ़ाई गई है और असंगत है।
- xxii. ब्रिजस्टोन टायर्स और हयोसुंग कारपोरेशन में न्यायालय ने माना है कि इस तरह की आय से क्षति के विश्लेषण में विकृति आ सकती है।
- xxiii. जीएसएफसी अत्यधिक निर्यातोन्मुख है।
- xxiv. जांच की अवधि के बाद की प्रवृत्तियों पर भरोसा काफी हद तक गलत और असंगत है।
- xxv. मेलामाइन बनाने के लिए आवश्यक यूरिया या प्राकृतिक गैस का अनुपात, और इसकी वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय कीमतें अच्छी तरह से ज्ञात हैं और यदि हम यूरिया =>मेलामाइन का अनुपात लागू करते हैं, तो यह अकेले 600 *2.5 यूएसडॉ.=यूएसडॉ. 1500/टन उसे मेलामाइन में प्रसंस्कृत करने की लागत के अलावा होगा।
- xxvi. आयातित या घरेलू, इनपुट की उचित बाजार कीमत, सब्सिडी वाली लागत नहीं, डीजीटीआर के लिए एक मार्गदर्शक सीमा होनी चाहिए।

छ.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

73. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबद्ध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. चीन में उत्पादक न केवल भारतीय बाजार में ही पाटन नहीं कर रहे हैं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और यूरेशियन आर्थिक आयोग सहित अन्य न्याय क्षेत्रों में भी पाटन कर रहे हैं।
- ii. चीन में मेलामाइन की क्षमता बढ़कर लगभग 2,200,000 एमटी हो गई है, जो घरेलू उद्योग क्षमता से 14 गुना अधिक है।

- iii. रियल एस्टेट क्षेत्र में कमजोरी के कारण चीन के भीतर उत्पाद की मांग घट रही है। इसके बावजूद, 2025 के अंत तक क्षमता लगभग 2,600,000 एमटी तक पहुंचने की संभावना है।
- iv. चीन में क्षमता वृद्धि का उपयोग केवल निर्यात उद्देश्यों के लिए किया जाना है। भारत, एक बड़ा और बढ़ता हुआ बाजार होने के नाते, अधिशेष क्षमता के मोड़ के लिए एक प्राकृतिक गंतव्य बन जाता है।
- v. कई चीनी उत्पादक पिछड़े एकीकृत और कैप्टिव रूप से यूरिया की खपत करते हैं। चीनी सरकार यूरिया क्षेत्र में विभिन्न कीमत और कर संबंधी प्रोत्साहन भी प्रदान करती है।
- vi. चीनी उत्पादकों को एनआरडीसी उपायों और अन्य राज्य समर्थन से लाभ होता है। ये हस्तक्षेप इनपुट लागत को कम करते हैं और निर्यातकों को निर्यात बाजारों में कम कीमतों पर मेलामाइन की आपूर्ति करने में सक्षम बनाते हैं।
- vii. जीएसएफसी के पास वर्तमान में 55,000 एमटी की संयुक्त क्षमता वाले तीन संयंत्र हैं। हालाँकि, पाटित आयातों के कारण, घरेलू उद्योग को 15,000 एमटी की संयुक्त क्षमता वाले दो संयंत्रों में उत्पादन को रोकने के लिए मजबूर किया गया है। 2021 से पहले, जीएसएफसी ने 40,000 एमटी क्षमता के एक नए संयंत्र में 800 करोड़ रुपये का निवेश किया, जिससे तीन संयंत्रों में कुल क्षमता 55,000 एमटी हो गई।
- viii. मांग-आपूर्ति अंतर को ध्यान में रखते हुए, घरेलू उद्योग ने 40,000 एमटी के और विस्तार की योजना बनाई थी। हालाँकि, 1,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश की आवश्यकता और पाटित आयातों के कारण अपर्याप्त वित्तीय अर्थक्षमता के कारण योजना को रोक दिया गया था।
- ix. क्षति की अवधि में उत्पाद की मांग बढ़ गई है।
- x. क्षति की अवधि में चीन से आयात में 92% की तीव्र वृद्धि हुई, जबकि आयात के मूल्य में 2% की कमी आई। भारतीय उत्पादन और मांग के संबंध में आयात में भी वृद्धि हुई।
- xi. कुल आयात में चीन का हिस्सा 90% से अधिक है।
- xii. जबकि संबद्ध देश से आयात में वृद्धि हुई, अन्य देशों से आयात में गिरावट आई।
- xiii. चीनी उत्पादक न केवल घरेलू बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा कर रहे हैं, बल्कि अन्य देशों से आयात को भी विस्थापित कर रहे हैं।
- xiv. जबकि क्षति की अवधि में बिक्री की लागत बढ़ गई, बिक्री की कीमतें कम हो गईं, जिसके परिणामस्वरूप कीमत न्यूनीकरण हुआ।
- xv. पहुंच कीमतों में तीव्र गिरावट के कारण, घरेलू उद्योग को लागत स्तर से नीचे बिक्री की कीमतें कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

- xvi. घरेलू उद्योग की क्षमता 30% से अधिक अप्रयुक्त क्षमता के साथ काफी हद तक स्थिर रही।
- xvii. क्षति की अवधि में उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट आई। जांच की अवधि में आधार वर्ष की तुलना में उत्पादन में 20% की गिरावट आई।
- xviii. घरेलू उद्योग ने क्षति की अवधि में उत्पादन में लगभग 25,000 एमटी का नुकसान किया।
- xix. 2022-23 में बिक्री में गिरावट देखी गई, 2023-24 में मामूली सुधार देखा गया और जांच की अवधि के दौरान फिर से गिरावट आई।
- xx. बढ़ती मांग के बावजूद, घरेलू बिक्री में आधार वर्ष की तुलना में 20% की गिरावट आई, जो जांच की अवधि में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। मूल्य के संदर्भ में, बिक्री में [***] करोड़ रुपये की गिरावट आई।
- xxi. संबद्ध देश की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई, जबकि घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई और यह संभावित ***% के मुकाबले ****% तक सीमित रही।
- xxii. आधार वर्ष में घरेलू उद्योग लाभप्रद था। तथापि, संबद्ध देश से आयात में वृद्धि के साथ, पहुंच कीमतों में भारी गिरावट के साथ, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता काफी कम हो गई और परिणामस्वरूप हानियां हुई।
- xxiii. पाटित आयातों में और वृद्धि से, घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री लागत से ऊपर बेचने से रोक दिया। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को वित्तीय हानियां होनी जारी रही।
- xxiv. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग की क्षति आधार वर्ष में क्षमता विस्तार की कमी के कारण हुई है, घरेलू उद्योग के सभी तीन संयंत्र चालू थे और उचित लाभ अर्जित कर रहे थे। हालाँकि, पाटित आयातों के कारण, घरेलू उद्योग को अपने दो संयंत्र बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्हीं संयंत्रों और सुविधाओं का प्रचालन आधार वर्ष में लाभप्रद रूप से किया जा रहा था। निष्पादन में गिरावट केवल पाटित आयातों में वृद्धि से हुई है।
- xxv. इस अनुरोध के संबंध में कि यूरिया में गिरावट के कारण मेलामाइन की कीमतों में गिरावट आई, संबद्ध सामानों की पहुंच कीमत में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से अधिक गिरावट आई। इसके अलावा, चीन से निर्यात कीमत में अन्य देशों से निर्यात कीमत की अपेक्षा अधिक गिरावट आई।
- xxvi. इस अनुरोध के संबंध कि घरेलू उद्योग को क्षति निर्यातों में वृद्धि के कारण है,, घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्री में गिरावट आई है।

छ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

74. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ..." ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रुकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा एवं मार्जिन आदि जैसे उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध- II के अनुसार विचार किया गया है।

75. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में विभिन्न अनुरोधों की जांच और विश्लेषण रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों और लागू कानूनों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। प्राधिकारी द्वारा क्षति विश्लेषण यथा-तथ्यतः घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को हल करता है।

तकनीकी और संरचनात्मक नुकसान के कारण संयंत्र-I और संयंत्र-II बेकार होने के संबंध में अनुरोध

76. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग के संयंत्र-1 और संयंत्र-2 तकनीकी और संरचनात्मक कमियों के कारण बेकार पड़े हैं, जो घरेलू उद्योग को हुई क्षति के लिए जिम्मेदार हैं, प्राधिकारी यह पाते हैं कि जिन दो इकाइयों को ऐसे नुकसान से पीड़ित होने का आरोप लगाया गया है, वे पहले से ही बंद हैं। चूंकि घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में इन दो संयंत्रों से संबंधित कोई भी लागत शामिल नहीं है, और दावा की गई क्षति केवल संयंत्र III से संबंधित है, इसलिए संयंत्र I और II की तकनीकी और संरचनात्मक कमियों को क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

77. घरेलू उद्योग ने अपने निष्पादन की तुलना की है कि क्या आयात उत्पाद की वैश्विक निर्यात कीमतों के बराबर कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश किया था (अर्थात्, चीन को छोड़कर सभी देशों से निर्यात कीमतें)। यह तुलना दर्शाती है कि, ऐसी कीमतों पर, घरेलू उद्योग ने लाभ कमाया होता। यह भी देखा जाता है कि चीन से निर्यात कीमत अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। तदनुसार, घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई क्षति को उसकी तकनीकी और संरचनात्मक कमियों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

क्षति का कारण होने वाले छोटे पैकेजिंग संबंधी अनुरोध

78. उपर्युक्त इस अनुरोध के संबंध कि क्षति पैकेजिंग सीमाओं के कारण हुई है, जिसमें जंबो बैग में उत्पाद की आपूर्ति करने में घरेलू उद्योग की कथित अक्षमता भी शामिल है, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने निर्यात बाजार के लिए 1000 किलोग्राम के बिक्री बीजक प्रदान किए हैं। यह भी देखा जाता है कि केवल पैकेजिंग में अंतर, पहुंच कीमत और बिक्री लागत के बीच अंतर को सही नहीं ठहराता है। तदनुसार, अन्य हितधारकों के दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

असाधारण होने के नाते विगत में अधिक कीमतों संबंधी अनुरोध

79. इस अनुरोध के संबंध में कि 2021-22 में प्रचलित कीमतें कोविड-19 महामारी और रूस-यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न असाधारण वैश्विक परिस्थितियों के कारण अधिक थीं, यह देखा जाता है कि वर्तमान जांच में क्षति का विश्लेषण पूरी क्षति की अवधि के आधार पर किया गया है न कि अलग किसी एक वर्ष के संदर्भ में। जबकि यह स्वीकार किया जाता है कि आधार वर्ष के दौरान कीमतें तुलनात्मक रूप से अधिक थीं, वर्तमान जांच के प्रयोजनों के लिए संगत विचार क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच है। जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का निष्पादन आधार वर्ष की तुलना में काफी खराब हो गया। पाटन की मौजूदगी की जांच जांचावधि के संदर्भ में की गई है, न कि आधार वर्ष के संदर्भ में। इस तथ्य से कि आधार वर्ष के दौरान कीमतें अधिक हो सकती हैं, जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा अनुभव किए गए प्रतिकूल कीमत प्रभावों को कम नहीं किया जाता है, क्योंकि यह डंप पाटित आयातों के परिणामस्वरूप होता है।

जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों संबंधी अनुरोध

80. घरेलू उद्योग का तर्क है कि जांच की अवधि के बाद, जबकि संबद्ध सामानों की मांग समान स्तर पर बनी रही, चीन से आयात और बढ़ गया और इसके साथ ही पहुंच कीमतों में गिरावट आई। परिणामस्वरूप, जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की हानियां बढ़

गई। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के बाद निष्पादन की जांच तब आवश्यक नहीं है जब प्राधिकारी ने पहले ही यह पाया हो कि घरेलू उद्योग को वर्तमान जांच की अवधि में वास्तविक क्षति हुई है प्राधिकारी ने जांच की अवधि पहले ही 12 माह की अवधि मानी है जो घरेलू उद्योग को पाटन और परिणामी क्षति, दोनों का मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त है।

आयात कीमतों में गिरावट के कारण यूरिया की कीमतों में गिरावट संबंधी अनुरोध

81. उपरोक्त मुद्दे पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि कच्चे माल की कीमतों में कोई भी गिरावट वैश्विक स्तर पर उत्पादकों पर समान रूप से लागू होगी न कि केवल चीन जन.गण. के उत्पादकों पर। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि कच्चे माल में गिरावट के कारण मेलामाइन की कीमतों में गिरावट आई है।

नियोजित पूंजी पर 22% आय की उपयुक्तता संबंधी अनुरोध

82. हितबद्ध पक्षकारों ने नियोजित पूंजी पर 22% आय का विचार करने और पाटन के आरोपों से मुक्त अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित नियोजित पूंजी पर वास्तविक आय को अपनाने पर विवाद किया है। इसके लिए, हितबद्ध पक्षकारों ने ब्रिज स्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग और अन्य बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी और मेसर्स ह्योसुंग कारपोरेशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में माननीय सेस्टैट अधिकरण के निर्णय पर विश्वास किया है। नोट करते हैं कि नियमावली का अनुबंध-III नियोजित पूंजी पर उचित आय (कर-पूर्व) का उल्लेख करता है और नियोजित पूंजी पर उचित आय के आधार पर घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत निर्धारित करना प्राधिकारी की सतत परिपाटी है, जो 22% है। हितबद्ध पक्षकारों के ब्रिज स्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग और अन्य बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के संदर्भ के संबंध में, यह देखा जाता है कि इस मामले में हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी की सतत परिपाटी से अलग औचित्य देने वाले विशिष्ट साक्ष्य दिया था। हालाँकि, वर्तमान मामले में हितबद्ध पक्षकारों ने इस प्रकार अलग रखने का कोई औचित्य बताने के लिए रिकॉर्ड में कोई साक्ष्य नहीं दिया है। हितबद्ध पक्षकारों के मेसर्स ह्योसुंग कॉर्पोरेशन बनाम सेस्टैट द्वारा लिए गए इस निर्णय के बाद, कई मामले हुए हैं, जिनमें तंगशान सान्यो ग्रुप हांगकांग इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ, मेरिनो पैनल प्रोडक्ट्स बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी और मेसर्स पस्टॉर्प केमिकल्स जीएमबीएच और अन्य बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी और अन्य शामिल हैं, जिनमें माननीय सेस्टैट अधिकरण ने क्षति विश्लेषण के लिए 22% आरओसीई अपनाने की प्राधिकारी की परिपाटी को निरंतर

ठीक माना है। अतः, प्राधिकारी वर्तमान जांच में नियोजित पूंजी पर 22% आय पर विचार करना उचित पाते हैं।

83. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और तर्कों पर विचार करते हुए वस्तुनिष्ठ रूप से क्षति के मापदंडों की जांच की है। प्राधिकारी द्वारा किए गए क्षति विश्लेषण में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की किए गए विभिन्न अनुरोधों को यहां नीचे हल किया गया है।

छ.3.1 मांग/खपत का आकलन

84. प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से मेलामाइन के आयात के योग के रूप में निर्धारित किया है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
1	आवेदक की घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	80	82	79
2	चीन जन.गण. से आयात	एमटी	60,648	75,806	85,493	114,357
3	अन्य देशों के आयात	एमटी	12,858	9,282	6,381	3,273
4	कुल मांग	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	110	131

85. यह देखा जाता है कि क्षति की अवधि में उत्पाद की मांग बढ़ गई है। आधार वर्ष और उससे ठीक पहले के वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में भी मांग में वृद्धि हुई है। जाँच अवधि में भी आधार वर्ष तथा उससे ठीक पूर्व की अवधि की तुलना में माँग में वृद्धि हुई है। 2021-22 और 2022-23 में माँग 1,10,000–1,20,000 मीट्रिक टन, 2023-24 में 1,20,000–1,30,000 मीट्रिक टन तथा जाँच अवधि में 1,40,000–1,50,000 मीट्रिक टन के दायरे में थी।

छ.3.2 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क. निरपेक्ष और सापेक्ष रूप से आयात

86. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या पाटित आयातों में काफी वृद्धि हुई है, या तो पूर्ण रूप से या भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष। क्षति विश्लेषण के लिए, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। सूचना निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
1	आयात मात्रा	एमटी	60,648	75,806	85,493	114,357
2	आयात मूल्य	लाख रु.	89,951	80,924	69,286	86,773
3	अन्य देशों से आयात	एमटी	12,858	9,282	6,381	3,273
4	निम्नलिखित के संबंध में आयात					
क	भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	138	171	235
ख.	भारतीय खपत	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	121	129	144
ग.	कुल आयात	%	83	89	93	97
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	113	118

87. यह देखा जाता है कि:

- संबद्ध देश से आयात में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है और जांच की अवधि में तेज वृद्धि हुई है।
- जबकि संबद्ध देश से आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है, संबद्ध देश से आयात का मूल्य क्षति की अवधि में कम हो गया है।
- भारतीय उत्पादन के संबंध में संबद्ध देश से आयात जांच की अवधि में आधार वर्ष में ***% से बढ़कर जांच की अवधि में ***% हो गया है।

- iv. भारतीय खपत के संबंध में संबद्ध देश से आयात जांच की अवधि में आधार वर्ष में ***% से बढ़कर जांच की अवधि में ***% हो गया है।
 - v. संबद्ध देश से आयात में वृद्धि हुई है, लेकिन क्षति की अवधि में अन्य देशों से आयात में गिरावट आई है। परिणामस्वरूप, कुल आयात में संबद्ध आयात की हिस्सेदारी आधार वर्ष में 83% से बढ़कर जांच की अवधि में 97% हो गई।
88. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि संबद्ध देश से आयात में वृद्धि के परिणामस्वरूप अन्य देशों से आयात विस्थापित हो गया और संबद्ध आयात को अन्य देशों द्वारा पहले रखे गए बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा करने में सक्षम बनाया। प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम आयात आंकड़ों से क्षति की अवधि के दौरान आयात प्रवृत्तियों की जांच की है। 2021 तक चीन जन.गण. से आयात पर विगत में पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था और उस अवधि के दौरान भारतीय बाजार में यूरोपीय संघ, जापान, कतर और संयुक्त अरब अमीरात से काफी आयात हुए थे। 2021 में शुल्क समाप्त हो गए और पाटनरोधी शुल्कों की समाप्ति के बाद, संबद्ध देश से आयात तेजी से बढ़ गया और अन्य देशों से आयात में गिरावट आई। संबद्ध देश से आयात में वृद्धि अन्य देशों से आयात में गिरावट के साथ हुई, जिससे पता चलता है कि संबद्ध आयात ने पहले ऐसे आयातों द्वारा पूर्व में किए गए काम पर बाजार का एक भाग दे दिया।

छ.3.3 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

89. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में नियमावली के अनुबंध II(ii) के अनुसार प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से काफी कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव काफी मात्रा तक अन्यथा कीमत हास करने के लिए है या कीमत वृद्धि रोकने के लिए है जो अन्यथा काफी मात्रा तक हुई होती।

क) कीमत कटौती

90. जांच की अवधि के लिए आयातों की पहुंच कीमत से घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना करके कीमत कटौती निर्धारित की गई है। नीचे दी गई तालिका संबद्ध देश से कीमत कटौती को दर्शाती है।

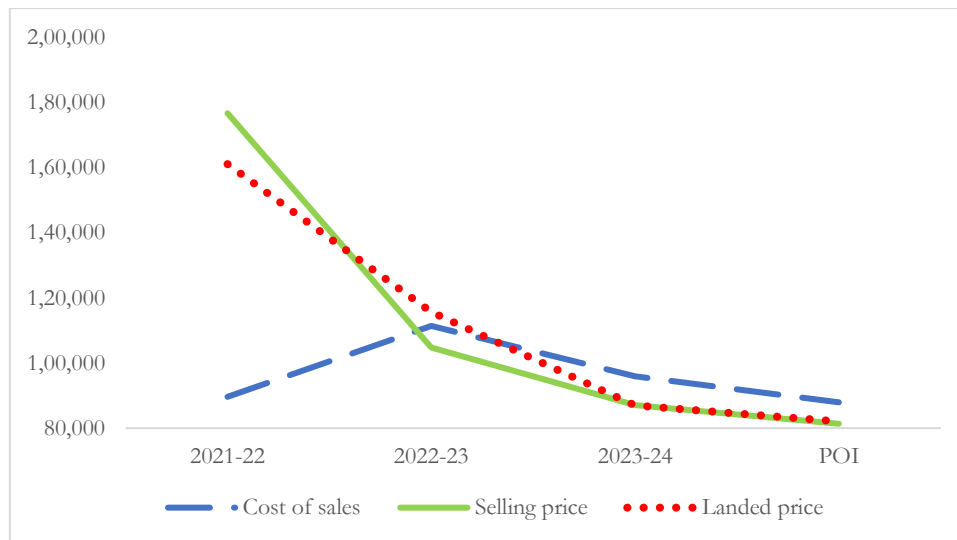
क्र.सं.	विवरण	यूओएम	राशि
1	आयातों की पहुंच कीमत	रु./एमटी	***
2	निवल बिक्री कीमत	रु./एमटी	***
3	कीमत कटौती	रु./एमटी	***
4	कीमत कटौती	%	*** (10-0) %

91. यह देखा गया है कि जाँच अवधि के दौरान विषय देश से आयातों का लैंडेड मूल्य घरेलू उद्योग की शुद्ध बिक्री प्राप्ति से मामूली रूप से अधिक है। तदनुसार, विषय देश से मूल्य-अंडरकटिंग मामूली रूप से नकारात्मक है। यह देखा गया है कि किसी विशेष अवधि में नकारात्मक मूल्य-अंडरकटिंग, अपने आप में, मूल्य-क्षति की अनुपस्थिति स्थापित नहीं करती है। घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग उत्पाद का एकमात्र घरेलू आपूर्तिकर्ता है और आयात मुख्यतः विषय देश से होते हैं। अतः अनुलग्नक-II (ii) के अनुसार, डंप किए गए आयातों के कीमतों पर प्रभाव की आगे निम्नलिखित रूप से जाँच की गई है।

ख) कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

92. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों को कम कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को काफी मात्रा तक कम करना है या कीमतों में वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में हुई होती, क्षति की अवधि में लागत और कीमतों में परिवर्तन की तुलना निम्नानुसार की गई थी:

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
1	बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	124	107	98
2	बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	59	49	46
3	पहुंच कीमत	रु./एमटी	1,60,552	1,15,559	87,729	82,139
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	72	55	51



93. यह देखा जाता है कि:

- i. 2022-23 में, घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में *** रु. प्रति एमटी वृद्धि हुई, जबकि इसकी बिक्री कीमत *** रु. प्रति एमटी तक तेजी से गिरावट आई। पहुंच कीमत में भारी गिरावट के कारण बिक्री कीमत में गिरावट आई। इसके अलावा, बिक्री कीमत में गिरावट घरेलू उद्योग की बिक्री लागत के स्तर से भी नीचे थी।
- ii. 2023-24 में, घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और बिक्री कीमत, दोनों में गिरावट आई। हालाँकि, बिक्री कीमत में गिरावट बिक्री लागत में गिरावट से अधिक थी, क्योंकि पहुंच कीमत में गिरावट आई थी।
- iii. जांच की अवधि के दौरान, बिक्री की लागत में *** रु. प्रति एमटी तक गिरावट आई, जबकि बिक्री कीमत में *** रु. प्रति एमटी तक की गिरावट आई। यद्यपि बिक्री की लागत में कमी बिक्री कीमत में गिरावट से अधिक थी, तथापि बिक्री कीमत लागत से नीचे बनी रही।
- iv. क्षति की अवधि के दौरान, जबकि बिक्री की लागत में 2% तक गिरावट आई, पहुंच कीमत में 49% तक गिरावट आई है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री कीमत 54% तक कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- v. इसलिए यह माना जाता है कि आयात बाजार में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत को कम कर रहे थे, और घरेलू उद्योग को लागत में परिवर्तन के संबंध में अपनी कीमत बदलने से रोक रहे थे।

छ.3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

94. नियमावली के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता के उपयोग सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले तत्वों; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारकों, पाटन मार्जिन की मात्रा; नकद प्रवाह; मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि और पूंजीगत निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों के उद्देश्यपूर्ण एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होने चाहिए। तदनुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों ने अपने दिए गए तर्कों और विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वस्तुपरक रूप से क्षति मापदंडों की जांच की है।

क. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री मात्रा

95. प्राधिकारी ने क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री पर विचार किया है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
1	संस्थापित क्षमता	एमटी	55,000	55,000	55,000	55,000
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
2	उत्पादन	एमटी	52,855	47,748	43,500	42,452
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	90	82	80
3	क्षमता उपयोग	%	96%	87%	79%	77%
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	55,000	55,000	55,000	55,000
4	घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	80	82	79
5	घरेलू बिक्री मूल्य	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	48	40	36

96. यह देखा जाता है कि:

- i. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता अपरिवर्तित रही। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उसने जांच की अवधि के दौरान दो संयंत्रों में उत्पादन रोक दिया है।
- ii. हालांकि उत्पाद की मांग, क्षति की अवधि के दौरान बढ़ गई, घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान 20% से अधिक अप्रयुक्त क्षमता से प्रचालन किया।
- iii. घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में क्षति की अवधि के दौरान लगातार गिरावट आई। घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में सबसे कम उत्पादन और क्षमता उपयोग दर्ज किया।
- iv. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री 2022-23 में घट गई और बाद की अवधि में मामूली रूप से बढ़ गई, लेकिन जांच की अवधि के दौरान फिर से घट गई।
- v. मांग में वृद्धि के बावजूद, जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री की मात्रा आधार वर्ष की तुलना में 21% तक घट गई। क्षति की अवधि में, घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य में [***] करोड़ रुपये की गिरावट आई।

ख. बाजार हिस्सा

97. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग, संबद्ध देश और अन्य देशों के बाजार हिस्से पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच निम्नलिखित रूप में की है।

क्र.सं.	बाजार हिस्सा	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
1	घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	78	74	60
2	संबद्ध देश से आयात	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	121	129	144
3	अन्य देशों से आयात	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	70	45	19

98. यह देखा जाता है कि:

- i. घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी क्षति की अवधि में लगातार घट गई है।
- ii. संबद्ध देश से आयात की बाजार हिस्सेदारी घरेलू उद्योग की तुलना में विपरीत दिशा में चली गई। जबकि घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई, संबद्ध देश से आयात की बाजार हिस्सेदारी में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई और जांच की अवधि में तेजी से वृद्धि हुई।
- iii. जांच की अवधि के दौरान अन्य देशों से आयात की बाजार हिस्सेदारी आधार वर्ष की तुलना में कम हो गई।

ग) लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

99. घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच लाभप्रदता, लाभ, नकद लाभ, पीबीआईटी और निवेश पर आय के संबंध में की गई है।

क्र.सं.	बाजार हिस्सा	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
1	लाभ/हानि	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-8	-10	-8
2	लाभ/हानि	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-6	-8	-6
3	नकद लाभ	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	0	-3	0
4	नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	0	-2	0
5	पीबीआईटी	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-8	-10	-8
6	पीबीआईटी	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-6	-8	-6
7	आरओआई	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-9	-13	-10

100. यह देखा जाता है कि:

- i. घरेलू उद्योग 2021-22 में लाभप्रद था। हालाँकि, 2022-23 में आयात की मात्रा में तेजी से गिरावट के साथ संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई, तथापि, घरेलू उद्योग का लाभ तेजी से कम हुआ और हानियाँ में बदल गया।
- ii. घरेलू उद्योग को 2022-23, 2023-24 और जांच की अवधि में नुकसान हुआ है।
- iii. घरेलू उद्योग का लाभ आधार वर्ष में *** करोड़ रु. था और जांच की अवधि में *** करोड़ रु. के नुकसान में बदल गया है।
- iv. आयात में वृद्धि के कारण लाभप्रदता में गिरावट से, घरेलू उद्योग का नकद लाभ, 2022-23 में तेजी से कम हो गया। बाद की अवधि में जैसे-जैसे नुकसान बढ़ता गया, नकद लाभ में और गिरावट आई और यह नकारात्मक हो गया।
- v. जबकि घरेलू उद्योग के नकद लाभ जांच की अवधि के दौरान मामूली रूप से सकारात्मक हो गए, यह घरेलू उद्योग के प्रचालनों को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त रहा है।
- vi. घरेलू उद्योग का पीबीटी प्रति इकाई के समान प्रवृत्ति का अनुसरण करता है। घरेलू उद्योग की ब्याज लागत बहुत कम है।
- vii. चूंकि घरेलू उद्योग को नुकसान हुआ, इसके निवेश पर आय तेजी से घट गई, 2022-23 में नकारात्मक हो गई, और उसके बाद नकारात्मक बनी रही।

घ. मालसूची

101. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
1	प्रारंभिक मालसूची	एमटी	***	***	***	***
2	अंतिम मालसूची	एमटी	***	***	***	***
3	औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	145	87	30

102. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की औसत मालसूची में 2022-23 में तेजी से वृद्धि हुई है। परंतु बाद की अवधि में गिरावट आई और जांच की अवधि में और गिरावट आई।
103. घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान अपने सबसे कम मालसूची स्तर दर्ज किया। मालसूची में गिरावट का प्राथमिक कारण अन्य संयंत्रों में उत्पादन का रुकना और लागत से कम होना बिक्री है।

ड.) रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

104. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता नीचे तालिका में दी गई है:

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
1	रोजगार की संख्या	संख्या	****	***	****	****
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	55	47	43
2	मजदूरी	लाख रु.	****	***	****	****
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	121	167	149
3	प्रतिदिन उत्पादकता	एमटी/दिन	****	***	****	****
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	90	82	80
4	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी/कर्मचारी	****	***	****	****
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	164	175	187

105. यह देखा जाता है कि:

- घरेलू उद्योग में रोजगार का स्तर क्षति की अवधि के दौरान कम हो गया।
- घरेलू उद्योग द्वारा भुगतान की गई मजदूरी 2022-23 में बढ़ गई और 2023-24 में और बढ़ गई। हालांकि, जांच की अवधि के दौरान मजदूरी में गिरावट आई।
- जांच की अवधि के दौरान प्रति दिन उत्पादकता में गिरावट आई, जबकि उसी अवधि के दौरान प्रति कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि हुई।

106. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट का कारण रोजगार में कमी के बावजूद मजदूरी में वृद्धि से उत्पन्न आंतरिक लागत प्रबंधन के मुद्दे हैं, यह देखा जाता है कि मजदूरी पर लागत आवेदक द्वारा दावा की गई उत्पादन की कुल लागत का केवल *** है। घरेलू उद्योग को हुई हानि कहीं अधिक है।

च. वृद्धि

107. क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्री मात्रा, पीबीटी, पीबीआईटी, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के संदर्भ में घरेलू उद्योग की वृद्धि नीचे दी गई तालिका के अनुसार है:

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2022-23	2023-24	पीओआई
1	उत्पादन	वाई/वाई	-10	-9	-2
2	क्षमता उपयोग	वाई/वाई	-9	-8	-2
3	घरेलू बिक्री	वाई/वाई	-20	2	-3
4	मालसूची	वाई/वाई	45	-40	-65
5	प्रति यूनिट लाभ	वाई/वाई	-108	-35	26
6	लाभ लाख रु. में	वाई/वाई	-106	-37	28
7	नकद लाभ	वाई/वाई	-100	-1,179	114
8	पीबीआईटी	वाई/वाई	-108	-35	26
9	आरओसीई	वाई/वाई	-63	-2	2

108. यह देखा जाता है कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की वृद्धि विभिन्न मात्रा मापदंडों में नकारात्मक रही है। जबकि यह कीमत मापदंडों में सकारात्मक है, यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग को बढ़ती हुई हानियों की मात्रा के साथ निरंतर हानियां हुई हैं।

छ) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

109. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय क्षति की अवधि में काफी कम हुई हैं। घरेलू उद्योग के प्रतिकूल वित्तीय निष्पादन ने अतिरिक्त पूंजी जुटाने और नए निवेश करने की उसकी क्षमता को क्षीण कर दिया है।
110. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया था कि उसने 40,000 मीट्रिक टन के एक अतिरिक्त संयंत्र की स्थापना करके अपनी मेलामाइन क्षमता का विस्तार करने की योजना बनाई थी, जिससे उसकी कुल स्थापित क्षमता में वृद्धि होगी। हालांकि, मौजूदा बाजार की स्थितियों और घरेलू उद्योग के वित्तीय निष्पादन में गिरावट को देखते हुए प्रस्तावित विस्तार को रोक दिया गया है। चूंकि घरेलू उद्योग का वित्तीय निष्पादन काफी प्रभावित होता है, इसलिए घरेलू उद्योग के ऐसे निवेश को सही ठहराने और सुरक्षित करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

ज. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

111. डीजी सिस्टम आयात आंकड़ों की जांच से पता चलता है कि संबद्ध देश से आयात कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से मामूली रूप से अधिक है। हालांकि, लागत में परिवर्तन के अनुपात में संबद्ध आयात की पहुंच कीमत नहीं बढ़ी है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री कीमत कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो बिक्री की लागत से नीचे गिर गई क्योंकि पहुंच कीमत भी बिक्री की लागत से काफी नीचे गिर गई। इस गिरावट का घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यह तथ्य कि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान हानियां उठाई हैं और निवेश पर नकारात्मक आय दर्ज की है, स्पष्ट रूप से पाटित आयातों का प्रतिकूल प्रभावों को दर्शाता है।

झ. पाटन का मात्रा

112. यह देखा जाता है कि पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी है।

छ.3.5 क्षति संबंधी निष्कर्ष

113. विचाराधीन उत्पाद के आयात और घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच से पता चलता है कि:
- संबद्ध देश से आयात आधार वर्ष में 60,648 एमटी से बढ़कर 1,14,357 एमटी हो गए हैं। आयात में निरपेक्ष रूप से वृद्धि हुई है।

- ii. उत्पादन के संबंध में आयात आधार वर्ष में ***% से बढ़कर जांच की अवधि में***% हो गए। खपत के संबंध में आयात आधार वर्ष में ***% से बढ़कर जांच की अवधि में ***% हो गए। आयात में सापेक्षिक रूप से वृद्धि हुई है।
- iii. अन्य देशों से आयात आधार वर्ष में 12,858 एमटी से घटकर जांच की अवधि में 3,273 एमटी हो गए हैं। चीन से पाटित आयातों ने अन्य देशों से किए गए आयात द्वारा पोषित बाजार को विस्थापित कर दिया है।
- iv. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत पहुंच कीमत से कम रही है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग लागत में परिवर्तन के अनुरूप अपनी कीमतों को समायोजित करने में असमर्थ रहा है। जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की कीमतों का हास हुआ।
- v. घरेलू उद्योग के उत्पादन, घरेलू बिक्री और क्षमता उपयोग में क्षति की अवधि में गिरावट आई।
- vi. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है। जबकि इसी अवधि के दौरान संबद्ध देश की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई।
- vii. घरेलू उद्योग द्वारा घाटे में की गई बिक्री के कारण क्षति की अवधि में औसत मालसूची में गिरावट आई।
- viii. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता 2022-23 में नकारात्मक हो गई और शेष अवधि के लिए हानियां होना जारी रहा। प्रति यूनिट लाभ ***रु. प्रति एमटी से घटकर (***) रु. प्रति एमटी की हानि में कम हो गया।
- ix. घरेलू उद्योग के पीबीआईटी और पूंजी पर आय इसी तरह 2022-23 में नकारात्मक हो गई और शेष अवधि के लिए नकारात्मक बना रही। नकद लाभ 2023-24 में नकारात्मक हो गया लेकिन जांच की अवधि के दौरान बढ़ गया।
- x. जाँच अवधि में मात्रा संबंधी मानकों के आधार पर घरेलू उद्योग की वृद्धि नकारात्मक रही। यद्यपि मूल्य संबंधी मानकों में मामूली सुधार हुआ, फिर भी घरेलू उद्योग को लगातार घाटा उठाना पड़ा।
- xi. घरेलू उद्योग की पूंजी जुटाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
- xii. पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित किया है।
- xiii. जांच की अवधि के दौरान पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी है।

ज. कारणात्मक संपर्क और गैर-आरोपण विश्लेषण

114. नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी को, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित आयातों को छोड़कर किसी अन्य कारक की जांच करना अपेक्षित है, जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं या जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है, ताकि इन अन्य कारकों से हुई क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार न ठहराया जाए। इस संबंध में जो कारक संगत हो सकते हैं, उनमें अन्य बातों के साथ साथ पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें, मांग में संकुचन या खपत के पैटर्न में परिवर्तन व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां और विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और निर्यात निष्पादन तथा घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल है। नीचे इस बात की जांच की गई है कि क्या नियमों के तहत सूचीबद्ध कारकों ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति में योगदान किया है।

क. तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमत

115. भारत में कुल आयात में संबद्ध देश से आयात का हिस्सा 90% से अधिक है। अन्य देशों से संबद्ध सामानों का आयात नगण्य मात्रा में और ऊंची कीमतों पर होता है और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि इससे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

ख. मांग में संकुचन

116. यह देखा जाता है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग क्षति की अवधि में बढ़ गई है। जांच से यह पता नहीं चला है कि मांग में गिरावट की संभावना है। इसलिए, मांग में गिरावट या मांग में गिरावट की संभावना घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने का कारण नहीं हो सकती है।

ग. व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां

117. ऐसी व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटी नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो या क्षति होने की संभावना हो।

घ. प्रौद्योगिकी का विकास

118. रिकॉर्ड में सूचना से पता चलता है कि उत्पाद के उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। घरेलू उद्योग, अपनी स्थापना के बाद से ही यूरिया आधारित मार्ग के माध्यम से संबद्ध सामानों का निर्माण कर रहा है। इसलिए, प्रौद्योगिकी घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने का कारण नहीं हो सकती।

ड. निर्यात निष्पादन

119. घरेलू उद्योग के निर्यात की मात्रा 2022-23 में बढ़ गई और उसके बाद इसमें गिरावट आई, हालांकि यह आधार वर्ष के स्तर से ऊपर रही। 2022-23 के बाद निर्यात में गिरावट के साथ घरेलू बिक्री में कोई वृद्धि नहीं हुई, जो 2023-24 में 32,924 एमटी और जांच की अवधि में 31,900 एमटी पर बनी रही। इसके बजाय घरेलू उद्योग ने अपना उत्पादन कम कर दिया। इस प्रकार, घरेलू बिक्री में गिरावट को निर्यात के लिए उत्पादन के विचलन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इसके अलावा, घरेलू प्रचालन के लिए क्षति विश्लेषण किया जाता है, इसलिए, निर्यात निष्पादन को घरेलू उद्योग को क्षति होने से नहीं जोड़ा जा सकता है।

च. कंपनी के अन्य उत्पादों का निष्पादन

120. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध सामानों के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है। अतः, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने का संभावित कारण नहीं है। खुले बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा यूरिया की बिक्री से संबंधित तर्क के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति विश्लेषण केवल घरेलू उद्योग के मेलामाइन प्रचालनों से संबंधित है, और यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है कि मेलामाइन का उत्पादन यूरिया की अनुपलब्धता से बाधित था।

छ. पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क

121. ऊपर सूचीबद्ध कारक स्पष्ट रूप से यह सिद्ध करते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति अन्य कारकों के कारण नहीं हुई है। निम्नलिखित कारक घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क स्थापित करते हैं।

क. संबद्ध देश से आयात पाटित कीमतों पर हैं।

ख. आयात कीमत घरेलू उद्योग की लागत से कम है और इसने इसे पर्याप्त लाभकारी कीमत वसूलने से रोक दिया है। परिणामस्वरूप, पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास किया है।

ग. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता 2022-23 में घाटे में चली गई और जांच की अवधि में भी हानियों में बनी रही।

- घ. चूंकि संबद्ध देश से पाटित आयात कम कीमतों पर हैं, इसलिए वे घरेलू मांग में काफी हिस्सेदारी रखते हैं।
- ड. बाजार में इसके उत्पाद की पर्याप्त मांग होने के बावजूद जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन, घरेलू बिक्री और क्षमता उपयोग में गिरावट आई है।

झ. क्षति मार्जिन की मात्रा

122. प्राधिकारी ने यथासंशोधित अनुबंध III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की क्षतिरहित कीमत घरेलू उद्योग द्वारा दी गई उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षति मार्जिन के परिकलन के लिए संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना करने के लिए क्षतिरहित कीमत पर विचार किया गया है। क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए क्षति की अवधि में कच्ची सामग्री और उपयोगिताओं के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। क्षति की अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। उत्पादन लागत से असाधारण अथवा गैर-आवर्ती व्यय अलग किए गए हैं। विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत निवल अचल परिसंपत्तियां और औसत कार्यशील पूंजी) पर उपयुक्त आय (कर-पूर्व 22% की दर से) पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित क्षतिरहित कीमत निकालने के लिए कर पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी।
123. ऊपर निर्धारित क्षतिरहित कीमत की तुलना विचाराधीन उत्पाद के लिए पहुंच कीमत से की गई है। संबद्ध देश में नमूनाकृत उत्पादकों के लिए पहुंच कीमत उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर निर्धारित की गई है। गैर-नमूनाकृत सहयोगी उत्पादकों के लिए क्षति मार्जिन नमूनाकृत सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित भारित औसत क्षति मार्जिन के आधार पर निर्धारित किया गया है। चीन जन.गण. से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। नियमों के नियम 6(8) के अनुसार। घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित गैर-क्षतिकारक मूल्य US\$ 1,100–1,200 प्रति मीट्रिक टन के दायरे में हैं।

क्षति मार्जिन						
क्र.सं.	उत्पादक का नाम	एनआईपी	पहुंच कीमत	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन
		डॉ./एमटी	डॉ./एमटी	डॉ./एमटी	%	रेंज (%)
1	हुआकियांग केमिकल ग्रुप स्टॉक कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	30-40
2	शिनजियांग यिहुआ केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	20-30
3	शिनजियांग शिनलियानक्सिन एनर्जी केमिकल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	20-30
4	गैर-नमूनाकृत सहयोगी उत्पादक	***	***	***	***	20-30
5	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	50-60

ज. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

124. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- घरेलू बाजार में मांग-आपूर्ति का काफी अंतर है।
- घरेलू उद्योग मेलामाइन का एकमात्र घरेलू उत्पादक है, और इसकी उत्पादन क्षमता घरेलू मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है, जिससे पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आयात आवश्यक हो जाता है।
- मेलामाइन पर पाटनरोधी शुल्क लगाना सार्वजनिक हित में नहीं होगा, क्योंकि इससे निचले स्तर के उद्योगों, विशेष रूप से एमएसएमई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो एक प्रमुख कच्चे माल के रूप में मेलामाइन पर भारी निर्भर हैं।

- iv. मेलामाइन फॉर्मैलिडहाइड मोल्डिंग पाउडर (एमएफएमपी) के निर्माण के लिए मेलामाइन एक महत्वपूर्ण इनपुट है, साथ ही लैमिनेट, प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड, कोटिंग्स और चिपकने वाले जैसे उत्पादों के लिए, जो निर्माण, आवास, बुनियादी ढांचे और उपभोक्ता सामानों के क्षेत्रों में काम करते हैं।
- v. एमएफएमपी उत्पादन अत्यधिक लागत-संवेदी है, जिसमें मेलामाइन कुल उत्पादन लागत का एक बड़ा हिस्सा है। मेलामाइन पर किसी भी पाटनरोधी शुल्क से उत्पादन लागत में सीधे वृद्धि होगी, आयातित तैयार एमएफएमपी के मुकाबले घरेलू एमएसएमई निर्माताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो जाएगी, और इसके परिणामस्वरूप व्यवसाय में हानि और इकाइयों के संभावित रूप से बंद होने की संभावना है।
- vi. ये निचले स्तर के उद्योग बहुत कम मार्जिन पर काम करते हैं और अत्यधिक कीमत संवेदी होते हैं। मेलामाइन की कीमतों में मामूली वृद्धि से भी मार्जिन काफी कम हो जाएगा, प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो जाएगी और वर्तमान बाजार के माहौल में उच्चतर बिक्री कीमतों के माध्यम से इसकी वसूली नहीं हो पाएगी।
- vii. पाटनरोधी शुल्क से होने वाली उत्पादन लागतों में कोई भी वृद्धि उपभोक्ताओं पर लगने की संभावना है, जिससे मूल्य वृद्धि के प्रभाव बढ़ेंगे।
- viii. शुल्क लगाने से इनपुट लागत में वृद्धि से एमएसएमई-आधारित निचले स्तर के उद्योगों की रोजगार, प्रतिस्पर्धात्मकता और समग्र अर्थक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- ix. भारत सरकार का वर्तमान नीतिगत दृष्टिकोण इनपुट लागत कम करना, कच्ची सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना और विशेष रूप से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों और कीमत अस्थिरता के आलोक में रासायनिक मूल्य श्रृंखला में औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करना है।
- x. सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 12/2026 दिनांक 1 अप्रैल 2026 से मेलामाइन मूल्य श्रृंखला से जुड़े कई प्रमुख रासायनिक इनपुट और मध्यवर्ती पर सीमा शुल्क को शून्य हो गया है। यह प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने, निचले स्तर के उद्योगों का समर्थन करने और लागत प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के सरकार के इरादे को दर्शाता है।

- xi. प्लाईवुड और पैनल उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) के कार्यान्वयन सहित विनियामक विकास से मेलामाइन की मांग बढ़ने की उम्मीद है, जिससे प्रतिस्पर्धी कीमत वाले आयातों की उपलब्धता और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी।
- xii. चूँकि घरेलू उद्योग मेलामाइन का भारत का एकमात्र निर्माता है, इसलिए आयात पर किसी भी प्रतिबंध से उचित प्रतिस्पर्धा, बाजार संतुलन, आपूर्ति सुरक्षा और प्रयोक्ता उद्योगों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- xiii. जबकि भारी मांग और आपूर्ति अंतर है, लेकिन इस अंतर का कारण उद्योग की मंदी है।
- xiv. लकड़ी आधारित घरेलू उद्योग के पास टीबीटी आयात प्रतिबंधों के माध्यम से पर्याप्त सुरक्षा है और इसे और अधिक या आगे नहीं बढ़ना चाहिए।
- xv. लकड़ी आधारित उद्योग खंड में उपभोक्ता उद्योगों की अनियोजित या अव्यवहार्य क्षमताओं को टिकाऊ नहीं बनाया जा सकता है, भले ही सरकार के किसी भी कार्यक्रम के तहत मुफ्त यूरिया या मेलामाइन की पेशकश की जाए।
- xvi. आयातित मेलामाइन कुल उत्पादन लागत का 36% है। मेलामाइन की कीमतों में मामूली वृद्धि से प्रचालन मार्जिन में काफी दबाव होता है।
- xvii. शुल्क लगाने से एमएफएमपी उत्पादन लागत 11.45 रु./किग्रा बढ़ जाएगी। कीमत 118.40 रु./किग्रा से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती, इससे मौजूदा लाभ मार्जिन में 53% तक कमी आएगी।
- xviii. सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के बावजूद, सार्वजनिक हित में कार्य नहीं कर रहा है।
- xix. जीएसएफसी को 15 से अधिक वर्षों तक पाटनरोधी शुल्क से लाभ हुआ। शुल्क लगाया जाना जनहित में नहीं है।
- xx. जीएसएफसी अपने संयंत्रों में कैप्टिव रूप से खपत के बजाय सरकारी प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए खुले बाजार में यूरिया की आपूर्ति करता है।

अ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

125. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. पाटनरोधी शुल्क यह सुनिश्चित करके उचित प्रतिस्पर्धा को बहाल करता है कि घरेलू विनिर्माता समान व्यापारिक क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हैं।
- ii. भारत में एकमात्र उत्पादक होने और मांग-आपूर्ति घाटे के बाजार में काम करने के बावजूद, घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण काफी निष्क्रिय क्षमता का सामना करना पड़ रहा है।
- iii. पाटित आयातों के प्रभाव के परिणामस्वरूप पहले ही दो उत्पादन संयंत्र बंद हो चुके हैं, और इस बात का गंभीर खतरा है कि शेष संयंत्र भी कम कीमत वाले आयात के कारण गैर-अर्थक्षम हो सकते हैं। इससे भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर हो जाएगा और काफी रोजगार के नुकसान का कारण बनेगा।
- iv. कम कीमत वाले पाटित आयातों के निरंतर प्रवाह ने संभावित नए प्रवेशकों के लिए घरेलू उत्पादन को आर्थिक रूप से गैर-अर्थक्षम बना दिया है, जिससे आवेदक भारत में एकमात्र उत्पादक रह गया है। इसलिए पाटन ने न केवल मौजूदा घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि प्रवेश के लिए एक बाधा के रूप में भी काम किया है, जिससे सरकार की "मेक इन इंडिया" पहल कमजोर हुई है।
- v. घरेलू उद्योग ने अतिरिक्त 40,000 एमटी संयंत्र में लगभग 800 करोड़ रुपये का निवेश करके अपनी क्षमता को 15,000 एमटी से 55,000 एमटी तक बढ़ाया।
- vi. हालाँकि, चीन जन.गण. से भारी मात्रा में पाटित आयातों के कारण, उद्योग को प्रचालन में कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ा है और वर्तमान में केवल एक संयंत्र प्रचालन में है, जिससे 15,000 एमटी क्षमता बेकार है। यह दर्शाता है कि जो क्षति हुई है, वह क्षमता का विस्तार करने में किसी विफलता के बजाय पाटित आयातों के कारण हुई है।
- vii. मेलामाइन का उपयोग प्लाईवुड, लैमिनेट और पिगमेंट सहित कई उद्योगों में किया जाता है। हालाँकि, इसका इन उत्पादों की सीधे खपत नहीं की जाता है। बल्कि, इसे पहले मेलामाइन फॉर्मेलिहाइड रेजिन में परिवर्तित किया जाता है, जिसका उपयोग निचले स्तर के उत्पादों के निर्माण में किया जाता है।
- viii. चूंकि मेलामाइन फॉर्मेलिहाइड रेजिन स्वयं एक मध्यवर्ती इनपुट है, इसलिए प्रस्तावित उपायों का कोई भी प्रभाव विनिर्माण प्रक्रिया के भीतर आ जाता है। परिणामस्वरूप, प्रस्तावित शुल्कों का निचले स्तर के उत्पादों पर केवल न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा।

- ix. वाणिज्यिक प्लाईवुड, वेनियर, रंगद्रव्य और लैमिनेट जैसे निचले स्तर के उत्पादों के उत्पादन की कुल लागत में मेलामाइन की हिस्सेदारी मामूली है। इसलिए, निचले स्तर के उद्योगों पर प्रस्तावित उपायों का प्रभाव न्यूनतम होगा।
- x. भले ही मेलामाइन की कीमत में 20% की वृद्धि हो, अंतिम उत्पाद पर इसका प्रभाव लगभग 5% होगा। मेलामाइन फॉर्मेलिहाइड रेजिन के उत्पादक कच्चे माल की लागत में किसी भी वृद्धि को अपने ग्राहकों को तक लगा सकते हैं, विशेष रूप से चूंकि मेलामाइन फॉर्मेलिहाइड रेजिन का आयात सीमित है। मेलैमाइन फॉर्मेलिहाइड रेजिन की 150,000 एमटी की वार्षिक मांग के मुकाबले, मेलैमाइन फॉर्मेलिहाइड रेजिन का आयात केवल 5,000 एमटी है।
- xi. प्रयोक्ता उद्योग काफी हद तक कीमत आगे बढ़ाने के आधार पर काम करता है। तदनुसार, पाटनरोधी शुल्क के परिणामस्वरूप लागत में कोई भी वृद्धि समग्र मांग या अंतिम उपभोक्ता कीमतों पर न्यूनतम प्रभाव के साथ आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से लगाए जाने की संभावना है।
- xii. यह कोई भी तर्क कि प्रस्तावित शुल्क से निचले स्तर के प्रयोक्ताओं को क्षति होगी, साक्ष्यों द्वारा समर्थित नहीं है। पाटनरोधी शुल्क लगभग दो दशकों तक लागू रहे, फिर भी निचले स्तर के विनिर्माताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं दर्शाया गया था।
- xiii. लगभग बीस वर्षों तक पाटनरोधी शुल्क लागू रहने के बावजूद उत्पाद की मांग लगातार बढ़ी। यहां तक कि जब कीमतें 161 रु./किग्रा तक पहुंच गईं, तब भी मांग बढ़ती रही, जिससे पता चला कि निचले स्तर के उद्योग मांग पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव के बिना उच्च इनपुट लागतें लेने में सक्षम थे।
- xiv. निचले स्तर के प्रयोक्ताओं के लाभप्रदता आंकड़े आगे किसी भी वास्तविक प्रभाव के अभाव की पुष्टि करते हैं। मेलामाइन की कीमतों में पर्याप्त कमी के बावजूद, निचले स्तर के प्रयोक्ताओं ने लाभप्रदता में तदनरूपी सुधार का अनुभव नहीं किया। कई मामलों में, लाभप्रदता जांच की अवधि के दौरान या तो कम हुई है या व्यापक रूप से स्थिर रही।
- xv. यहां तक कि आधार वर्ष में भी, जब मेलामाइन की पहुंच कीमत काफी अधिक थी, तब भी निचले स्तर के उद्योग लाभप्रद रूप से काम करते रहे।

- xvi. यह अनुरोध कि पाटनरोधी शुल्क एमएसएमई को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा, गलत है, क्योंकि भाग लेने वाले प्रयोक्ताओं में से कोई भी एमएसएमई के रूप में पात्र नहीं है। भाग लेने वाली प्रत्येक कंपनी का वार्षिक कारोबार 2,000 करोड़ रुपये से अधिक है।
- xvii. पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारतीय बाजार में गुणवत्ता मानकों की रक्षा करने में मदद मिलेगी। पूर्व में, चीन जन.गण. से आयात की गुणवत्ता के बारे में चिंताएं जताई गई हैं।
- xviii. यह देखते हुए कि मेलामाइन का व्यापक रूप से प्लेट, कप और लैमिनेट जैसे उपभोक्ता उत्पादों में उपयोग किया जाता है, घटिया आयात का निरंतर प्रवाह अंतिम उपभोक्ताओं के लिए संभावित जोखिम पैदा करता है।
- xix. जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने सामाजिक विकास गतिविधियों पर 21.98 करोड़ रुपये का व्यय किया।
- xx. कम कीमत वाले पाटित आयातों के कारण, आवेदक को काफी वित्तीय हानियां और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय हो रही हैं। भारत में एकमात्र निर्माता के रूप में, निरंतर क्षति आवेदक को प्रचालन बंद करने के लिए मजबूर कर सकती है, जिससे रोजगार और आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- xxi. पाटनरोधी उपायों का उद्देश्य कृत्रिम रूप से न्यूनीकृत कीमतों को बनाए रखने के बजाय निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बहाल करना है। उपभोक्ता पाटित आयातों तक पहुंच के अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाजार प्रतिभागियों से अनुचित कीमत निर्धारण परिपाटियों से लाभ के बजाय उचित बाजार स्थितियों के तहत काम करने की उम्मीद की जाती है।
- xxii. सरकार द्वारा सीमा शुल्क में कमी एक अस्थायी उपाय है जिसका उद्देश्य अल्पकालिक आपूर्ति चिंताओं को दूर करना, व्यापार को सुविधाजनक बनाना और आपूर्ति स्थिरता सुनिश्चित करना है। इसके विपरीत, पाटनरोधी शुल्क अनुचित व्यापार परिपाटियों को दूर करते हैं।
- xxiii. प्लाईवुड और पैनल उत्पादों पर लागू गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) जैसे विनियामक विकास वर्तमान जांच के लिए संगत नहीं हैं। भले ही इस तरह के उपायों से मेलामाइन की मांग बढ़ जाए, लेकिन वे पाटित आयातों को जारी रखने को सही नहीं ठहरा सकते।

- xxiv. प्रस्तावित उपाय प्रतिस्पर्धा को समाप्त नहीं करेंगे। संबद्ध और गैर-संबद्ध देशों, दोनों से आयात उपलब्ध रहना जारी रहेगा, जिससे पर्याप्त आपूर्ति और प्रतिस्पर्धी बाजार की स्थितियां सुनिश्चित होगी।

अ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

126. प्राधिकारी ने विचार किया कि क्या प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क लगाना जन हित के विरुद्ध होगा। यह निर्धारण रिकॉर्ड में मौजूद सूचना और विभिन्न पक्षकारों के हितों पर विचार करने के आधार पर किया गया है, जिसमें घरेलू उद्योग, आयात और उत्पाद के उपभोक्ता शामिल हैं।
127. यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी उपायों का उद्देश्य, सामान्य तौर पर, पाटन की अनुचित व्यापार परिपाटियों से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुले और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति को फिर से स्थापित किया जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क भारत में संबद्ध सामानों का उपयोग करके निर्मित अन्य निचले स्तर के उत्पादों के साथ-साथ विचाराधीन उत्पाद के कीमत स्तर को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि, भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपायों के लागू होने से कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपायों को लगाने से घरेलू उद्योग के निष्पादन मापदंडों में गिरावट को रोका जा सकेगा जो संबद्ध देश से कम कीमत वाले आयात के परिणामस्वरूप हो सकता है और विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ताओं के लिए विकल्पों की व्यापक उपलब्धता को बनाए रखने में मदद मिलेगी।
128. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से आयात प्रतिबंधित नहीं होते। आयात उचित कीमतों पर होता रहेगा। आयात के आंकड़ों के विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि संबद्ध देश से उत्पाद के पाटन के कारण अन्य देशों से आयात में कमी आई है। यह देखा जाता है कि विगत में जब चीन से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क था, तो अन्य देशों से आयात की काफी मात्रा थी। हालाँकि, पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से, इन तीसरे देश के आयातों में भारी गिरावट आई है। पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आयात उचित कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहे हैं और विदेशी निर्यातकों और घरेलू उद्योग के बीच एक उचित व्यापारिक क्षेत्र बनाए रखा जाता है।
129. प्राधिकारी ने एक आर्थिक हित प्रश्नावली निर्धारित की है, जो इस जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों को भेजी गई थी। घरेलू उद्योग, इंडियन लैमिनेट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, मेरिनो

लैमिनेट लिमिटेड, सेंचुरी प्लाईबोर्ड (इंडिया) लिमिटेड, ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, विर्गो लैमिनेट लिमिटेड और प्रिस्टीन मेलामाइन एलएलपी ने आर्थिक हित प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं।

130. सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 12/2026 और सीमा शुल्क में कटौती से संबंधित हालिया नीतिगत उपायों के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के बारे में, यह नोट किया जाता है कि वे उपाय सामान्य सीमा शुल्क उपाय हैं जो सरकार के राजकोषीय और व्यापार नीति उद्देश्यों के अनुसार लागू होते हैं। हालाँकि, वर्तमान जांच सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और पाटनरोधी नियमावली के प्रावधानों के तहत की गई है ताकि पाटन की मौजूदगी, घरेलू उद्योग को क्षति और पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क का निर्धारण किया जा सके। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कुछ उत्पादों पर सीमा शुल्क रियायत या कटौती के होने का, अपने आप में, पाटनरोधी जांच में पाटन, क्षति या कारणात्मक संपर्क के निर्धारण पर कोई असर नहीं पड़ता है।
131. अन्य हितधारक पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि प्लाईवुड और पैनल उत्पादों पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों सहित विनियामक विकास से मेलामाइन की मांग बढ़ने की उम्मीद है और इनपुट लागत स्थिरता इसलिए निचले स्तर के उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है, यह नोट किया जाता है कि निचले स्तर के उद्योगों को प्रभावित करने वाले विनियामक घटनाएं संबद्ध सामानों की मांग को प्रभावित कर सकते हैं। हालाँकि, इस तरह के विनियामक उपायों की मौजूदगी का वर्तमान जांच में पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के निर्धारण पर कोई असर नहीं पड़ता है। संबद्ध सामानों की मांग में वृद्धि घरेलू बाजार में पाटित कीमतों पर आयात को जारी रखने को उचित नहीं ठहरा सकती है। संबद्ध सामानों की मांग को उचित कीमतों पर घरेलू उत्पादन के साथ-साथ आयात के माध्यम से भी पूरा किया जा सकता है। दूसरी ओर, संबद्ध सामानों की मांग में वृद्धि एक गतिशील घरेलू उद्योग की आवश्यकता को दर्शाती है। एक गतिशील घरेलू उद्योग प्रतिस्पर्धी कीमत निर्धारण, कम समय, कम विदेशी जोखिम, और वैश्विक व्यवधानों के विरुद्ध रणनीतिक लचीलापन, आपूर्ति श्रृंखला दक्षता और विदेशी आपूर्तिकर्ता निर्भरता सुनिश्चित करता है।
132. हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि मेलामाइन पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से कम मार्जिन पर काम करने वाले निचले स्तर के उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और लागत दबाव में वृद्धि होगी, प्राधिकारी ने निचले स्तर के उद्योग के लिए मेलामाइन के महत्व की जांच की है। इस प्रयोजन के लिए, प्रयोक्ता उद्योग द्वारा दायर अनुबंध 2

पर भरोसा किया गया है। नीचे दी गई तालिका में उत्तरदाता प्रयोक्ताओं द्वारा बताई गई लाभ और हानि दर्शाई गई है।

सेन्चुरी प्लाईबोर्ड्स द्वारा दी गई सूचना

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	लैमिनेट (शीट)	पार्टिकल बोर्ड
1	विचाराधीन उत्पाद की लागत		****	****
2	कुल लागत		****	****
3	विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा	%	****	****
4	यदि पीयूसी की लागत 10% बढ़ तक जाती है	रु./शीट	****	****
5	पाटनरोधी शुल्क के बाद विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा	%	****	****
6	लागत में वृद्धि (पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव)	%	****	****

मेरिनो प्लाईवुड द्वारा दी गई सूचना

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	लैमिनेट (एचपीएल + एलपीएल)	पार्टिकल बोर्ड
1	विचाराधीन उत्पाद की लागत	प्रति पीस	****	****
2	कुल लागत	प्रति पीस	****	****
3	विचाराधीन का हिस्सा	%	****	****
4	अगर विचाराधीन उत्पाद की लागत 10% तक बढ़ जाती है	रु./पीस	****	****
5	पाटनरोधी शुल्क के बाद विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा	%	****	****
6	लागत में वृद्धि (पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव)	%	****	****

ग्रीनलैम द्वारा दी गई सूचना

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	सजावटी लैमिनेट (ग्रीनलैम)
1	विचाराधीन उत्पाद की लागत	रुपये/किग्रा.	***
2	कुल लागत	रुपये/किग्रा.	***
3	विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा	%	***
4	अगर विचाराधीन उत्पाद की लागत 10% तक बढ़ जाती है	रुपये/किग्रा.	***
5	पाटनरोधी शुल्क के बाद विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा	%	***
6	लागत में बढ़ोतरी (पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव)	%	***

प्रिस्टीन मेलामाइन एलएलपी द्वारा दी गई सूचना

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	एम एफ ग्लेज़िंग पाउडर	एम एम एफ मोल्डिंग पाउडर
1	विचाराधीन उत्पाद की लागत	रुपये/किग्रा.	***	***
2	कुल लागत	रुपये/किग्रा.	***	***
3	विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा	%	***	***
4	अगर विचाराधीन उत्पाद की लागत 10% तक बढ़ जाती है	रुपये/किग्रा.	***	***
5	पाटनरोधी शुल्क के बाद विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा	%	***	***
6	लागत में वृद्धि (पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव)	%	***	***

133. प्राधिकारी ने प्रयोक्ता उद्योग द्वारा दायर प्रयोक्ता प्रश्नावली के उत्तर के परिशिष्ट 2 के आधार पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को भी निर्धारित किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं

कि प्रयोक्ताओं ने यह सिद्ध नहीं किया है कि वे पाटनरोधी शुल्क के कारण लागत में वृद्धि, यदि कोई है, को आगे लगाने में असमर्थ होंगे।

134. घरेलू उद्योग ने विभिन्न निचले स्तर के उत्पादों पर प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क के निम्नलिखित प्रभाव को भी निर्धारित किया है:

क्र.सं.	विवरण	वाणिज्यिक प्लाईवुड	विनीर	पिंगमेंट	लेमिनेट
1	उत्पाद की दर	1387 प्रति 0.01728 क्यूबिक मीटर	3286 प्रति 0.01152 क्यूबिक मीटर	750 प्रति किग्रा.	3000 प्रति 0.00288 क्यूबिक मीटर
2	मेलामाइन मानदंड (सियोन)	6.13 कि.ग्रा प्रति क्यूबिक मीटर	4.15 कि.ग्रा प्रति क्यूबिक मीटर	0.18 प्रति किग्रा.	146 कि.ग्रा प्रति क्यूबिक मीटर
3	मेलामाइन कीमत	81	81	81	81
4	मेलामाइन लागत	496.53	336.15	14.58	11826
5	उक्त कीमत में मेलामाइन का हिस्सा	0.58%	0.11%	1.82%	1.07%
6	मेलामाइन कीमत की वृद्धि 20% तक	15.2	15.2	15.2	15.2
7	अंतिम उत्पाद कीमत पर प्रभाव	0.116%	0.022%	0.36%	0.213%

135. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से निचले स्तर के उद्योगों, विशेष रूप से मेलामाइन फॉर्मेलिहाइड मोल्डिंग पाउडर (एमएफएमपी) और मेलामाइन फॉर्मेलिहाइड ग्लेज़िंग पाउडर (एमएफजीपी) के उत्पादन में लगे एमएसएमई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रयोक्ताओं ने दावा किया है कि मेलामाइन को उत्पादन लागत में काफी हिस्सा है और इनपुट कीमत में किसी भी वृद्धि को नहीं लिया जा सकता है।

136. घरेलू उद्योग ने एमएफएमपी पर प्रभाव भी दिया है:

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	प्रभाव
1	एमएफआर की कीमत	रुपये/किग्रा.	162
2	मेलामाइन की दर [वर्तमान कीमत]	रुपये/किग्रा.	81
3	मेलामाइन की खपत (अनुमानित)	किग्रा.	0.5
4	मेलामाइन की लागत	रुपये/किग्रा.	41
5	ऊपर दी गई कीमत में मेलामाइन का हिस्सा	%	25%
6	मेलामाइन की कीमत में 20% तक की वृद्धि	%	5%

स्रोत: घरेलू उद्योग का प्रत्युत्तर

137. हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों और सूचना की जांच करने पर, यह देखा जाता है कि प्रिस्टीन मेलामाइन एलएलपी को छोड़कर, जिसने एमएसएमई के रूप में पंजीकरण का दावा किया है, भाग लेने वाले निचले स्तर के प्रयोक्ता एमएसएमई नहीं हैं। दूसरा, मेलामाइन का उपयोग आम तौर पर कई अनुप्रवाह उत्पादों के निर्माण में सीधे नहीं किया जाता है। उत्पाद को पहले मेलामाइन फॉर्मेलिहाइड रेजिन (एमएफआर) में परिवर्तित किया जाता है, जिसका उपयोग बाद में निचले स्तर के उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। इस प्रकार, मेलामाइन का अंतिम उत्पाद में उपयोग करने से पहले आगे प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन किया जाता है।

138. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि मेलामाइन फॉर्मेलिहाइड रेजिन की मांग 1,50,000 एमटी के मुकाबले, मेलामाइन फॉर्मेलिहाइड रेजिन का आयात केवल 5,000 एमटी है। इसलिए एक मेलामाइन फॉर्मेलिहाइड रेजिन उत्पादक लागत में वृद्धि को तत्काल उपभोक्ता तक पहुंचाने में सक्षम होगा। मेलामाइन फॉर्मेलिहाइड के उपभोक्ताओं ने एकीकृत संयंत्र स्थापित किए हैं जहां मेलामाइन की खपत की जाती है, मेलामाइन फॉर्मेलिहाइड बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसकी बाद में अन्य उत्पादों को बनाने के लिए कैप्टिव रूप से खपत की जाती है। इसलिए, मेलामाइन फॉर्मेलिहाइड उत्पादन की लागत में परिवर्तन के अनुरूप आसानी से अपनी कीमत बदलने में सक्षम होगा।

139. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि पहले से लागू पाटनरोधी शुल्क ने निचले स्तर के उद्योग के प्रचालनों को काफी प्रभावित किया है और अंतिम निचले स्तर के

उत्पादों की लागत और कीमत में वृद्धि की है। घरेलू उद्योग ने भारत में विचाराधीन उत्पाद की ऐतिहासिक मांग के बारे में सूचना प्रदान करके इस पर विवाद किया है जो नीचे दिया गया है।

क्र.सं.	वर्ष	मांग(एमटी)	क्र.सं.	वर्ष	मांग(एमटी)
1	2004-05	100	12	2015-16	317
2	2005-06	99	13	2016-17	300
3	2006-07	108	14	2017-18	365
4	2007-08	146	15	2018-19	416
5	2008-09	127	16	2019-20	419
6	2009-10	167	17	2020-21	443
7	2010-11	204	18	2021-22	573
8	2011-12	216	19	2022-23	627
9	2012-13	255	20	2023-24	665
10	2013-14	263	21	2024-25	764
11	2014-15	304			

* घरेलू उद्योग के अनुरोध के आधार पर

140. इस तर्क के संबंध में कि देश में मांग-आपूर्ति अंतर है और मांग आपूर्ति अंतर को पूरा करने के लिए आयात की आवश्यकता थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग-आपूर्ति अंतर की मौजूदगी भारतीय बाजार में उत्पाद के पाटन को उचित नहीं ठहराती। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि हालांकि घरेलू उद्योग ने विगत में क्षमता का विस्तार किया है, लेकिन बढ़ती मांग के बावजूद किसी भी नए उत्पादक ने उत्पाद में निवेश नहीं किया है। तथापि, जब घरेलू उद्योग को इतनी अधिक हानियां हुई हैं, तो विस्तार नहीं हो सकता है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उसने क्षमता विस्तार योजनाओं को रोक दिया है।
141. इस तर्क के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क निचले स्तर के उद्योग के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, यह माना जाता है कि निर्यात के लिए आयात पाटनरोधी शुल्क के अधीन नहीं हैं। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने सूचना दी है कि उत्पाद का व्यापार भारतीय बाजार की तुलना में वैश्विक बाजार में काफी अधिक कीमतों पर किया जा रहा है। इसलिए, यदि पाटनरोधी शुल्क से कीमतों में वृद्धि होनी थी, तो निचले स्तर के उद्योग उन अन्य वैश्विक उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होगा जो उचित कीमतों पर उत्पाद की खपत कर रहे हैं।

ट. प्रकटन-पश्चात टिप्पणियां

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

142. हितबद्ध पक्षकारों ने प्रकटन विवरण पर अपनी टिप्पणियों में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. प्रकटन विवरण नियम 16 के संदर्भ में आवश्यक तथ्यों का प्रकटन नहीं करता है। सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन, क्षतिरहित कीमत, कीमत कटौती, बिक्री लागत, बिक्री कीमत, ऐतिहासिक मांग श्रृंखला और प्रयोक्ताओं पर प्रभाव की मात्रा को नियम 7 के तहत संतुष्टि रिकॉर्ड किए बिना और सार्थक अगोपनीय सार के बिना अगोपनीय रखा गया है। वह सूचना जो न तो प्रकट की जाती है और न ही सारभूत की जाती है, सकारात्मक निर्धारण का समर्थन नहीं कर सकती है। सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स (आई) लिमिटेड बनाम भारत संघ [डब्ल्यूपी(सी) सं. 6568/2017, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, 26.08.2019], समीक्षा याचिका सं. 9/2020 में निर्णय, आदेश दिनांक 21.06.2023 आई.ए. (सिविल) सं. 2414/2022, रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी [(2006) 10 एससीसी 368], भारत संघ बनाम मेघमनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड [(2016) 10 एससीसी 28], निरमा लिमिटेड बनाम भारत संघ (गुजरात उच्च न्यायालय), और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.5 और 6.9 पर भरोसा किया गया है। प्रकटन विवरण के पैरा 36 में है कि क्षतिरहित कीमत और कीमत कटौती को रेंज में प्रकट किया गया था, जबकि क्षतिरहित कीमत की कोई रेंज प्रकट नहीं की गई थी और कीमत कटौती केवल नकारात्मक के रूप में दर्शाई गई थी। एक पूरक प्रकटन की मांग की गई है।
- ii. प्रकटन विवरण में तर्क सर्कुलर है। मांग-आपूर्ति अंतर, घरेलू उद्योग की अपनी लागत, बाजार संरचना और घरेलू उद्योग के स्वयं के निर्णयों में से प्रत्येक का उपयोग एक सकारात्मक जांच परिणाम का समर्थन करने के लिए किया गया है, और घरेलू उद्योग की लागत और चीनी कीमत के बीच समान तुलना को पाटन, कीमत क्षति और कारण के रूप में गिना गया है। प्राधिकारी ने यह जांच नहीं की है कि क्या किसी साक्ष्य से नकारात्मक निर्धारण हुआ होता, जैसा कि अनुबंध II से यूएस-हॉट-रोल्ड स्टील (डब्ल्यूटी/डीएस184/एबी/आर) से अपेक्षित है।
- iii. कीमत कटौती नकारात्मक है, यद्यपि आवेदक ने काफी सकारात्मक कटौती का दावा किया था। यूरोपीय संघ, ईरान, इंडोनेशिया और जापान से आयात के संबंध

में दिनांक 19.02.2018 के अंतिम जांच परिणामों में और फा. सं. 14/30/2010-डीजीटीआर में शुल्क लगाने के खिलाफ नकारात्मक कटौती को एक संगत विचार के रूप में माना गया था। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में 54% तक गिरावट आई जबकि पहुंच कीमत में केवल 49% तक गिरावट आई, जो दर्शाता है कि आयातों को छोड़कर अन्य कारकों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को निर्धारित किया।

- iv. कीमतों में गिरावट वैश्विक थी। भारत में आयात से अप्रभावित बाजारों में घरेलू उद्योग की निर्यात वसूली, घरेलू वसूली (सूचकांक 100 से 47 और 100 से 46) के समानांतर में घट गई। आयोग कार्यान्वयन विनियमन (ईयू) 2025/325 रिकॉर्ड करता है कि यूरोपीय संघ में चीनी आयात की कीमतें 2022 से आधे से अधिक गिर गईं, जबकि यूरोपीय संघ के उपाय लागू थे। घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में केवल 2% तक गिरावट आई, जो गैस और यूरिया की कीमतों में गिरावट के समय अपनी लागत कठोरता को दर्शाती है।
- v. वर्ष-वार उतार-चढ़ाव कारणता का समर्थन नहीं करती हैं। घरेलू उद्योग की कीमत में सबसे बड़ी गिरावट (2021-22 से 2022-23) आयात में सबसे कम वृद्धि (15,158) के साथ हुई, जबकि 2023-24 और जांच की अवधि के बीच, जब आयात में 28,864 तक की वृद्धि थी, घरेलू उद्योग की प्रति एमटी की हानि कम हो गई और इसका नकद लाभ सकारात्मक हो गया। 2022-23 और जांच की अवधि के बीच, आयात में लगभग 51% तक वृद्धि हुई, जबकि घरेलू बिक्री, प्रति एमटी नुकसान और मालसूची में गिरावट नहीं आई।
- vi. आधार वर्ष 2021-22 प्रतिनिधिकारक नहीं है, क्योंकि चीन जन.गण. से आयात पर पाटनरोधी शुल्क 30.09.2021 तक लागू था और वर्ष में वैश्विक मूल्य चक्र शिखर सबसे ऊपर था। प्रकटन विवरण के पैरा 79 में पाटन की जांच की अवधि के संदर्भ में इस तर्क का उत्तर दिया गया है, जो क्षति विश्लेषण को हल नहीं करता है। प्राधिकारी को 2022-23 को संदर्भ वर्ष के रूप में अपनाना चाहिए या अप्रैल-सितंबर 2021 और अक्टूबर 2021-मार्च 2022 के लिए अलग से निवल बिक्री वसूली का खुलासा करना चाहिए।
- vii. आवेदक ने अपने आवेदन-पत्र में उल्लेख किया था कि उसने अपनी क्षमता के अनुसार उत्पादन और बिक्री की थी और मात्रात्मक क्षति का दावा नहीं किया

था। प्रकटन विवरण फिर भी उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्सेदारी में गिरावट पर निर्भर करता है।

- viii. संबद्ध आयात में 53,709 एमटी की वृद्धि में से कम से कम तीन-पांचवें हिस्से की व्याख्या मांग में वृद्धि और अन्य देशों से आयात में 9,585 एमटी की गिरावट से की गई है। 2022-23 में घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में गिरावट निर्यात में दोहरी वृद्धि के साथ हुई, जबकि इसकी कुल बिक्री अपरिवर्तित रही। निर्यात निष्पादन अनुबंध-II में सूचीबद्ध एक कारक है और इसे गलत तरीके से नजरअंदाज किया गया है। तीसरे देश के आयात का विस्थापन, जिस पर आवेदक ने पहले पाटन करने का आरोप लगाया था, आवेदक को क्षति नहीं पहुंचा सकता है, और मालसूची में तीव्र गिरावट किसी भी मात्रा की क्षति का विरोधाभास नहीं कर सकती।
- ix. बिक्री लागत को संयंत्र III तक सीमित कर दिया गया है, जबकि क्षमता उपयोग की गणना 55,000 एमटी की क्षमता पर की गई है, जिसमें संयंत्र-I और II भी शामिल हैं, जिन्हें रोक दिया गया है। जांच की अवधि में 42,452 एमटी का उत्पादन संयंत्र III में 40,000 एमटी की क्षमता से अधिक है। संयंत्र I और II को रोकने का स्पष्टीकरण वर्षों में बदल गया है। रोजगार में गिरावट और मजदूरी में वृद्धि आंतरिक पुनर्गठन को दर्शाती है, और 40,000 एमटी की दावा की गई विस्तार योजना को किसी बोर्ड की मंजूरी या परियोजना रिपोर्ट का समर्थन नहीं है।
- x. गैर-आरोपण विश्लेषण एक सार है। प्राधिकारी ने कीमतों और लागतों में वैश्विक गिरावट, सितंबर 2021 में पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति, घरेलू उद्योग की क्षमता की कमी, निर्यात के लिए इसके उत्पादन का आवंटन, संयंत्रों के निलंबन और उनकी पुरानी तकनीक, कठोर लागत और गैस खरीद की शर्तों, घरेलू उद्योग की गैस खरीद शर्तों, जंबो बैग में आपूर्ति करने में इसकी असमर्थता (प्रयोक्ताओं को लगभग 1.5 -2 रु. प्रति किलोग्राम का नुकसान), और सब्सिडी अर्जित करने के लिए खुले बाजार में यूरिया के अपने लगभग पूरे उत्पादन की बिक्री (2024-25 में लगभग 3,723 करोड़) अलग अलग और विशिष्ट नहीं किया है। प्रकटन विवरण के पैरा 120 में यूरिया संबंधी अधूरा वाक्य है।
- xi. आवेदन-पत्र में कई विवरणों का आवेदक के अपने आंकड़ों से विरोधाभास किया गया है। आवेदक को अमेरिकी वाणिज्य विभाग द्वारा प्रतिकारी शुल्क जांच (सी-

533-925) में असहयोगी पाया गया था। प्राधिकारी को नियम 8 के तहत सत्यापन का क्षेत्र दर्ज करना चाहिए, जिसमें गैस और सामान्य लागतों का आवंटन और संयंत्र । और ॥ की लागतों को बाहर करना भी शामिल करना चाहिए। और यह दर्ज करना चाहिए कि क्या आवेदक ने क्षति की अवधि के दौरान किसी भी स्रोत से उत्पाद का आयात किया था।

- xii. नियोजित पूंजी पर 22% आय को यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी में अपरिवर्ति क्षमता के साथ गिरावट आई (सूचकांक 100 से 62); प्राधिकारी को पुष्टि करनी चाहिए कि एकीकृत यूरिया और अमोनिया सुविधाओं सहित निष्क्रिय और साझा संपत्तियों को बाहर रखा गया है। क्षतिरहित कीमत भारतीय रुपये में निर्धारित की जानी चाहिए और जब इस पर कार्रवाई की जाती है तो प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाना चाहिए, जैसा कि माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय के समीक्षा निर्णय के पैरा 66 में माना गया है।
- xiii. प्राधिकारी ने अनुबंध । के पैराग्राफ 7 के तहत बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के विकल्पों को समाप्त नहीं किया है, और सार्वजनिक सूचना, जैसे कि यूरोपीय संघ विनियमन, उपलब्ध था। प्रकटन विवरण का पैरा 54 भारत में भुगतान की गई या देय कीमत को संदर्भित करता है, लेकिन लागत निर्माण का वर्णन करता है। कोयला आधारित चीनी प्रक्रिया और घरेलू उद्योग की यूरिया आधारित प्रक्रिया के बीच के अंतर को हल नहीं किया गया है।
- xiv. लगभग 75% संबद्ध आयातों अवशिष्ट शुल्क लगेगा, क्योंकि सहयोगी उत्पादकों का आयातों में केवल 25.47% हिस्सा है। घरेलू उद्योग के अपने आंकड़ों के अनुसार, मेलामाइन की कीमत में 50% की वृद्धि से मेलामाइन फॉर्मलिहाइड रेजिन की लागत में लगभग 11.7% की वृद्धि होगी। प्रकटन विवरण का पैरा 133, जिसमें यह दर्ज है कि पास-ऑन सिद्ध नहीं किया गया है, पैरा 138 का खंडन करता है। पैरा 134 पर प्रभाव के आंकड़े गलत तरीके से गिने गए हैं। प्राधिकारी ने गलत तरीके से माना है कि भाग लेने वाले प्रयोक्ताओं में से कोई भी एमएसएमई नहीं है, क्योंकि प्रिस्टीन मेलामाइन एलएलपी ने अपना एमएसएमई पंजीकरण प्रमाणपत्र दायर किया है, आईएलएमए 150 से अधिक सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है जो ज्यादातर एमएसएमई हैं, और प्लाईवुड और पैनेल क्षेत्र में 1,422 संगठित इकाइयों में से 1,388 एमएसएमई हैं। फेनोल और डेकोर पेपर पर समानांतर जांच का संचयी प्रभाव, 2021 और 2022 में

शुल्क नहीं लगाने के केंद्र सरकार के निर्णय, सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 12/2026 और 17 वर्षों की संरक्षण के बावजूद घरेलू उद्योग द्वारा किसी भी क्षमता वृद्धि के अभाव पर विचार किया जाना चाहिए।

- xv. शानडोंग हुआलू-हेंगशेंग केमिकल कंपनी लिमिटेड ने अनुरोध किया है कि उसने विस्तारित समय के भीतर अपना प्रश्नावली उत्तर दायर किया है और पैरा 42 में नमूना तालिका के क्रम सं. 8 पर सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन पैरा 69 में गैर-नमूनाकृत सहयोगी उत्पादकों की सूची से हटा दिया गया है। उसने अनुरोध किया है कि उसे अंतिम जांच परिणामों में उपर्युक्त सूची में शामिल किया जाए।
- xvi. प्रकटन विवरण में कई त्रुटियां हैं: नमूनाकरण सूचना दिनांक 23.01.2026 है जबकि नमूनाकृत उत्पादकों को 17.01.2026 को अधिसूचित किया गया बताया गया है; पैरा 45 पंद्रह उत्तरदाताओं और नौ प्रतिक्रियाओं को संदर्भित करता है, जो पैरा 42 के असंगत है; पैरा 3 "इस प्रारंभिक जांच परिणाम" को संदर्भित करता है; पैरा 113(iii) में कहा गया है कि पाटित आयातों ने "चीनी आयात" को विस्थापित कर दिया; और पैरा 118 "गैस मार्ग" को संदर्भित करता है। प्राधिकारी को यह भी पुष्टि करनी चाहिए कि जांच के बाद की अवधि के बाद के किसी भी आंकड़े पर भरोसा नहीं किया गया है।
- xvii. इस जांच को शुल्क लगाए बिना रद्द किया जाना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, शुल्क पाटित आयातों के कारण होने वाली क्षति को दूर करने के लिए आवश्यक से अधिक नहीं होना चाहिए।

ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

143. घरेलू उद्योग ने प्रकटन विवरण पर अपनी टिप्पणियों में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. प्रकटन विवरण में प्रस्तावित उत्पाद के क्षेत्र की पुष्टि की जानी चाहिए। शुद्धता या उत्पादन मार्ग के कारण घरेलू उद्योग के उत्पाद और आयातित उत्पाद के बीच किसी भी वास्तविक अंतर को दिखाने के लिए कोई साक्ष्य दायर नहीं किया गया है।
- ii. दावा की गई क्षति केवल संयंत्र III से संबंधित है। घरेलू उद्योग ने घरेलू और निर्यात प्रचालन के लिए अलग-अलग आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, और निवल बिक्री

वसूली को छूट और बाहरी माल भाड़े की कटौती के बाद, पहुंच कीमत के समान स्तर पर निर्धारित किया गया है।

- iii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सूचीबद्ध कारक क्षति के वैकल्पिक कारणों के रूप में न तो मात्रात्मक हैं और न ही साक्ष्य द्वारा समर्थित हैं। यूएस - हॉट-रोल्ड स्टील और ईसी - ट्यूब या पाइप फिटिंग्स के संदर्भ में, अन्य कारकों के प्रभावों को अलग करने और अलग करने का दायित्व केवल रिकॉर्ड पर साक्ष्य द्वारा समर्थित ज्ञात कारकों के संबंध में उत्पन्न होता है।
- iv. चीन जन.गण. में मेलामाइन की क्षमता लगभग 22,00,000 एमटी है और चीन में घटती घरेलू मांग के मुकाबले लगभग 26,00,000 एमटी तक पहुंचने की उम्मीद है। क्षमता वृद्धि निर्यातोन्मुख है और भारत एक लक्षित बाजार है।
- v. चीनी उत्पादक यूरिया में पीछे से एकीकृत हैं, जो राज्य व्यापार, निर्देशित कीमत निर्धारण और प्रोत्साहन के अधीन हैं, जो लागत को 150-160 युआन प्रति एमटी तक कम करता है।
- vi. घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता को 15,000 एमटी से 55,000 एमटी तक बढ़ाने के लिए लगभग 800 करोड़ रुपये का निवेश किया। आयात में कमी के कारण, 15,000 एमटी की क्षमता वाले दो संयंत्रों को निष्क्रिय करना पड़ा, और 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ 40,000 एमटी के और विस्तार को रोक दिया गया है।
- vii. प्रकटन विवरण के पैरा 133 में यह जांच परिणाम कि प्रयोक्ता कीमत आगे ले जाना सिद्ध करने में सक्षम नहीं हैं, पैरा 138 के विपरीत है, और प्रयोक्ता कीमत आगे ले जाने के आधार पर काम करते हैं। जांच परिणाम को संशोधित किया जाना चाहिए।
- viii. तकनीक क्षति का कारण नहीं है। घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान अपने निर्यात पर *** रुपये प्रति एमटी की आय अर्जित की, जबकि उसी संयंत्र का उपयोग करते हुए घरेलू बिक्री पर *** रुपये प्रति एमटी का नुकसान हुआ।
- ix. पाटनरोधी शुल्क को अमेरिकी डॉलर प्रति एमटी में एक निश्चित राशि के रूप में लगाया जाना चाहिए, यह मानते हुए कि पहुंच कीमत में 49% की गिरावट आई है जबकि बिक्री की लागत में केवल 2% तक गिरावट आई है, और यह कि कोई पीसीएन प्रस्तावित नहीं है। पहले लगाए गए शुल्क के बेंचमार्क (संदर्भ

कीमत) स्वरूप को टाल दिया गया और अप्रभावी सिद्ध हुआ। शुल्क पांच साल की अवधि के लिए लगाया जाना चाहिए।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

144. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों की प्रकटन पश्चात की टिप्पणियों की जांच की है। यह नोट किया जाता है कि इनमें से अधिकांश टिप्पणियां पहले से किए गए अनुरोधों की पुनरावृत्ति हैं, जिनकी पहले ही जांच की जा चुकी है और इन जांच परिणामों में संगत स्थानों पर हल किया जा चुका है। हाल में उठाए गए मुद्दों या आगे की जांच की आवश्यकता वाले मुद्दों को नीचे हल किया गया है।
145. हितधारक पक्षों ने प्राधिकरण द्वारा की गई क्षति संबंधी जाँच के संबंध में विभिन्न प्रस्तुतियाँ और टिप्पणियाँ की हैं। प्राधिकरण ने इस प्रकार की गई प्रस्तुतियों की जाँच की है और उसका मत है कि वर्तमान जाँच में की गई क्षति संबंधी जाँच ने हितधारक पक्षों द्वारा उठाए गए प्रासंगिक मुद्दों और चिंताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित किया है। प्राधिकरण आगे नोट करता है कि क्षति का आकलन घरेलू उद्योग की स्थिति से संबंधित विभिन्न आर्थिक मानकों और संकेतकों के समग्र मूल्यांकन के आधार पर किया जाना आवश्यक है, न कि किसी एक मानक को अलग से आधार बनाकर।
146. प्राधिकरण आगे मानता है कि यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक क्षति मानक जाँच अवधि के दौरान अथवा पूरी क्षति अवधि में गिरावट प्रदर्शित करे। क्षति संबंधी विश्लेषण घरेलू उद्योग के क्षति अवधि के आँकड़ों को ध्यान में रखते हुए किया जाना आवश्यक है। प्रचलित बाजार परिस्थितियों और घरेलू उद्योग की विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर व्यक्तिगत आर्थिक मानक अलग-अलग प्रवृत्तियाँ प्रदर्शित कर सकते हैं। जहाँ कुछ मानकों में गिरावट दिखाई दे सकती है, वहीं अन्य मानक स्थिर रह सकते हैं या उनमें सुधार भी हो सकता है। हितधारक पक्षों ने ऐसे परिवर्तनों को अलग-अलग देखा है, परंतु ये घरेलू उद्योग को हुई समग्र क्षति का निर्धारण करने वाले नहीं हो सकते। तथापि, प्राधिकरण ने सभी प्रासंगिक आर्थिक कारकों और संकेतकों का समग्र मूल्यांकन किया है, जिसमें घरेलू उद्योग की स्थिति और प्रदर्शन पर उनके सामूहिक प्रभाव को भी शामिल किया गया है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण क्षति हुई है या नहीं।

अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन और गोपनीयता

147. अथॉरिटी का कहना है कि डिस्क्लोज़र स्टेटमेंट में प्रस्तावित फैसले का आधार बनने वाले ज़रूरी तथ्य बताए गए थे। इनमें सामान्य मूल्य तय करने का आधार और तरीका, हर सैंपल किए गए प्रोड्यूसर की एक्सपोर्ट कीमत में किए गए बदलाव, डंपिंग मार्जिन और इंजरी मार्जिन की रेंज, इंपोर्ट और डिमांड की असल मात्रा, इंडेक्स के रूप में घरेलू इंडस्ट्री के नुकसान के पैरामीटर, कीमत में कटौती (प्राइस अंडरकटिंग) के एनालिसिस का नतीजा, नुकसान न पहुँचाने वाली कीमत तय करने का तरीका और हर मुद्दे पर अथॉरिटी की वजहें शामिल थीं। जो जानकारी नहीं दी गई, वह अकेले घरेलू प्रोड्यूसर और अलग-अलग सैंपल किए गए प्रोड्यूसर की लागत, कीमत और मुनाफ़े से जुड़ी है। ऐसी जानकारी को पूरी तरह से बताने पर एक ही कंपनी की लागत और कीमतें उसके कॉम्पिटिटर और ग्राहकों को पता चल जाएँगी। गोपनीयता के दावों की जाँच नियम 7 के तहत की गई और सही वजह बताने पर उन्हें स्वीकार कर लिया गया; साथ ही, ट्रेड नोटिस 10/2018 (7 सितंबर, 2018) और अथॉरिटी के लगातार अपनाए जा रहे तरीके के अनुसार, बिना गोपनीयता वाली समरी इंडेक्स या रेंज के रूप में दी गई है। इस तरह, फैसले का आधार बनने वाले सभी ज़रूरी तथ्य नियम 16 के प्रावधानों के तहत पहले ही बताए जा चुके हैं और इनके लिए अतिरिक्त जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है।

जांच की वस्तुनिष्ठता

148. यह तर्क कि प्राधिकारी का तर्क तर्क की सर्कुलर श्रृंखला है, सही नहीं है। पाटन मार्जिन को नमूनाकृत उत्पादकों की निर्यात कीमतों के साथ निर्मित सामान्य मूल्य की तुलना करके निर्धारित किया गया है, जबकि क्षति का निर्धारण घरेलू उद्योग की कीमतों और निष्पादन पर पाटित आयातों के प्रभाव पर आधारित है। ये अलग-अलग सूचना के आधार पर अलग-अलग निर्धारण हैं। क्षति का निर्धारण सकारात्मक साक्ष्य अर्थात् घरेलू उद्योग के सत्यापित आंकड़ों और डीजी सिस्टम का लेनदेन-वार आयात आंकड़ों और अनुबंध-II में सूचीबद्ध सभी कारकों की जांच के आधार पर निर्भर करता है, प्राधिकारी ने धारा एच और निम्नलिखित में दर्ज अन्य ज्ञात कारकों की भी जांच की है।

कीमत प्रभाव और नकारात्मक कीमत कटौती

149. नियमावली के अनुबंध II (ii) में प्राधिकारी को यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या काफी कीमत कटौती हुई है और क्या आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को काफी मात्रा तक कम करना है या कीमत वृद्धि रोकना है जो अन्यथा हुई होती। ये अपेक्षाएं वैकल्पिक हैं। वर्तमान मामले में, संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से मामूली रूप से अधिक है (***प्रति एमटी तक या 1%)। तथापि, पहुंच कीमत 2021-22 में 1,60,552 रुपये प्रति एमटी से घटकर जांच की अवधि में 82,139 रुपये प्रति एमटी हो गई, और जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत (***रु प्रति एमटी) से नीचे रही। घरेलू उद्योग, जिसकी भारतीय बाजार में हिस्सेदारी घटकर ***% रह गई थी, के पास संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत के साथ अपनी कीमतों को अनुरूप रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जो भारतीय मांग का ***% है।
150. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत 54% घट गई जबकि पहुंच कीमत 49% तक घट गई, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत आधार वर्ष में पहुंच कीमत से लगभग 10% तक अधिक थी (*** रुपये प्रति एमटी के मुकाबले *** रुपये)। जांच की अवधि तक, इसे पहुंच कीमत के स्तर (*** रुपये प्रति एमटी के मुकाबले *** रु) पर लाया गया था। इस प्रकार बड़ी प्रतिशतता गिरावट घरेलू उद्योग द्वारा पहले प्राप्त किए गए कीमत प्रीमियम के उन्मूलन को दर्शाती है, जो पाटित आयातों के दबाव में था। यह नहीं दर्शाता है कि आयात के अलावा अन्य कारकों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को निर्धारित किया। पहले के जांच परिणामों में अन्य देशों से आयातों से संबंधित हितबद्ध पक्षकारों द्वारा भरोसा किया गया था, विभिन्न तथ्यों पर, ऐसे समय में जब चीन जन.गण. से आयात पर शुल्क लागू था और घरेलू उद्योग लाभप्रद था, प्रत्येक जांच अपने तथ्यों के आधार पर निर्धारित की जाती है।

वैश्विक कीमतों और घरेलू उद्योग की निर्यात कीमतों में गिरावट

151. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कच्चे माल की लागत में गिरावट से विश्व स्तर पर उत्पादकों पर असर पड़ेगा और इसका असर घरेलू उद्योग की लागत पर भी पड़ेगा। घरेलू उद्योग की बिक्री लागत सत्यापित आंकड़ों पर आधारित है और क्षति की अवधि में 2% तक की गिरावट आई है, जबकि संबद्ध आयात की पहुंच कीमत में 49% तक की गिरावट

आई है और घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से नीचे गिर गई है। घरेलू उद्योग की निर्यात कीमतों में गिरावट यह सिद्ध नहीं करती है कि भारत में संबद्ध आयात की कीमत पाटित नहीं की गई थी या क्षतिकारक नहीं थी। हितधारक पक्षकारों द्वारा भरोसा किए गए यूरोपीय संघ का विनियमन चीन जन.गण. से मेलामाइन के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क से संबंधित है। इसके अलावा, कच्चे माल, यूटिलिटियों और क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग के आधार पर क्षतिरहित कीमत निर्धारित की गई है, जो घरेलू उद्योग की किसी भी अदक्षता या लागत कठोरता को निष्प्रभावी करती है।

आधार वर्ष का विकल्प और वर्ष-वार प्रवृत्तियां

152. प्राधिकारी ने इस तर्क की जांच की है कि 2021-22 एक प्रतिनिधिकारक आधार वर्ष नहीं है। भले ही विश्लेषण 2022-23 से जांच की अवधि तक ही सीमित हो, निम्नलिखित स्थिति उभरती है:

- i. संबद्ध देश से आयात 75,806 एमटी से बढ़कर 1,14,357 एमटी हो गया, यानी 51% तक की वृद्धि हुई;
- ii. संबद्ध आयात की पहुंच कीमत 1,15,559 प्रति एमटी से घटकर 82,139 प्रति एमटी हो गई, अर्थात्, 29% तक की गिरावट आई।
- iii. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत ***रु प्रति एमटी से घटकर ***रु प्रति एमटी हो गई, अर्थात् 22% तक कम हो गई और निरंतर उसकी बिक्री लागत से कम रही।
- iv. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा ****% से घटकर ****% हो गया; और
- v. घरेलू उद्योग को प्रति वर्ष नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय और हानियां हुई।

153. अतः, अपनाए गए आधार वर्ष की परवाह किए बिना घरेलू उद्योग को हुई क्षति सिद्ध की जाती है। अनुबंध-II विश्लेषण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि क्षति की अवधि के प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक क्षति मापदंड खराब हो जाए। जांच की अवधि में प्रति एमटी नुकसान में कमी बिक्री की लागत में गिरावट के कारण थी, जबकि बिक्री कीमत में गिरावट जारी रही और लागत से नीचे रही। प्राधिकारी ने पैरा 80 में दर्ज किए गए अनुसार जांच की अवधि के बाद के किसी भी आंकड़ों पर भरोसा नहीं किया है। उपरोक्त को देखते हुए 2021-22 की निवल बिक्री वसूली के विभाजन के अनुरोध पर विचार नहीं किया गया है।

मात्रात्मक प्रभाव, निर्यात और मालसूची

154. अनुबंध-II (iv) के तहत प्राधिकारी को आवेदन-पत्र में किए गए दावों के बावजूद, घरेलू उद्योग की स्थिति पर असर डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। वर्तमान मामले में मापदंडों की पूर्णता, मुख्य रूप से कीमत न्यूनीकरण और लाभप्रदता में गिरावट, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय पर निर्भर करता है। मात्रात्मक मापदंडों से पता चलता है कि, मांग में 31% की वृद्धि हुई, जबकि घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में 21% की गिरावट आई और इसकी बाजार हिस्सेदारी ***% से घटकर ***% हो गई। जहां तक निर्यात का संबंध है, घरेलू उद्योग की निर्यात की मात्रा 2022-23 के बाद घट गई, फिर भी इसकी घरेलू बिक्री में वृद्धि नहीं हुई। इससे पता चलता है कि घरेलू बिक्री में गिरावट निर्यात के लिए उत्पादन के विचलन के कारण नहीं थी। मालसूची में गिरावट, जैसा कि पैरा 103 में दर्ज किया गया है, उत्पादन में कमी और घरेलू उद्योग द्वारा अपनी लागत से कम बिक्री के कारण है। यह घरेलू उद्योग को हुई कीमत क्षति को नकारता नहीं है।

संयंत्र I और II तथा घरेलू उद्योग की क्षमता

155. प्राधिकारी नोट करते हैं कि बिक्री लागत और क्षतिरहित कीमत को संयंत्र I और II से संबंधित लागतों को छोड़कर निर्धारित किया गया है। घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता के आधार पर क्षमता और क्षमता उपयोग की जांच की गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि, भले ही संयंत्रों की क्षमता को नजरअंदाज कर दिया जाए, और संयंत्र III की लागतों पर आधारित कीमत हास, हानियों, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय संबंधी निष्कर्ष अप्रभावित रहेंगे।

अन्य ज्ञात कारक

156. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उल्लिखित अन्य कारकों की भी जांच की है:
- i. सितंबर 2021 में शुल्कों की समाप्ति: विगत के शुल्कों की समाप्ति अपने आप में क्षति का कारण नहीं है। यह वह संदर्भ है जिसमें संबंध देश से पाटित आयातों में वृद्धि हुई और अन्य देशों से आयात को विस्थापित किया, जैसा कि पैरा 88 में दर्ज किया गया है।

- ii. मांग-आपूर्ति अंतर और घरेलू उद्योग की क्षमता: मांग-आपूर्ति अंतर की मौजूदगी से आयात की आवश्यकता की व्याख्या की जा सकती है। यह उस कीमत को नहीं बताता, जिस पर आयात आए हैं, न ही घरेलू उद्योग को उन मात्राओं पर हुई हानियां बताता है, जो उसने बेची थी।
 - iii. पैकेजिंग: पैकेजिंग के कारण लगभग 1,500 - 2,000 रु. प्रति एमटी का दावा किया गया नुकसान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और आयात की पहुंच कीमत (***रु प्रति एमटी) के बीच के अंतर से काफी कम है, और निर्धारित क्षति मार्जिन से भी कम है। इसके अलावा, यदि इस तरह की लागत को घरेलू उद्योग की कीमत में जोड़ा जाता है, जैसा कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा तर्क दिया गया है, तो कीमत कटौती सकारात्मक हो जाएगी।
 - iv. यूरिया और प्राकृतिक गैस: क्षति का विश्लेषण केवल घरेलू उद्योग के मेलामाइन प्रचालनों से संबंधित है। घरेलू उद्योग ने अप्रयुक्त क्षमता से प्रचालन किया, और इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि मेलामाइन का उत्पादन यूरिया की उपलब्धता से बाधित था। मेलामाइन के लिए एपीएम गैस के उपयोग की जांच पैरा 27 में की गई है। क्षतिरहित कीमत अनुबंध III के अनुसार निर्धारित की गई है, जिसके लिए उपयुक्तता के लिए जांच किए जाने वाले खर्चों के आवंटन और विभाजन की आवश्यकता होती है।
 - v. प्रौद्योगिकी: संयंत्र I और II की प्रौद्योगिकी क्षति का कारण नहीं हो सकती है, क्योंकि उनकी लागतों को विश्लेषण से बाहर रखा गया है।
157. इनमें से कोई भी कारक व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क को तोड़ने के लिए नहीं पाया जाता है।

आंकड़ों की विश्वसनीयता और सत्यापन

158. घरेलू उद्योग के आंकड़ों को नियम 8 के अनुसार, उसकी लेखा बहियों और लागत रिकॉर्डों के संदर्भ में आवश्यक मानी गई सीमा तक सत्यापित किया गया है। एक अलग अवधि और मुद्दों के संबंध में, एक प्रतिकारी शुल्क जांच में एक अन्य क्षेत्राधिकार के किसी प्राधिकारी के जांच परिणाम, वर्तमान जांच में आंकड़ों के सत्यापन पर असर नहीं

डालते हैं। आवेदन-पत्र में दिए गए विवरणों और सत्यापित आंकड़ों के बीच के अंतर का निर्धारण पर कोई असर नहीं पड़ता है, जो सत्यापित आंकड़ों पर आधारित है।

क्षतिरहित कीमत, नियोजित पूंजी पर आय और विनिमय दर

159. प्राधिकारी ने अनुबंध-III और अपनी सतत परिपाटी के अनुसार नियोजित औसत पूंजी पर हुई 22% उपयुक्त आय अपनाई है, जिसे पैरा 82 में दर्ज किए गए अनुसार माननीय सेस्टैट द्वारा माना गया है। इससे अलग होने का औचित्य बनाने के लिए रिकॉर्ड में कोई साक्ष्य नहीं रखा गया है। नियोजित पूंजी पर विचाराधीन उत्पाद पर विचार किया गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि संबद्ध सामानों के उत्पादन में न लगाई गई सुविधाओं के लिए कोई मूल्यहास नहीं लगाया गया है। क्षतिरहित कीमत भारतीय रुपये में निर्धारित की गई है और क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए पहुंच कीमत से उसकी तुलना की गई है तथा शुल्क की सिफारिश प्राधिकारी की सतत परिपाटी के अनुसार निर्धारित राशि के रूप में अमरीकी डॉलर में की गई है।

सामान्य मूल्य

160. जांच शुरुआत अधिसूचना में हितबद्ध पक्षकारों को उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन पर टिप्पणियां देने के लिए आमंत्रित किया गया था। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने किसी भी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में इस उत्पाद की घरेलू कीमत, निर्मित मूल्य या निर्यात कीमत के संबंध में सत्यापनीय सूचना नहीं दी है। अतः, सामान्य मूल्य पैरा 54 में रिकॉर्ड किए गए अनुसार किसी अन्य उपयुक्त आधार पर निर्मित किया गया है, जिसे उपयुक्त रूप से स्पष्ट किया गया है। उत्पादन मार्ग खंड ग में माने गए अनुसार उत्पाद की विशेषताओं या उसके अंतिम प्रयोग को नहीं बदलता।

सहयोगी उत्पादकों की सूची और शानडोंग हुआलू-हेंगशेंग केमिकल कं. लि. को शामिल करना

161. प्राधिकारी नोट करते हैं कि शानडोंग हुआलू-हेंगशेंग केमिकल कं. लिमिटेड और सिचुआन किंगान मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी कं. लिमिटेड, उनके प्रश्नावली के उत्तरों के आधार पर पैरा 42 पर नमूनाकरण तालिका में सूचीबद्ध हैं, परंतु अनजाने में गैर-नमूनाकृत सहयोगी उत्पादकों की सूची से छूट गए थे। उक्त सूची को ठीक कर दिया गया है, और

यिहुआ (शिनजियांग) मैटीरियल ट्रेड कं. लिमिटेड को, नमूनाकृत शिनजियांग यिहुआ समूह का एक हिस्सा होने के नाते, उससे हटा दिया गया है। गैर-नमूनाकृत सहयोगी उत्पादक नमूनाकृत उत्पादकों के लिए निर्धारित भारत औसत मार्जिन के अधीन होंगे। नमूनाकृत सूचनाओं का कालक्रम और भाग लेने वाले उत्पादकों की संख्या को भी ठीक कर दिया गया है।

भारतीय उद्योग के हित

162. प्राधिकरण ने प्रकटीकरण विवरण के पैराग्राफ 133 में दिए गए कथन को ठीक किया है, जो पैराग्राफ 138 के अनुरूप नहीं था। पैराग्राफ 134 के आँकड़े घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए आँकड़ों के अनुरूप हैं; प्राधिकरण द्वारा प्रभाव की गणना नीचे दी गई है। प्राधिकरण ने अब अनुशंसित शुल्कों के प्रभाव की भी जाँच की है, जो US\$ 245 से 403 प्रति मीट्रिक टन तक हैं (अर्थात् लगभग Rs 20.93 से 34.43 प्रति किलोग्राम, अथवा Rs 82.14 प्रति किलोग्राम के लैंडेड मूल्य का 25% से 42%)। गैर-नमूना-चयनित सहयोगी उत्पादकों पर लागू US\$ 257 प्रति मीट्रिक टन के शुल्क तथा US\$ 403 प्रति मीट्रिक टन के अवशिष्ट शुल्क को ध्यान में रखते हुए, डाउनस्ट्रीम उत्पादों की लागत पर प्रभाव निम्नानुसार है::

क्र. सं.	निचले स्तर के उत्पाद	आधार	लागत/कीमत में मेलामाइन का हिस्सा	यूएसडॉ. 257एमटी पर प्रभाव	यूएसडॉ. 403/एमटी पर प्रभाव
1	कमर्शियल प्लाईवुड	सिओएन मानक 6.13 किग्रा/एम 3; रु. 80,266/एम3	0.62%	0.17%	0.26%
2	विनीर	सिओएन मानक 4.15 किग्रा/एम 3; रु. 2,85,243/एम3	0.12%	0.03%	0.05%
3	लैमिनेट	सिओएन मानक 146 किग्रा/एम 3; रु. 10,41,667/एम3	1.14%	0.31%	0.48%
4	पिगमेंट	सिओएन मानक 0.18 किग्रा/किग्रा; रु. 750/किग्रा	1.94%	0.53%	0.83%
5	लैमिनेट (सैंचुरी प्लाईबोर्ड्स)	प्रयोक्ता का ईआईक्यू डेटा	***	***	***

क्र. सं.	निचले स्तर के उत्पाद	आधार	लागत/कीमत में मेलामाइन का हिस्सा	यूएसडॉ. 257एमटी पर प्रभाव	यूएसडॉ. 403/एमटी पर प्रभाव
6	लैमिनेट (मेरिनो)	प्रयोक्ता का ईआईक्यू डेटा	***	***	***
7	डेकोरेटिव लैमिनेट (ग्रीनलाम)	प्रयोक्ता का ईआईक्यू डेटा	***	***	***
8	मेलामाइन फॉर्मेलिडहाइड रेज़िन	डीआई अनुमान 0.5/किग्रा; रु. 162/किग्रा	***	***	***
9	एमएफ ग्लेज़िंग पाउडर (प्रिस्टीन)	प्रयोक्ता का ईआईक्यू डेटा	***	***	***

163. यह देखा गया है कि मुख्य अनुप्रवाह उत्पादों, अर्थात् प्लाईवुड, वेनीर, लैमिनेट और पिगमेंट की लागत पर प्रभाव 0.03% से 1.52% की सीमा में होगा। मेलामाइन फॉर्मेलिडहाइड रेज़िन और ग्लेज़िंग पाउडर पर प्रभाव अधिक होगा, जहां मेलामाइन प्रमुख इनपुट है। हालाँकि, जैसा कि पैरा 138 में उल्लेख किया गया है, राल उत्पादक लागत में वृद्धि को आगे ले जाने की स्थिति में हैं, और अंतिम उत्पादों के स्तर पर प्रभाव कम रहता है।

164. जहां तक एमएसएमई प्रयोक्ता का संबंध है, प्राधिकारी ने प्रिस्टीन मेलामाइन एलएलपी के इस दावे पर ध्यान दिया है कि यह एक एमएसएमई के रूप में पंजीकृत है, और पैरा 137 को तदनुसार संशोधित किया गया है। आईएलएमए और अन्य की संयुक्त टिप्पणियों के प्रदर्श 1 के रूप में संलग्न पत्र किसी अन्य उत्पाद के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच में प्राधिकारी को संबोधित किए गए हैं और उस जांच को समाप्त करने की मांग करते हैं। वे वर्तमान जांच से संबंधित नहीं हैं और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। प्लाईवुड और पैनल क्षेत्र में एमएसएमई इकाइयों की संख्या के बारे में सामान्य सूचना के साथ ऐसी इकाइयों पर शुल्क के प्रभाव के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई

है। अन्य इनपुट पर समानांतर जांच के संबंध में, प्रत्येक जांच अपने स्वयं के तथ्यों पर निर्धारित की जाती है, और संचयी प्रभाव को मापने वाली कोई भी सूचना रिकॉर्ड पर नहीं रखी गई है। केंद्र सरकार के पूर्व के निर्णयों और सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 12/2026 के संबंध में तर्कों की पहले ही पैरा 28 से 32 और 130 में जांच की जा चुकी है।

165. हितधारक पक्षों ने तर्क दिया है कि माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने मेलामाइन तथा इसी आवेदक से संबंधित वाद में यह माना है कि सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य, डंपिंग मार्जिन और गैर-क्षतिकारक मूल्य ऐसे आवश्यक तथ्य हैं जिन्हें नियम 7 के अंतर्गत रोका नहीं जा सकता; यह भी कि उक्त न्यायालय की खंडपीठ ने उस निर्देश के विरुद्ध जीएसएफसी द्वारा दायर “अपील की अनुमति” के आवेदन को अस्वीकार कर दिया है और इसलिए प्राधिकारी उक्त आदेश को प्रभावी करने के लिए बाध्य है। प्राधिकारी नोट करता है कि ये निर्देश निम्नलिखित कार्यवाही को चुनौती देते हुए दायर डब्ल्यूपी (सी) संख्या 6568/2017 के अनुसार जारी किए गए थे:

- i. अधिसूचना संख्या 14/35/2010- डीजीएडी दिनांक 01.06.2012 (मूल जाँच निष्कर्ष: यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, जापान और ईरान)
- ii. अधिसूचना संख्या 15/17/2014- डीजीएडी दिनांक 05.12.2015 (अंतिम निष्कर्ष, दूसरी एसएसआर: चीन)
- iii. अधिसूचना संख्या 7/14/2017- डीजीएडी दिनांक 22.09.2017 (एसएसआर की शुरुआत और अंतरिम अनुशंसा: यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, जापान और ईरान)

166. और परिणामस्वरूप, संबंधित सीमा शुल्क अधिसूचनाओं को भी चुनौती दी गई थी:

- i. अधिसूचना संख्या 48/2012- सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 08.10.2012
- ii. अधिसूचना संख्या 2/2016- सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 28.01.2016
- iii. अधिसूचना संख्या 47/2017- सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 06.10.2017

167. प्राधिकरण नोट करता है कि अधिसूचना संख्या 48/2012- सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 08.10.2012, अधिसूचना संख्या 2/2016- सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 28.01.2016 तथा अधिसूचना संख्या 47/2017- सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 06.10.2017 समय बीत जाने के कारण अब समाप्त हो चुकी हैं।

168. जीएसएफसी और भारत संघ ने डब्ल्यूपी (सी) संख्या 6568/2017 के संबंध में दिनांक 26.08.2019 को पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध खंडपीठ के समक्ष Writ Appeals No. 11/2020 और 12/2020 दायर कीं। अपील दायर करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए जीएसएफसी द्वारा दायर रिट अपील खारिज कर दी गई, यद्यपि उसे भारत संघ द्वारा दायर रिट अपील में हस्तक्षेप की अनुमति प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। भारत संघ (अर्थात् डीजीटीआर) द्वारा दायर रिट अपील को इस स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया कि समीक्षा याचिका संख्या. 9/2020 में पारित आदेश को भी चुनौती दी जा सके। भारत संघ ने नई रिट अपील दायर नहीं की।
169. प्राधिकरण नोट करता है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश डब्ल्यूपी (सी) संख्या. 6568/2017 में चुनौती दी गई विशिष्ट अधिसूचनाओं के संदर्भ में जारी किए गए थे, जो सभी अब समाप्त हो चुकी हैं। वर्तमान मामला एक नई जाँच है, जो एक अलग जाँच अवधि और अलग अभिलेख पर आधारित है, जिसमें प्राधिकरण को इस जाँच के अभिलेख पर उपलब्ध जानकारी के संदर्भ में नियम 7 और 16 के अंतर्गत अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। वर्तमान जाँच में सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स (इंडिया) लिमिटेड और अन्य हितधारक पक्षों द्वारा सामान्य मूल्य/निर्यात मूल्य/गैर-क्षतिकारक मूल्य के प्रकटीकरण के संबंध में किए गए तर्कों की नीचे जाँच की गई है।
170. एंटी-डंपिंग नियमों का नियम 7(1) निम्नलिखित प्रावधान करता है:
- “गोपनीय जानकारी— (1) नियम 6 के उप-नियम (2), (3) और (7), नियम 12 के उप-नियम (2), नियम 15 के उप-नियम (4) और नियम 17 के उप-नियम (4) में निहित किसी भी बात के बावजूद, नियम 5 के उप-नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रतियाँ अथवा जाँच के दौरान किसी भी पक्ष द्वारा नामित प्राधिकारी को गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई कोई अन्य जानकारी, यदि नामित प्राधिकारी उसकी गोपनीयता के संबंध में संतुष्ट है, तो उसके द्वारा ऐसी ही मानी जाएगी और ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले पक्ष की विशिष्ट अनुमति के बिना ऐसी कोई जानकारी किसी अन्य पक्ष को प्रकट नहीं की जाएगी।”*

(2) नामित प्राधिकारी गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले पक्षों से उसका गैर-गोपनीय सारांश प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है और यदि जानकारी प्रदान करने वाले पक्ष की राय में ऐसी जानकारी सारांशित किए जाने योग्य नहीं है, तो वह नामित प्राधिकारी को यह बताते हुए कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांश बनाना क्यों संभव नहीं है।

(3) उप-नियम (2) में निहित किसी बात के बावजूद, यदि नामित प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है अथवा जानकारी का प्रदाता या तो जानकारी को सार्वजनिक करने या उसे सामान्यीकृत अथवा सारांशित रूप में प्रकट करने की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी जानकारी की उपेक्षा कर सकता है।

171. नियम 7(1) में प्रयुक्त गैर-बाध्यकारी खंड यह स्पष्ट करता है कि नियम 6(2) [ज्ञात निर्यातकों को सार्वजनिक सूचना], नियम 6(3) [ज्ञात निर्यातकों और निर्यातक देशों की सरकारों को आवेदन की प्रति उपलब्ध कराना], नियम 6(7) [हितधारक पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को ही उपलब्ध कराने का दायित्व], नियम 12(2) [प्रारंभिक निष्कर्षों के साथ सार्वजनिक सूचना], नियम 15(4) [उपक्रम की स्वीकृति की सूचना] तथा नियम 17(4) [अंतिम निष्कर्षों का प्रकाशन] के अंतर्गत अपने कार्यों का निर्वहन करते समय प्राधिकरण गोपनीयता बनाए रखने के लिए बाध्य है। यह स्पष्ट है कि गोपनीयता का दायित्व संपूर्ण एंटी-डंपिंग नियमों में व्याप्त है। यह भारत के संधि संबंधी दायित्वों से उत्पन्न होता है, जो सामान्य टैरिफ और व्यापार समझौते के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी समझौते ("डब्ल्यूटीओ एंटी डंपिंग समझौता") के अनुच्छेद 6.5.1, 6.5.2 और 12.2.2 के अंतर्गत हैं, जो गोपनीयता बनाए रखने के महत्व पर बल देते हैं।

172. डब्ल्यूटीओ एंटी-डंपिंग समझौते का अनुच्छेद 6.5 निम्नानुसार है:

6.5 ऐसी कोई भी जानकारी जो अपने स्वरूप से गोपनीय हो (उदाहरण के लिए, क्योंकि उसके प्रकटीकरण से किसी प्रतिस्पर्धी को महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त होगा अथवा क्योंकि उसके प्रकटीकरण का जानकारी उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति या उस व्यक्ति से जानकारी प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा), अथवा जो जाँच के पक्षों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई

गई हो, उसे उचित कारण प्रदर्शित किए जाने पर प्राधिकरण द्वारा गोपनीय माना जाएगा। ऐसी जानकारी उसे प्रस्तुत करने वाले पक्ष की विशिष्ट अनुमति के बिना प्रकट नहीं की जाएगी। [फुटनोट हटाया गया]

6.5.1 प्राधिकरण गोपनीय जानकारी उपलब्ध कराने वाले हितधारक पक्षों से उसका गैर-गोपनीय सारांश प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा। ये सारांश इतनी पर्याप्त जानकारी के साथ होंगे कि गोपनीय रूप से प्रस्तुत जानकारी की विषय-वस्तु को युक्तिसंगत रूप से समझा जा सके। असाधारण परिस्थितियों में ऐसे पक्ष यह बता सकते हैं कि ऐसी जानकारी सारांशित किए जाने योग्य नहीं है। ऐसी असाधारण परिस्थितियों में सारांश बनाना संभव न होने के कारणों का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

6.5.2 यदि प्राधिकरण यह पाता है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है और जानकारी का प्रदाता या तो जानकारी को सार्वजनिक करने अथवा सामान्यीकृत या सारांशित रूप में उसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो प्राधिकरण ऐसी जानकारी की उपेक्षा कर सकता है, जब तक कि उपयुक्त स्रोतों से उसकी संतुष्टि के लिए यह प्रदर्शित न किया जाए कि जानकारी सही है। [फुटनोट हटाया गया]

173. एंटी डंपिंग पर विश्व व्यापार संगठन का अनुच्छेद 6.5 यह प्रावधान करता है कि ऐसी गोपनीय जानकारी, जिसके प्रकटीकरण से किसी प्रतिस्पर्धी को महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त होगा और जानकारी का खुलासा करने वाले व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जानकारी उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति की अनुमति के बिना प्रकट नहीं की जाएगी। प्राधिकारी नोट करता है कि विधि और वैधानिक नियमों की व्याख्या भारत के संधि संबंधी दायित्वों के अनुरूप की जानी चाहिए। अतः एंटी-डंपिंग नियमों की व्याख्या डब्ल्यूटीओ समझौते के आलोक में की जानी चाहिए, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीमा शुल्क वाणिज्यिक बनाम जीएम निर्यात, (2016) 1 एससीसी 91 के मामले में माना है। प्रासंगिक अंश नीचे पुनरुत्पादित है:

“...23. उपर्युक्त प्राधिकारियों के समग्र अवलोकन से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं:

- (1) भारत के संविधान का अनुच्छेद 51(c) राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों का एक प्रावधान है, जिसमें कहा गया है कि राज्य अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि संबंधी दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। परिणामस्वरूप, अंतरराष्ट्रीय विधि के

वे नियम जो घरेलू कानून के विपरीत नहीं हैं, इस देश के न्यायालयों द्वारा अपनाए जाते हैं। यह ऐसी स्थिति है जहाँ भारत किसी अंतरराष्ट्रीय संधि का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है अथवा अंतरराष्ट्रीय विधि के सामान्य नियम लागू होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि घरेलू कानून और अंतरराष्ट्रीय कानून में कोई टकराव हो, तो घरेलू कानून प्रभावी होगा।

(2) ऐसी स्थिति में जहाँ भारत किसी अंतरराष्ट्रीय संधि का हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र है और उक्त संधि के अनुसरण में कोई कानून बनाया गया है, ऐसे कानून के अस्पष्ट या संदिग्ध प्रावधानों की व्याख्या में संधि की शर्तों का सहारा लेना एक वैध साधन है, ताकि ऐसी व्याख्या अपनाई जा सके जो संधि के प्रावधानों के अनुरूप हो।

(3) ऐसी स्थिति में जहाँ भारत किसी अंतरराष्ट्रीय संधि का हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र है और ऐसी संधि को आगे बढ़ाने के लिए कोई कानून बनाया गया है, तो ऐसे कानून की संकीर्ण शाब्दिक व्याख्या के बजाय उद्देश्यपरक व्याख्या को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे कानून की व्याख्या व्यापक रूप से स्वीकृत सामान्य सिद्धांतों के आधार पर की जानी चाहिए, न कि पूर्व घरेलू नज़ीरों के आधार पर, क्योंकि उसका उद्देश्य संधि संबंधी दायित्वों को लागू करना है और उनके विपरीत जाना नहीं है।

(4) ऐसी स्थिति में जहाँ भारत किसी अंतरराष्ट्रीय संधि का हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र है और किसी संधि दायित्व को लागू करने के लिए कानून बनाया गया है, तथा ऐसे कानून की भाषा और संधि के संबंधित प्रावधान के बीच कोई अंतर है, तो वैधानिक भाषा की व्याख्या संधि के समान अर्थ में की जानी चाहिए। इसका कारण यह है कि ऐसे मामलों में अंतरराष्ट्रीय संधि के माध्यम से एक समान अंतरराष्ट्रीय विधि-संहिता स्थापित करना अभिप्रेत है, जिसे सभी हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों के न्यायालयों द्वारा इस प्रकार लागू किया जाना है कि सभी हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों में समान परिणाम प्राप्त हो।

48. ...हम पहले ही यह मान चुके हैं कि यह उपर्युक्त पैराग्राफ 15 से 22 में उल्लिखित सभी निर्णयों तथा इस निर्णय के पैराग्राफ 23 के सिद्धांत (3) और (4) के विपरीत होगा, जो यह बताते हैं कि किसी अंतरराष्ट्रीय संधि को आगे बढ़ाने के लिए बनाए गए घरेलू कानून की व्याख्या किस प्रकार की जानी चाहिए। विशेष रूप से, इन मामलों के तथ्यों में यह डब्ल्यूटीओ समझौते के अनुच्छेद 18.4 के प्रभाव की भी उपेक्षा करेगा, जो स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि सभी हस्ताक्षरकर्ता सदस्य राष्ट्रों को अपने कानूनों को डब्ल्यूटीओ समझौते के प्रावधानों के अनुरूप बनाना होगा...”

174. प्राधिकरण आगे नोट करता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *भारत संघ और अन्य/बनाम मैसर्स मेघमणि ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, (2016) 10 एससीसी 28* के मामले में माना कि नामित प्राधिकरण द्वारा किसी पक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के संबंध में गोपनीयता के दावे को विधिवत स्वीकार कर लेने के बाद, ऐसी जानकारी को प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। संवेदनशील गोपनीय जानकारी का प्रकटीकरण न करने की सावधानी बरतते हुए, नामित प्राधिकरण एक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाकर प्रमुख मुद्दों पर कारणों का संकेत दे सकता है, ताकि पक्ष सामान्य शब्दों में यह समझ सकें कि उनके मामले या आपत्ति को प्रतिद्वंद्वी दावे की तुलना में क्यों स्वीकार नहीं किया गया। प्रासंगिक अंश नीचे पुनरुत्पादित है।

30. हम यहाँ केवल यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि संबंधित पक्षों की आपत्तियों या मामले से निपटते समय, नामित प्राधिकरण को ऐसी जानकारी प्रकट नहीं करनी चाहिए जिसे जानकारी प्रदान करने वाले किसी पक्ष के गोपनीयता दावे को विधिवत स्वीकार करके पहले ही गोपनीय माना जा चुका है। संवेदनशील गोपनीय जानकारी का प्रकटीकरण न करने की सावधानी बरतते हुए, नामित प्राधिकरण एक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाकर प्रमुख मुद्दों पर कारणों का संकेत दे सकता है, ताकि पक्ष सामान्य रूप से यह जान सकें कि उनके मामले या आपत्ति को प्रतिद्वंद्वी दावे की तुलना में क्यों स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन अघोषित गोपनीयता की आड़ में नामित प्राधिकरण अपनी अर्ध-न्यायिक भूमिका में निष्पक्ष रूप से कार्य करने की जिम्मेदारी से बच नहीं सकता और अपने निष्कर्षों के कारण बताने से इनकार नहीं कर सकता। नामित प्राधिकरण को यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी जानकारी को तब तक गोपनीय न माना जाए जब तक जानकारी उपलब्ध कराने वाले किसी पक्ष द्वारा गोपनीयता का दावा न किया गया हो। जहाँ गोपनीयता के दावे को स्वीकार करना संभव न हो, वहाँ नियम 7 नामित प्राधिकरण के लिए इस जानकारी की उपेक्षा करने के अलावा लगभग कोई विकल्प नहीं छोड़ता, यदि उसकी राय में जानकारी वास्तव में गोपनीय नहीं है और संबंधित पक्ष फिर भी उसे सार्वजनिक किए जाने के लिए सहमत नहीं है। ऐसी स्थिति में जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे केवल नज़रअंदाज़ किया जाना चाहिए और *non est* माना जाना चाहिए।

175. प्राधिकरण आगे नोट करता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड बनाम नामित प्राधिकरण, (2006) 10 एससीसी 386* के मामले में माना कि नियम 7 के अंतर्गत गोपनीयता को स्वतः मान लिया जाना आवश्यक नहीं है। बेशक, ऐसे मामलों में गोपनीयता की आवश्यकता होती है, अन्यथा व्यापारिक प्रतिस्पर्धियों को ऐसी गोपनीय जानकारी प्राप्त हो जाएगी जो उन्हें अन्यथा उपलब्ध नहीं हो सकती। लेकिन प्रस्तुत जानकारी को गोपनीय रखा जाना आवश्यक है या नहीं, इसका निर्णय प्रत्येक मामले के आधार पर किया जाना चाहिए। यह निर्धारित करना नामित प्राधिकरण का कार्य है कि किसी विशेष सामग्री को गोपनीय रखा जाना आवश्यक है या नहीं। जहाँ गोपनीयता आवश्यक हो, वहाँ भी अपीलीय प्राधिकरण अर्थात् सीईजीएटी के लिए संबंधित अभिलेखों को देखना सदैव खुला रहेगा। प्रासंगिक अंश निम्नलिखित है:

3. हमारे विचार में, इस मामले के गुण-दोष में जाना आवश्यक नहीं है क्योंकि हम कुछ दिशानिर्देश निर्धारित करने के बाद मामले को सीईजीएटी को वापस भेजना प्रस्तावित करते हैं। हमारे समक्ष किए गए तर्कों से ऐसा प्रतीत होता है कि सीमा शुल्क टैरिफ (डंप की गई वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रहण और क्षति के निर्धारण के लिए) नियम, 1995 के नियम 7 के अनुसरण में नामित प्राधिकरण किसी पक्ष द्वारा किसी सामग्री को गोपनीय माने जाने का अनुरोध मात्र किए जाने पर उसके समक्ष प्रस्तुत सभी सामग्री को गोपनीय मान रहा है। हमारे विचार में, नियम 7 का आशय ऐसा नहीं है। नियम 7 के अंतर्गत नामित प्राधिकरण को उस सामग्री की गोपनीयता के संबंध में संतुष्ट होना आवश्यक है। सामग्री गोपनीय होने पर भी नामित प्राधिकरण को गोपनीय आधार पर जानकारी उपलब्ध कराने वाले पक्षों से उसका गैर-गोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कहना चाहिए। यदि ऐसा विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उस पक्ष को नामित प्राधिकरण के समक्ष यह बताना चाहिए कि सारांश बनाना क्यों संभव नहीं है। किसी भी स्थिति में, नियम 7(3) के अंतर्गत नामित प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुँच सकता है कि गोपनीयता उचित नहीं है और कुछ मामलों में वह उस जानकारी की उपेक्षा कर सकता है। यह याद रखना चाहिए कि संबंधित सामग्री को दूसरे पक्ष को उपलब्ध न कराने से दूसरा पक्ष प्रभावित होता है, क्योंकि प्रभावी अपील दायर करने में उसे कठिनाई होती है। अतः नियम 7 के अंतर्गत गोपनीयता को स्वतः मान लेना आवश्यक नहीं है। निस्संदेह, ऐसे मामलों में गोपनीयता की आवश्यकता होती

है, अन्यथा व्यापारिक प्रतिस्पर्धियों को ऐसी गोपनीय जानकारी प्राप्त हो जाएगी जो उन्हें अन्यथा उपलब्ध नहीं हो सकती। लेकिन प्रस्तुत जानकारी को गोपनीय रखा जाना आवश्यक है या नहीं, इसका निर्णय प्रत्येक मामले के आधार पर किया जाना चाहिए। यह तय करना नामित प्राधिकरण का कार्य है कि किसी विशेष सामग्री को गोपनीय रखा जाना आवश्यक है या नहीं। जहाँ गोपनीयता आवश्यक हो, वहाँ भी अपीलीय प्राधिकरण, अर्थात् CEGAT, के लिए संबंधित अभिलेखों को देखना सदैव खुला रहेगा।

176. प्राधिकरण नोट करता है कि नियम 6, 7, 12, 15, 16 और 17 की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या से यह स्पष्ट होता है कि नामित प्राधिकरण के लिए सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य, डंपिंग मार्जिन और गैर-क्षतिकारक मूल्य निर्धारित करने में प्रयुक्त पद्धति के कारणों का पूर्ण स्पष्टीकरण प्रकट करना आवश्यक है, न कि आवश्यक रूप से स्वयं के निरपेक्ष आँकड़े। प्राधिकरण आगे नोट करता है कि नियम 7 और डब्ल्यूटीओ समझौते के अनुच्छेद 6.5 के अंतर्गत विशेष रूप से प्रतिबंधित जानकारी का प्रकटीकरण दूरगामी परिणाम उत्पन्न कर सकता है। इससे संबंधित डब्ल्यूटीओ सदस्य द्वारा भारत सरकार के विरुद्ध डब्ल्यूटीओ में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है तथा विदेशी उत्पादकों से सहयोग और प्रतिक्रियाएँ प्राप्त होना बाधित हो सकता है और प्राधिकरण द्वारा संचालित कार्यवाही को स्वयं डब्ल्यूटीओ समझौते के उल्लंघन के रूप में माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त, ऐसे प्रकटीकरण से हितधारक पक्षों (घरेलू उद्योग सहित) द्वारा भारतीय न्यायालयों के समक्ष मुकदमेबाजी हो सकती है।
177. प्राधिकरण नोट करता है कि यद्यपि नियम 7(1) में गैर-बाध्यकारी खंड में नियम 16 का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, फिर भी नियमों की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या करने पर यह नियम 16 के अंतर्गत किए जाने वाले प्रकटीकरण पर भी समान रूप से लागू होता है। ऐसी जानकारी जिसे जाँच शुरू करते समय, जाँच के दौरान अथवा अंतिम निर्धारण के चरण में प्रकट नहीं किया जा सकता, यदि नियम 16 के चरण में प्रकट कर दी जाए, तो इससे नियम 7 के अंतर्गत प्रदान की गई गोपनीयता का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। इसका कारण यह है कि प्रकटीकरण विवरण सभी हितधारक पक्षों को जारी किया जाता है और वास्तविक रूप से यह सदैव के लिए एक सार्वजनिक दस्तावेज बन जाता है तथा भविष्य में किसी भी पक्ष के लिए उपलब्ध रहेगा। प्राधिकरण आगे नोट

करता है कि जो जानकारी अंतिम निष्कर्षों में प्रकट नहीं की जा सकती, उसे पहले के किसी चरण में भी प्रकट नहीं किया जा सकता। अतः विशेष रूप से सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और गैर-क्षतिकारक मूल्य को प्राधिकरण द्वारा प्रकटीकरण विवरण के माध्यम से भी प्रकट नहीं किया जा सकता। प्राधिकरण के मत में, जाँच के किसी भी चरण में सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य, डंपिंग मार्जिन और गैर-क्षतिकारक मूल्य के निरपेक्ष आँकड़े प्रकट करने पर रोक है और इसलिए इन्हें सीमा (range) के रूप में प्रकट किया गया है। अन्यथा ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिसमें प्राधिकरण सभी पक्षों, जिनके हित प्रतिस्पर्धी अथवा परस्पर विरोधी हैं, को जाँच में भाग लेने वाली किसी कंपनी की व्यवसाय-संबंधी गोपनीय जानकारी प्रकट करने और उपलब्ध कराने के लिए बाध्य हो जाएगा, विशेष रूप से तब जब ऐसी कंपनी ने वह जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं की हो और उसे गोपनीय बताया हो तथा नियम 7 के अनुसार उसकी जाँच करने के बाद प्राधिकरण ने गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया हो। प्रकटीकरण विवरण जारी करते समय नामित प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य, डंपिंग मार्जिन और गैर-क्षतिकारक मूल्य के रूप में गोपनीय जानकारी का प्रकटीकरण नियम 7 के उद्देश्य को विफल कर देगा। प्राधिकरण यह भी नोट करता है कि अंतिम निष्कर्ष जारी करते समय ऐसी जानकारी को गोपनीय रखना प्राधिकरण के लिए अनुमत है।

178. जहाँ तक प्रकटीकरण विवरण में मूल्य-अंडरकटिंग तालिका के संबंध में यह तर्क है कि उसमें न तो लैंडेड मूल्य, न NSR, न अंडरकटिंग की राशि और न ही कोई सीमा दी गई थी तथा केवल “Negative” लिखा गया था, प्राधिकरण निम्नलिखित नोट करता है। NSR का वास्तविक आँकड़ा घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीय जानकारी के रूप में दावा किया गया था और प्राधिकरण द्वारा स्वीकार किया गया था। लैंडेड मूल्य DG Systems से प्राप्त लेन-देन-वार आयात आँकड़ों से निर्धारित किया गया है और अब इन अंतिम निष्कर्षों के पैराग्राफ 90 में मूल्य-अंडरकटिंग की सीमा के साथ प्रकट किया गया है। प्राधिकरण नोट करता है कि मूल्य-अंडरकटिंग की मात्रा (मामूली) का खुलासा प्रकटीकरण विवरण के पैराग्राफ 92 में किया गया था। प्राधिकरण ने माना है कि “विषय देश से जाँच अवधि के दौरान आयातों का लैंडेड मूल्य घरेलू उद्योग की शुद्ध बिक्री प्राप्ति से मामूली रूप से अधिक है। तदनुसार, विषय देश से मूल्य-अंडरकटिंग मामूली रूप से नकारात्मक है।” प्राधिकरण नोट करता है कि नियमों के अनुलग्नक-II में प्राधिकरण से

यह जाँच करने की अपेक्षा की गई है कि डंप किए गए आयातों के कीमतों पर प्रभाव के संबंध में, क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में डंप किए गए आयातों द्वारा महत्वपूर्ण मूल्य-अंडरकटिंग हुई है, अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को महत्वपूर्ण रूप से कम करना या उस मूल्य-वृद्धि को महत्वपूर्ण रूप से रोकना है जो अन्यथा हुई होती। लैंडेड मूल्य तथा मूल्य-अंडरकटिंग की सीमा का प्रकटीकरण हितधारक पक्षों को मूल्य-अंडरकटिंग की सीमा समझने में सक्षम बनाता है, जबकि एकमात्र घरेलू उत्पादक की शुद्ध बिक्री प्राप्ति को सुरक्षित रखता है। प्राधिकरण नोट करता है कि इस संबंध में मूल्य-अंडरकटिंग नकारात्मक होने पर भी घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है। प्राधिकरण ने प्रकटीकरण विवरण और वर्तमान अंतिम निष्कर्षों में यह बताया है कि मूल्य-अंडरकटिंग किस प्रकार निर्धारित की गई और हितधारक पक्षों की समझ के लिए इसे सारणीबद्ध रूप में भी दर्शाया है।

179. जहाँ तक US\$ प्रति मीट्रिक टन में निर्मित सामान्य मूल्य, शुद्ध निर्यात मूल्य और डंपिंग मार्जिन के प्रकटीकरण का प्रश्न है, प्राधिकरण नोट करता है कि सामान्य मूल्य तथा निर्यात और डंपिंग मार्जिन के निरपेक्ष आँकड़े, जैसा कि ऊपर जाँच की गई है, गोपनीय हैं। सामान्य मूल्य तथा निर्यात मूल्य के निर्माण की पद्धति और डंपिंग मार्जिन की सीमा का खुलासा अंतिम निष्कर्षों में किया गया है। सामान्य मूल्य US\$ 1,000-1,100 प्रति मीट्रिक टन की सीमा में है।
180. जहाँ तक एनआईपी के प्रकटीकरण का प्रश्न है, प्राधिकरण नोट करता है कि एनआईपी का निरपेक्ष आँकड़ा, जैसा कि ऊपर जाँच की गई है, गोपनीय है। एनआईपी निर्धारित करने की पद्धति का प्रकटीकरण विवरण में विस्तार से खुलासा किया गया है। एनआईपी वह मानक है जिसके आधार पर क्षति मार्जिन निर्धारित किया जाता है और क्षति मार्जिन को सीमा में प्रकट किया गया है। तथापि, गैर-क्षतिकारक मूल्य की सीमा US\$ 1,100-1,200 प्रति मीट्रिक टन है।
181. जहाँ तक माँग के प्रकटीकरण का प्रश्न है, प्राधिकरण का विचार है कि माँग से संबंधित जानकारी आवेदक द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई थी। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण ने घरेलू उद्योग की बिक्री तथा डीजी सिस्टम के आँकड़ों के आधार पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित आयात मात्रा के आधार पर माँग निर्धारित की है। प्राधिकरण का विचार

है कि चूँकि माँग घरेलू बिक्री के आधार पर निर्धारित की गई है और आवेदक ने उसे गोपनीय बताया है, इसलिए प्राधिकरण उसका खुलासा नहीं कर सकता था। चूँकि घरेलू उद्योग भारत में एकमात्र उत्पादक है और आयात मात्रा का खुलासा किया जा चुका है, माँग को निरपेक्ष रूप में प्रकट करने से घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री का खुलासा हो जाता। ऐतिहासिक माँग की प्रवृत्ति से संबंधित जानकारी घरेलू उद्योग द्वारा अपने आर्थिक हित प्रश्नावली में हितधारक पक्षों को उपलब्ध कराई गई थी। हितधारक पक्षों ने घरेलू उद्योग के दावों के संबंध में कोई सार्थक प्रस्तुति नहीं की है। अतः प्रकटीकरण विवरण में इसे रिपोर्ट न करने से हितधारक पक्षों को कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। प्राधिकरण आगे नोट करता है कि यह जानकारी डंपिंग, क्षति या कारणात्मक संबंध के निर्धारण के लिए प्रासंगिक नहीं है। घरेलू उद्योग ने यह जानकारी सार्वजनिक हित संबंधी अपने दावे के संदर्भ में उपलब्ध कराई थी। इसके बावजूद, प्राधिकरण ने इन अंतिम निष्कर्षों के पैराग्राफ 85 में माँग को सीमा के रूप में प्रकट किया है।

182. पैराग्राफ 132 में प्रस्तुत आँकड़ों के संबंध में प्राधिकरण का विचार है कि यह जानकारी उपयोगकर्ता प्रश्नावली के उत्तर पर आधारित है, जिसमें सेंचुरी प्लाईबोर्ड इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत उत्तर भी शामिल है। प्राधिकरण नोट करता है कि सेंचुरी प्लाईबोर्ड इंडिया लिमिटेड ने स्वयं इस जानकारी को गोपनीय बताया है और अब यह माँग की है कि ऐसी जानकारी का प्राधिकरण द्वारा खुलासा किया जाना चाहिए।
183. क्षति अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए बिक्री की प्रति इकाई लागत और बिक्री मूल्य से संबंधित जानकारी प्रवृत्ति के रूप में प्रकट की गई है। आवेदक ने इस जानकारी पर गोपनीयता का दावा किया था और यह जानकारी प्रवृत्ति के रूप में उपलब्ध कराई थी। प्राधिकरण का विचार है कि यह जानकारी घरेलू उद्योग की लागत संरचना से संबंधित व्यवसाय-संवेदनशील जानकारी है और इसलिए इस जानकारी को गोपनीय मानने के लिए पर्याप्त उचित कारण मौजूद है।

ठ. निष्कर्ष

184. उठाए गए तर्कों, प्रदान की गई सूचना और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उपर्युक्त जांच परिणामों में दर्ज किए गए अनुसार, और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं:

- i. विचाराधीन उत्पाद "मेलामाइन" है, और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान संबद्ध देश से आयातित उत्पाद की समान वस्तु हैं।
- ii. आवेदक, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, नियम 2(ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग है और नियमावली के नियम 5(3) के तहत आधार की अपेक्षाएं पूरा करता है।
- iii. संबद्ध देश के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया गया है। संबद्ध सामान पाटित कीमतों पर संबद्ध देश से भारत में निर्यात किए गए हैं और पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी है।
- iv. संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों में पूर्ण दृष्टि से और भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में काफी वृद्धि हुई है, जो 2021-22 में 60,648 एमटी से बढ़कर जांच की अवधि में 1,14,357 एमटी तक हो गई।
- v. पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों काफी मात्रा तक ह्रास किया है। संबद्ध आयात की पहुंच कीमत में 49% तक की गिरावट आई, जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में 2% तक की गिरावट आई, और घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री की लागत से कम बिक्री मूल्य कीमत कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- vi. घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है, जैसा कि इसके उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री और बाजार हिस्सेदारी और उसकी लाभप्रदता और नियोजित पूंजी में गिरावट से स्पष्ट है, जो नकारात्मक हो गई, जबकि नकद लाभ, यद्यपि जांच की अवधि में मामूली तौर पर सकारात्मक था, घरेलू उद्योग के प्रचालनों को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त रहा।
- vii. अन्य ज्ञात कारकों की जांच की गई है और वे कारणात्मक संपर्क को नहीं तोड़ते। घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण हुई है।

- viii. क्षति मार्जिन सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन से कम हैं।
- ix. पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित के विरुद्ध नहीं है।

185. अतः, प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करना उपयुक्त मानते हैं।

ड. सिफारिश

186. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था तथा घरेलू उद्योग, उत्पादकों/निर्यातकों, आयातकों/प्रयोक्ताओं एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के पहलुओं पर सूचना देने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। सकारात्मक पाटन मार्जिन, घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति और पाटित आयातों तथा क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क निर्धारित होने पर प्राधिकारी का यह मत है कि पाटन और क्षति को दूर करने के लिए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना आवश्यक है।

187. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन से कमतर के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं। तदनुसार, प्राधिकारी नियमावली के नियम 17(1)(ख) के दूसरे परंतुक के अनुसार, संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर निम्नलिखित शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर, इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं:

शुल्क तालिका

क्र.सं. (1)	शीर्ष (2)	सामानों का विवरण (3)	मूल देश (4)	निर्यात का देश (5)	उत्पादक (6)	राशि (7)	यूनिट (8)	मुद्रा (9)
1	2933 61 00	मेलामाइन*	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	हुआकियांग केमिकल ग्रुप स्टॉक कंपनी लिमिटेड	282	एमटी	यूएसडॉ.
2	2933 61 00	मेलामाइन*	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	शिनजियांग यिहुआ केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड	245	एमटी	यूएसडॉ.
3	2933 61 00	मेलामाइन*	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	शिनजियांग शिनलियानक्सिन एनर्जी केमिकल कंपनी लिमिटेड	248	एमटी	यूएसडॉ.
4	2933 61 00	मेलामाइन*	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	ज़िन्जी जिउली केमिकल कंपनी लिमिटेड	257	एमटी	यूएसडॉ.
5	2933 61 00	मेलामाइन*	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	ज़िन्जी जिउयुआन केमिकल कंपनी लिमिटेड	257	एमटी	यूएसडॉ.
6	2933 61 00	मेलामाइन*	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	सिचुआन गोल्डन- एलिफेंट सिन्सियरिटी केमिकल कंपनी लिमिटेड	257	एमटी	यूएसडॉ.
7	2933 61 00	मेलामाइन*	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	शानडोंग हुआलू- हेंगशेंग केमिकल कं, लिमिटेड	257	एमटी	यूएसडॉ.

क्र.सं. .	शीर्ष	सामानों का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	यूनिट	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	2933 61 00	मेलामाइन*	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	शिनजियांग जिनजियांग केमिकल इंडस्ट्री कं, लि.	257	एमटी	यूएसडॉ.
9	2933 61 00	मेलामाइन*	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	वेइफांग चांगरून केमिकल कंपनी लिमिटेड	257	एमटी	यूएसडॉ.
10	2933 61 00	मेलामाइन*	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	क्र.सं. 1 से 10 में उल्लिखित को छोड़कर कोई उत्पादक	403	एमटी	यूएसडॉ.
11	2933 61 00	मेलामाइन*	चीन जन.गण. को छोड़कर कोई देश	चीन जन.गण.	कोई	403	एमटी	यूएसडॉ.

* सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

188. उपरोक्त शुल्क तालिका में उल्लिखित कंपनियों के लिए निर्दिष्ट व्यक्तिगत शुल्क दरों का आवेदन-पत्र सीमा शुल्क अधिकारियों को एक वैध वाणिज्यिक बीजक प्रस्तुत करने पर सशर्त होगा, जिस पर ऐसे बीजक जारी करने वाली कंपनी के एक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा दिनांकित होगी, जो उसके नाम और कार्य से पहचाना जाएगा, जैसा कि निम्नलिखित प्रारूप में है:

'मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता हूं कि भारत को निर्यात के लिए बेचे गए मेलामाइन की मात्रा इस बीजक द्वारा कवर की गई चीन जन.गण. में (कंपनी का नाम और पता)

द्वारा निर्मित की गई थी। मैं घोषणा करता हूँ कि इस बीजक में दी गई सूचना पूर्ण और सही है।

189. यदि ऐसा कोई बीजक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अन्य सभी दरों पर लागू शुल्क लागू होगा। यह आवश्यकता लागू सीमा शुल्क कानून और विनियमों के तहत सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की गई सत्यापन प्रक्रियाओं के लिए पूर्वाग्रह के बिना है।

पहुंच मूल्य

190. इन जांच परिणामों के प्रयोजन के लिए आयातों का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार निर्धारणीय मूल्य होगा और इसमें सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3, 8ख, 9, 9क, 9ख और 9ग के तहत लगाए गए शुल्कों के सिवाय सभी सीमा शुल्क शामिल हैं।

आगे की प्रक्रिया

191. इन जांच परिणामों के कारण केन्द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम की धारा 9ग के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

FINAL FINDINGS

New Delhi, 28th September, 2026

Case No. AD (OI) – 35/2025

Anti-dumping investigation concerning imports of Melamine originating in or exported from China PR.

A. BACKGROUND OF THE CASE

F. No. 6/40/2025 – DGTR - Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the “Anti-Dumping Rules” or “Rules”) thereof.

1. The Designated Authority (hereinafter referred to as “Authority”) received an application from Gujarat State Fertilisers and Chemicals Limited (GSFC) (hereinafter referred to as the “applicant” or the “domestic industry”) seeking initiation of an anti-dumping investigation on imports of Melamine (hereinafter to be referred to as the “subject goods” or “product under consideration” or “PUC”), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the “subject country”).
2. On the basis of *prima facie* evidence submitted by the domestic industry, the Authority issued a public notice vide notification no. 6/40/2025-DGTR dated 29th September 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

3.1 Initiation

- i. In accordance with Rule 5(5), prior to initiation of the investigation, the government of the subject country was notified through their embassy in India about the receipt of the present anti-dumping application.
- ii. In accordance with Rule 6(2), the interested parties were informed of the initiation of the investigation by sharing a copy of the initiation notification with the embassy of the subject country in India, known producers and exporters of the product under consideration in the subject country, known importers of the subject goods in India and other interested parties, as per the information made available in the application.

3.2 Period of investigation and injury period:

- i. As noted in the initiation notification, the period of investigation (POI) was considered as 1st April 2024 to 31st March 2025. The injury period was set to cover the years 2021-22, 2022-23, 2023-24 and the period of investigation.

3.3 Import data

- i. A request was made to the DG System to obtain transaction-wise import data of the subject goods for the injury period. The data was received and has been relied upon for the necessary analysis after due examination of the transactions. The volume and value of imports have been considered based on the DG System transaction wise data.

3.4 Circulation of non-confidential version of the application

- i. In accordance with Rule 6(3), a copy of the non-confidential version of the application was provided to the government of the subject country through their embassy in India, known exporters of the subject imports from the subject country,

to the known importers/users in India and to other interested parties who requested in writing a copy of the application.

- ii. The Authority sent questionnaire to the government of the subject country through their embassy in India. The government of the subject country was requested to forward the initiation notification and the questionnaires to the producers of the product under consideration in their country and advise them to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.

3.5 Intimation and participation by exporters of the subject country and users/importers of the product under consideration in India.

- i. In accordance with Rule 6(4), questionnaires were sent to the following producers and exporters to seek information regarding the normal value and net export price for the investigation. Producers from China were asked to complete the MET questionnaire in case they intend to claim market economy status.

SN	Producers/exporters
1	Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd.
2	Chengdu Yulong Chemical Co Ltd
3	Foshan Kaisino Building Material Co., Ltd.
4	Golden Elephant Chemical Co Ltd
5	Henan Hongye Technological Chemical Co., Ltd.
6	Henan Xinlianxin International Trading Co Ltd
7	Henan Harvest International Co Ltd
8	Holitech Technology Co Ltd
9	Inner Mongolia Ihjuchem Industrial Co., Ltd.
10	Jianfeng Chemicals Co. Ltd
11	Luxi Chemical Group Co Ltd
12	Shandong Hulu Hengsheng Chemical Co Ltd
13	Sichuan Chemical Works Co Ltd
14	Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical Co Ltd
15	Sichuan Meifeng Chemical Ind' Co Ltd
16	Tianjin Kaiwei Chemical Co. Ltd

17	Urumqi Petrochemical Co Ltd
18	Weifang Tainuo Chemical Co Ltd
19	Yangmei Fengxi Fertilizer Industry (Group) Co Ltd
20	Yingkou Tianluan Eiaborate Chemical Industry Co Ltd

- ii. Exporter's Questionnaires were also sent to the government of the subject country through its embassy in India. The government of the subject country was requested to forward the initiation notification and the exporter's questionnaires to the producers/exporters of the subject goods in the subject country and advise them to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.
- iii. In response to the above, the following producers/exporters from the subject country have responded and filed the exporter's questionnaire response:

SN	Producers/exporters
1	Brothers Wing International Trading Co. Ltd.
2	Golden Elephant International Supply Chain Management Co. Ltd.
3	Harvest International Business Limited
4	Henan Xinlianxin International Trading Co., Ltd.
5	Huaqiang Chemical Group Stock Co., Ltd.
6	Hubei Yihua International Trading Co., Ltd.
7	Shandong Hongsheng Import and Export Co., Ltd
8	Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical Co., Ltd
9	Weifang Changrun Chemical Co., Ltd.
10	Xinji Jiuli Chemical Co., Ltd.
11	Xinji Jiuyuan Chemical Co., Ltd
12	Xinjiang Jinjiang Chemical Industry Co., Ltd
13	Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd.
14	Xinjiang Yihua Chemical Industry Co., Ltd.
15	Yihua (Xinjiang) Material Trade Co., Ltd.
16	Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co., Ltd.
17	Sichuan Qing'an Materials Technology Co., Ltd.

- iv. In accordance with Rule 6(4) of the Rules, questionnaires were also sent to the following known importers/users of the product under consideration in India, calling for the necessary information:

SN	Importers/users
1	Agarwal Life Sciences Private Limited
2	Alfa Ica (I) Limited
3	Balaji Action Buildwell Private Limited
4	Bloom Dekor Limited
5	Ecoboard Industries Limited
6	Exim Corp
7	Greenply Industries Limited
8	GVK Petrochemicals Private Limited
9	Hazel Mercantile Limited
10	HEF India Private Limited
11	Kishore Organics Private Limited
12	Managlam Timber Products Ltd.
13	Meghdoot Laminart Private Limited
14	Merino Industries Limited
15	Milton Laminates Limited
16	PPG Asian Paints Private Limited
17	Rushil Decor Limited
18	Sandeep Organics Private Limited
19	Stylam Industries Private Limited
20	Sundek India Limited
21	Surya Vikas Plywood Private Limited
22	The Bombay Burmah Trading Corporation
23	Virgo Industries

- v. In response to the above, the following importers/users from India have responded and filed an importer/user questionnaire response:

SN	Importers/users
1	Merino Industries Limited
2	Century Plyboard (India) Limited
3	Greenlam Laminates Limited
4	Virgo Laminates Limited
5	Pristine Melamine LLP

- vi. Sandeep Organics Private Limited has also made legal submissions in the present investigation. The importer has not filed any response.
- vii. Submission has also been made by the Indian Laminates Manufacturer's Association and Federation of Indian Plywood & Panel Industry. These submissions have been considered in these final findings.

3.6 Registered Interested Parties

- i. A list of all interested parties that registered themselves within the prescribed timeline was uploaded on the website. All registered interested parties were directed to circulate the non-confidential version of all their submissions in the present proceedings to all other interested parties.

3.7 Economic Interest Questionnaire

- i. An economic interest questionnaire was issued to all the known producers and exporters, importers, and the domestic industry. The economic interest questionnaire was also shared with the administrative line ministry. The economic interest questionnaire was filed by the domestic industry, various participating users, importers and downstream association.

3.8 Oral hearing

- i. In accordance with Rule 6(6), the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a hearing held on 23rd April 2026. The parties presenting their views in the oral hearing were directed to make written

submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any.

3.9 Disclosure statement and post-disclosure comments

- i. In accordance with Rule 16 of the Rules, the essential facts of the investigation which formed the basis of the proposed determination were disclosed to the interested parties vide disclosure statement dated 18th September 2026, and the interested parties were allowed time up to 23rd September 2026 to offer their comments. Comments on the disclosure statement have been received from the interested parties. The post-disclosure comments, to the extent considered relevant, have been examined in section K of these final findings.

3.10 Further Procedure:

- i. Foreign producers, exporters and other interested parties who have not responded, or have not supplied information relevant to this investigation, have been treated as non-cooperative.
- ii. In accordance with Rule 6(8), wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information in a timely manner during the course of the present proceedings, or has significantly impeded the investigation, such parties have been considered as non-cooperative, and the findings have been recorded on the basis of the facts available.
- iii. In accordance with Rule 7, the information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to the sufficiency of such confidentiality claims. On being satisfied, the confidentiality claims have been accepted wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide a sufficient non-confidential version of the information filed on a confidential basis. Wherever information contained in this notification is based on confidential information provided by the interested parties, the Authority has protected confidentiality of such information while arriving at these findings. The authority has not disclosed any information, disclosure of which could compromise the confidentiality claims of the domestic industry or interested parties.

- iv. In accordance with Rule 8, verification of the data provided by the domestic industry and other interested parties was conducted to the extent considered necessary for the present proceedings. The Authority has considered the verified data of the interested parties in its analysis in the present case.
- v. The non-injurious price has been calculated based on the optimum cost of production and cost to produce & sell the domestic like article in India, based on the information furnished by the applicant and having regard to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and as per the principles laid down in Annexure III of the Rules.
- vi. All the arguments raised and information provided by all the interested parties to the extent that the same is supported with evidence and considered relevant to the present investigation have been considered.
- vii. “***” in these final findings represents information furnished by an interested party on a confidential basis and so considered under the Rules.
- viii. The exchange rate adopted for the subject investigation is 1 US\$=Rs 85.43, being the average of the exchange rates notified by the Central Board of Indirect Taxes and Customs under Section 14 of the Customs Act, 1962 for conversion of the value of imported goods, in force during the period of investigation. The same rate has been applied throughout these final findings.

(Source: <https://foservices.icegate.gov.in/#/services/viewExchangeRate>)

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

C.1 Submission of the other interested parties

- 4. The other interested parties have made the following submissions with regards to the product under consideration and like articles.
 - i. Melamine produced by the domestic industry is of higher purity and is produced through a urea-based route, while Chinese producers’ production is coal-based.
 - ii. The differences in the Urea and coal-based production directly affect cost and pricing and must be factored into any price comparability analysis.

C.2 Submission of the domestic industry

- 5. The domestic industry has made the following submissions with regards to the product under consideration and like articles.

- i. The interested parties have not placed any evidence on record to show that there are any material differences between the product produced by the domestic industry and that imported from China PR.
- ii. The differences in production processes or feedstock do not affect the product's essential characteristics, end-use, or substitutability, and the domestically produced and imported melamine remain commercially and technically interchangeable.
- iii. In all previous investigations, the Authority has consistently held that the product produced by the domestic industry and that imported from the subject country are like articles.
- iv. The product produced by the domestic industry is a like article to the product imported from the subject country.

C.3 Examination by Authority

6. The submissions made by the other interested parties and the domestic industry regarding the product under consideration and the like article have been examined and addressed hereunder.
7. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as follows:

“3. The product under consideration in the present investigation is “Melamine”.

4. Melamine formaldehyde resins produced using melamine and used for laminates offer good hardness, resistance to scratch, stain, water and heat. Laminates used in some industrial electrical applications possess high mechanical strength, good heat resistance and good electrical insulating properties.

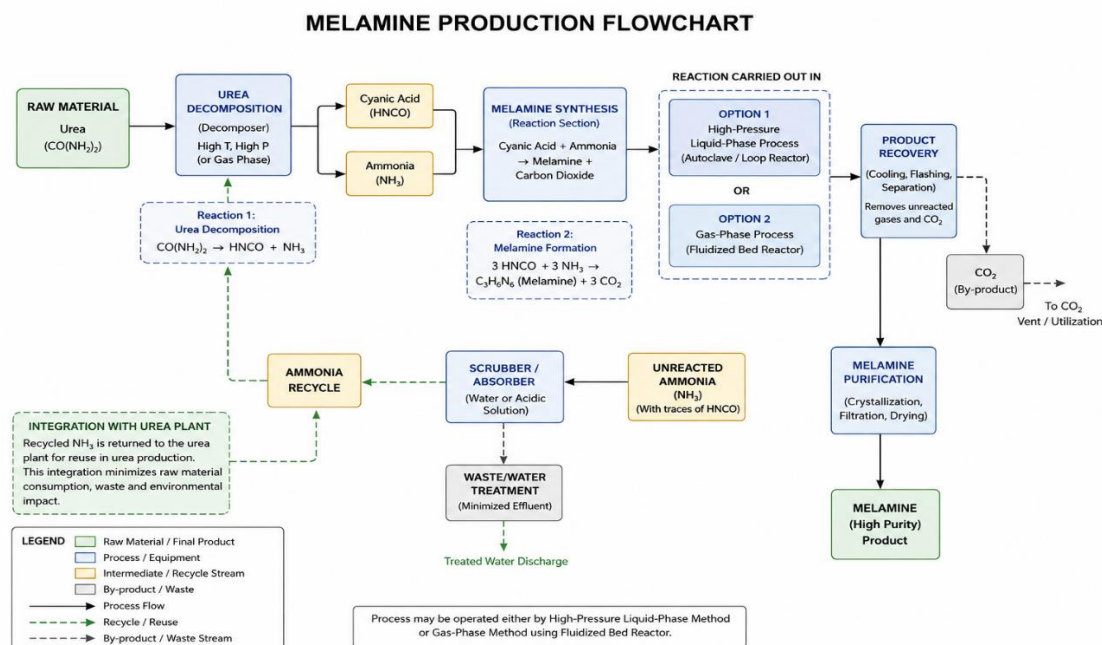
Melamine is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 under sub heading 2933 61 00. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration.

The applicant has not proposed any PCN methodology. The interested parties are advised to furnish their comments/suggestions on the scope of product under consideration and PCN methodology within 15 days from the date of initiation of this investigation.”

8. The initiation notification invited all interested parties to file their comments on the product scope and PCN methodology within 15 days from the date of initiation. Apart from the domestic industry, none of the interested parties have filed any comments on the scope of the product under consideration and PCN methodology. Accordingly, vide notice dated 3rd November 2025, the Authority notified the same scope of product under consideration as notified in the initiation notification for the purpose of filing of response and it was also notified that there is no PCN methodology accepted in the present investigation.

Manufacturing process of the product under consideration.

9. Melamine is manufactured using urea as the primary raw material. In this process, urea is first decomposed into cyanic acid and ammonia. The cyanic acid then reacts with ammonia to form melamine, along with carbon dioxide as a by-product. Industrially, this reaction is carried out either through a high-pressure liquid-phase method or a gas-phase method using a fluidized bed reactor. The production process is typically integrated with urea plants to allow recycling of ammonia and to minimize waste and environmental impact.



Uses of Melamine.

10. Melamine is used in making melamine formaldehyde which is used in manufacturing of dinnerware, laminate flooring, dry erase boards, and insulation, in sound proofing material and in cleaning products.

Customs classification and customs policy for the product.

11. Melamine is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 under 29336100. The basic customs duty applicable to the subject goods during the period of investigation is 7.5%. The imports of the product under consideration are allowed under 'Open General License' (OGL) policy and there are no restrictions on the imports of the product under consideration. The customs classification is indicative only and not binding on the scope of the product under consideration.

Contention of the interested parties regarding difference in production process.

12. It has been claimed that melamine produced by the domestic industry is of higher purity as it is made from urea whereas the product imported from China is made from coal. The interested parties have however not shown any difference in physical and technical properties of the product. Nor the interested parties have identified different functions and uses of the two. It is noted that differences in manufacturing technology, feedstock or production process do not, by themselves, establish that the products differ in terms of their physical characteristics, technical specifications, end uses or substitutability. The mere use of different feedstocks or production technologies does not make the products different, unless it is established that the product itself has material differences in physical and technical properties. The product produced by the domestic industry and the product imported from the subject country possess the same essential characteristics and are commercially and technically interchangeable. As long as the two products perform the same function and are used for the same application, they are like articles. It is also seen that while an importer trader has claimed difference in the purity, no such claim has been made by either the participating producers from China or by users in India. The importer trader has not provided any information on the price difference arising from the purity.
13. It is also seen that similar submissions regarding differences in production technology were raised in the previous sunset review investigation. However, it was concluded that the product imported from China PR and the product manufactured by the domestic

industry constituted a like article. The Authority noted the same in paragraph 14 of the Final Findings of the sunset review dated 23rd August, 2021, as under:

14. It has been alleged that there is a difference between the quality of the product produced by the domestic industry and that imported from China PR. An interested party has stated that the product of the domestic industry is of premium quality. A similar unsubstantiated claim was also raised in the previous Sunset Review investigation. Even in the present investigation, neither the importers nor any producer/exporter have demonstrated this difference in quality based on some empirical evidence. Similarly, no substantive evidence has been provided to highlight the difference between high-pressure and low pressure Melamine. Therefore, in the absence of any verifiable evidence provided by any of the interested parties, the Authority could not consider this claim.

Thus, the Authority does not find any merit in the contention of the interested parties in the present investigation.

Like article by domestic industry.

14. It is noted that the subject goods produced by the domestic industry and those imported from the subject country are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable.

Scope of the product under consideration.

15. The Authority holds that the scope of the product under consideration is “Melamine” and that the product produced by the domestic industry is ‘like article’ to the product under consideration imported from the subject country in terms of Rule 2(d) of the Rules.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1 Submission of the other interested parties

16. No submissions have been made by the other interested parties with regard to the scope of domestic industry and its standing.

D.2 Submission of the domestic industry

17. The applicant has made the following submissions with respect to the domestic industry and standing:
- i. The present application has been filed by Gujarat State Fertilisers and Chemicals Limited (GSFC), who is the sole producer of the like article in India.
 - ii. The domestic industry has neither imported the product from the subject country nor related to any producers/exporters from the subject country or importer in India.
 - iii. The domestic industry is a public sector company incorporated in 1962, with the State of Gujarat holding approximately 37% of its total shareholding.

D.3 Examination by the Authority

18. Rule 2(b) of the anti-dumping rules defines domestic industry as below:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘ domestic industry ’ may be constructed as referring to the rest of the producers.”

19. The application has been filed by Gujarat State Fertilisers and Chemicals Limited. The applicant is not related to any importer in India or producers/exporters of the product under consideration in the subject country and has not imported the product under consideration from the subject country during the period of investigation.

Requirement of Rule 2(b).

20. The DG System data has been examined, and it is found that the applicant has not imported the product under consideration from the subject country or any other country during the period of investigation.

Requirement of Rule 5.

21. The applicant is the sole producer of the like article in India. The domestic industry accounts for 100% of the total Indian production. The domestic industry accounts for a major proportion in the Indian production of the like article.

Domestic industry.

22. In view of the above, the Authority holds that the applicant constitutes an eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and that the application satisfies the standing requirements under Rule 5(3) of the Rules.

E. MISCELLANEOUS AND CONFIDENTIALITY ISSUES**E.1 Submission of the other interested parties**

23. The other interested parties have made the following submission with respect to miscellaneous issues:
- i. Authority must independently assess the application and cannot automatically initiate an investigation based on the applicant's claims. The Authority is required to examine whether the evidence is accurate, adequate, and sufficient to establish a prima facie case on dumping, injury, and causal link. This assessment must be objective, unbiased, and based on proper scrutiny.
 - ii. The applicant was previously found to be non-cooperative in a CVD investigation by the USDOC, where it denied access to its accounting records. Thus, the applicant's financial information may be unreliable.
 - iii. The Government of India has not imposed anti-dumping duty on Melamine when the DGTR had earlier recommended the measures.
 - iv. Due to ongoing geopolitical tensions, the Government of India has granted full customs duty exemption on critical petrochemical products.
 - v. High-Level Committee on Non-Financial Regulatory Reforms recommended the revocation of quality control orders on various chemical products.
 - vi. The application fails to provide sufficient evidence of dumping, particularly regarding export price and necessary adjustments.
 - vii. There are material inconsistencies in the cost of sales furnished in Proforma IV-A in NCV. The NCV discloses two mutually contradictory indexed series.

- viii. The applicant has failed to disclose the import segregation methodology adopted for classifying imports into product under consideration and non-product under consideration.
- ix. Post-QCO implementation on plywood and panel production, which already increased raw material costs, increased melamine costs due to ADD would raise plywood and panel production costs further, reduce domestic and export competitiveness, and potentially increase dependence on imports.

E.2 Submission of the domestic industry

24. The domestic industry has made the following submission with respect to miscellaneous issues:
- i. On the submission of the interested parties that the Authority has initiated the investigation without examination, the initiation notification confirms that the domestic industry submitted duly substantiated evidence of dumping, injury, and causal link, and the Authority was satisfied that a *prima facie* case existed under the applicable rules.
 - ii. While there has been a history of anti-dumping duties, the domestic industry's performance deteriorated over successive sunset reviews. Directorate of Revenue Intelligence (DRI) had found that the users had evaded measures.
 - iii. With regard to the submission of the other interested parties on the issue highlighting the countervailing duty investigation conducted by the United States Department of Commerce, the domestic industry notes that its data has been examined and verified for the purpose of present investigation. It is also seen that natural gas supplied under the APM policy was not used in the production of the subject goods.
 - iv. The applicant had provided all the relevant evidence, and the Authority found them to *prima facie* satisfy requirement of initiation.
 - v. The domestic industry has reported two separate costs of sales in Proforma IV-A in NCV. The first figure represents the total cost of sales, which includes both domestic sales and export sales. The second figure represents the cost of sales relating only to domestic sales.
 - vi. The domestic industry has relied on imports as per DGCI&S published data. The domestic industry did not have access to DGCI&S transaction wise data. Since the

transaction wise data was not available, there was no question of providing import segregation methodology.

E.3 Examination by the Authority

Submissions on inconsistency in reporting cost of sales in Proforma IV A

25. With regard to the submissions of the interested parties concerning the issue, the domestic industry has clarified that it has reported two separate costs of sales in the Proforma IV A. The first figure reported represents the total cost of sales, which includes both domestic sales and export sales. The second figure represents the cost of sales relating only to domestic operations. The Authority has for the purpose of examining injury only considered verified information on domestic operations for the present investigation.

Submissions on initiation without prima facie evidence in the application.

26. With regard to the above submissions, it is seen the domestic industry had provided sufficient information to justify initiation and the investigation was initiated by the Authority after satisfying that there was sufficient prima-facie evidence to justify initiation. As already noted in the initiation notification, it was on the basis of the duly substantiated written application submitted by the applicant and having reached satisfaction based on the *prima facie* evidence submitted concerning the dumping of the product under consideration and the consequential injury to the domestic industry that the Authority initiated investigation to determine the existence, degree, and effect of the alleged dumping with respect to the product under consideration.

Submissions on reliability of information submitted by the domestic industry

27. With regard to the above submissions, it is noted that the data of the domestic industry has been verified for the purpose of the present investigation. Additionally, the domestic industry has clarified that the natural gas supplied under the APM policy was not used in the production of the subject goods. The natural gas used for the production of subject goods is priced differently than the natural gas used for production of other products.

Submissions regarding non-imposition of anti-dumping duty in the past

28. The Authority has considered the submissions of certain interested parties to the effect that, notwithstanding the recommendations made by the Designated Authority in earlier investigations concerning the subject goods, anti-dumping duties were not imposed by

the Central Government. The interested parties have sought to draw definitive inferences as to the reasons for such non-imposition and have contended that duties ought not to be recommended in the present proceedings on that account.

29. The Authority notes, at the outset, that the said submissions are not supported by any evidence, and that there is nothing on the record of the present investigation which substantiates the reasons attributed by the interested parties for the non-imposition of duties in the past. The contentions are, therefore, in the nature of mere assertions and cannot be accepted as a basis for any determination in these proceedings.
30. The Authority further observes that, under the scheme of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 read with the Rules made thereunder, the functions of recommendation and of imposition of anti-dumping duty are distinct and rest with distinct authorities. The Designated Authority is charged with the conduct of the investigation and with recording its findings and recommendation on the basis of the facts and evidence on record, whereas the decision to impose, or not to impose, anti-dumping duty vests in the Central Government. The exercise of the latter discretion in a particular case, or its non-exercise, does not curtail or govern the statutory mandate of the Authority in a subsequent investigation.
31. It is well settled that each anti-dumping investigation is independent and is to be determined on its own facts, on the basis of the record and the period of investigation pertaining to that proceeding. The circumstance that duties were not imposed pursuant to recommendations made in earlier investigations whether in respect of the subject goods or of other products during the relevant period cannot operate as a bar to, or as a factor detracting from, the making of an appropriate recommendation in the present case. The Authority also notes that, during the same period, positive recommendations made by it in respect of other products have been accepted and given effect to by the Central Government.
32. In view of the foregoing, the Authority holds that there is no infirmity or inappropriateness in recommending the imposition of anti-dumping duty pursuant to the present proceedings on account of the history of non-imposition of duties in earlier

investigations, and the said submissions of the interested parties are accordingly not accepted.

Submissions on removal of quality control order on other chemical products.

33. As regards submission on removal of quality control order on other products, the Authority notes the implementation of revocation of quality control order cannot form the basis for denying relief to the domestic industry suffering injury due to dumping. Trade remedial measures are imposed to address unfair trade practices and to remedy injury caused to the domestic industry. It is also seen that those quality control order pertain to non-product under consideration. Therefore, the contention of the interested parties cannot be accepted.

Submissions on import segregation methodology.

34. With regard to the submission on import segregation methodology adopted in the present investigation, the Authority has relied on the DG system transaction wise data for the HS code mentioned in the initiation notification. Only the transactions with description Melamine have been considered for the purpose to ascertain volume and value of imports.
35. The non-confidential version of the information provided by various interested parties was made available to all interested parties as per Rule 6(7) and Trade Notice 10/2018 dated 7th September 2018. Rule 7 of the Rules provides that:

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on a confidential basis to furnish a non-confidential summary thereof, and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not

susceptible to summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

36. The submissions made by the domestic industry and the participating exporters concerning confidentiality, to the extent considered relevant, were examined by the Authority and addressed accordingly. It is seen that the domestic industry and interested parties have claimed confidentiality on information, such as sales volumes, market share, stocks, selling price, costs, profits, cash profits, return on investment, non-injurious price, cost of production related information, normal value, export price, dumping margin, injury margin, price adjustments, profit related information, sales channels, sales & purchase documents, customers and suppliers names, etc. It is also seen that wherever information is for an injury period, the same has been provided on an indexed basis. Information such as the normal value, export price, dumping margin and injury margin has been disclosed in range by the applicant. The Authority notes that all the interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties.

F. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN IN THE PRESENT INVESTIGATION.

F.1 Submission of the other interested parties

37. The other interested parties have made the following submissions concerning normal value, export price and dumping margin:
- i. Under the Customs Tariff Act, 1975, the Anti-Dumping Rules, 1995, and Article 6.10 of the WTO Anti-Dumping Agreement, individual examination and the

- determination of exporter-specific dumping margins constitute the preferred approach.
- ii. Sampling is an exception and may be adopted only where individual examination is impracticable due to the large number of interested parties. Any decision to resort to sampling must be supported by a reasoned justification.
 - iii. WTO, Indian, EU, and US jurisprudence require sampling to be representative, transparent, and employed only in exceptional circumstances. Consequently, the adoption of sampling may expose importers to unrepresentative residual duties.
 - iv. The Authority has previously conducted desk-based verification and individual examinations in investigations involving a similar or even greater number of exporters.
 - v. All exporting producers have already submitted complete and timely questionnaire responses. Excluding cooperative, non-sampled exporters from individual examination would effectively deprive them of their right to an individual determination.
 - vi. The domestic industry's determination of normal value is methodologically defective, as it is not based on actual domestic prices in China PR.
 - vii. The domestic industry lacks to provide sufficient evidence to support the adjustments claimed for determining the net export price, particularly for ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses, credit cost, and inventory carrying cost.
 - viii. Where imports are purchased directly from producers without intermediaries, and credit costs are unwarranted because transactions are typically conducted through letters of credit or advance payments.
 - ix. Inventory carrying costs should not be deducted from export prices and would improperly reduce ex-factory realizations.
 - x. No supporting evidence has been provided for export price adjustment. Inventory carrying cost, are improperly included and should not be deducted from export price at all.

F.2 Submission of the domestic industry

38. The domestic industry has made the following submissions concerning normal value, export price and dumping margin:

- i. The product has a long history of being dumped in the Indian market. In all the investigations conducted in past, the Authority has found continued dumping.
- ii. Given the large number of participating foreign producers/exporters, the Authority should adopt sampling.
- iii. The Authority has applied sampling in several investigations involving large number of exporters. Sampling is warranted in the present case to facilitate timely completion of the investigation and efficient determination of dumping and injury margins.
- iv. Individual examination of all respondents would be unduly burdensome in view of the high level of participation.
- v. Since China is presumed to be a non-market economy, Chinese producers are required to establish that their domestic industry operates under market economy conditions.
- vi. None of the Chinese producers in the present investigation have filed a market economy treatment (MET) questionnaire. Therefore, the Authority must determine the normal value in accordance with Paragraph 7 of Annexure I to the Anti-Dumping Rules.
- vii. The domestic industry does not have access to the actual expenses incurred by the exporters towards ocean freight, marine insurance, bank charges, port expenses, inland freight, handling charges, and other related costs. Accordingly, the necessary adjustments were made on an estimated basis.
- viii. On the submission that no evidence has been provided for adjustments demanded in the calculation of export price, the domestic industry relied on estimated data for expenses such as marine insurance, bank charges, freight, handling, inventory holding, and commissions, since actual exporter data was unavailable.
- ix. On the submission that inventory carrying cost should not be adjusted, at the stage of initiation, the Authority did not consider inventory carrying costs as an adjustment for arriving at the ex-factory export price level.
- x. Inventory carrying costs, being post-sale expenses, should be considered to ensure a fair comparison between the normal value and the export price at the same level of trade. Such an approach is also followed in jurisdictions such as the United States and Brazil.

F.3 Examination by the Authority

39. Under Section 9A (1)c, normal value in relation to an article means:

“i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or

ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.”

40. The Authority notes that the following producers/exporters of the subject goods from subject country have filed exporter's questionnaire responses:

- i. Brothers Wing International Trading Co. Ltd.
- ii. Golden Elephant International Supply Chain Management Co. Ltd.
- iii. Harvest International Business Limited
- iv. Henan Xinlianxin International Trading Co., Ltd.
- v. Huaqiang Chemical Group Stock Co., Ltd.
- vi. Hubei Yihua International Trading Co., Ltd.
- vii. Shandong Hongsheng Import and Export Co., Ltd
- viii. Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical Co., Ltd
- ix. Weifang Changrun Chemical Co., Ltd.

- x. Xinji Jiuli Chemical Co., Ltd.
- xi. Xinji Jiuyuan Chemical Co., Ltd
- xii. Xinjiang Jinjiang Chemical Industry Co., Ltd
- xiii. Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd.
- xiv. Xinjiang Yihua Chemical Industry Co., Ltd.
- xv. Yihua (Xinjiang) Material Trade Co., Ltd.
- xvi. Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co., Ltd.
- xvii. Sichuan Qing'an Materials Technology Co., Ltd.

F.3.1 Determination of sampling

41. As per the provisions of Rule 17, the Authority is required to determine individual dumping margins for all producers/exporters who have filed questionnaire responses. However, where a large number of producers/exporters from China PR have participated in the investigation and filed questionnaire responses, the Authority may resort to sampling by limiting its examination to a reasonable number of producers/exporters. Rule 17(3) provides as follows in this regard.

“17(3) The designated authority shall determine an individual margin of dumping for each known exporter or producer concerned of the article under investigation:

***Provided** that in cases where the number of exporters, producers, importers or types of articles involved are so large as to make such determination impracticable, it may limit its findings either to a reasonable number of interested parties or articles by using statistically valid samples based on information available at the time of selection, or to the largest percentage of the volume of the exports from the country in question which can reasonably be investigated, and any selection, of exporters, producers, or types of articles, made under this proviso shall preferably be made in consultation with and with the consent of the exporters, producers or importers concerned:*

***Provided** further that the designated authority shall, determine an individual margin of dumping for any exporter or producer, though not selected initially, who submit necessary information in time, except where the number of exporters or*

producers are so large that individual examination would be unduly burdensome and prevent the timely completion of the investigation.”

42. It is noted that while initiation notification did not contain a separate request for filing of quantity and value information for the purpose of filing complete questionnaire responses and all producers were asked to file questionnaire responses, post-initiation, 9 producers and their 8 exporters/traders from the subject country participated and submitted questionnaire responses. The table below shows the export volume of all the participating producers in the present investigation.

SN	Company Name	Total Volume exported to India (MT) as per QR	% share of QR volume in total imports from China PR	Total Volume exported to India (MT) as per DG System	% Share of Total Imports into India as per DG System
1.	M/s Xinjiang Yihua Chemical Industry Co., Ltd.	***	***	***	***
2.	M/s Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd.	***	***	***	***
3.	M/s Huaqiang Chemical Group Stock Co., Ltd.	***	***	***	***
4.	M/s Xinji Jiuli Chemical Co., Ltd.	***	***	***	***
5.	M/s Xinji Jiuyuan Chemical Co., Ltd.	***	***	***	***
6.	Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co., Ltd.	***	***	***	***
7.	M/s Sichuan Qing'an Materials Technology Co., Ltd.	***	***	***	***

8.	M/s Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical Co., Ltd.	***	***	***	***
9.	M/s Xinjiang Jinjiang Chemical Industry Co.,Ltd.	***	***	***	***
	Total	***	***	***	***

43. Having regard to the large number of participating entities and the nature and extent of information required to be examined and verified in the present investigation, the Authority considered that individual examination of all participating producers/exporters was not reasonably practicable within the meaning of Rule 17(3) of the Rules.
44. Accordingly, the interested parties were informed of the proposed sampling exercise along with the list of producers from China proposed to be sampled. A notice was issued dated 23rd January 2026 and an opportunity was provided to submit comments on the proposed methodology. The interested parties claimed that number of responding producers/exporters is not so large as to make individual examination impracticable and sought individual determination of dumping margin for all exporters. The Authority however holds that there are a large number of responding parties. Further, Rule 17(3) does not prescribe a fixed numerical threshold. It was unduly burdensome to individually examine all the responding exporters.
45. Certain interested parties have contended that sampling is an exception to the general rule of individual examination and may be adopted only where examination of all interested parties is impracticable due to their large number. It is noted that Rule 17(3) of the anti-dumping rules specifically permit resorting to sampling where the number of producers and exporters is so large that individual examination of all participating entities is unduly burdensome and not reasonably practicable. In the present case, nine producers from China PR, along with their related exporters/traders, have participated in the investigation and filed questionnaire responses. The test under Rule 17(3) is whether, having regard to the number of responding parties and the information to be examined and verified, individual examination of all of them is impracticable and would be unduly burdensome and prevent the timely completion of the investigation. The fact that in certain other investigations the Authority did not resort to sampling does not restrict the statutory

discretion available under Rule 17(3). It is considered appropriate to limit the individual examination to a reasonable number in order to complete the investigation within the time limit prescribed under Rule 17(1).

46. With regard to the objection that sampling cannot be resorted to after receipt of complete questionnaire responses and nearly ten months after initiation, it is noted that the investigation was initiated on 29th September 2025 and the sampling notice was issued on 23rd January 2026 and therefore there is no gap of 10 months. It is noticed that Rule 17(3) does not provide for the stage of the investigation at which sampling should be undertaken and does not contain any prohibition on undertaking sampling after the filing of questionnaire responses. The second proviso to Rule 17(3) itself recognises that individual examination may be declined where the number of exporters is so large that such examination would be unduly burdensome and prevent timely completion of the investigation. Mere filing of responses by the exporters does not divest the Authority of its statutory discretion.
47. The Authority considered sampling of producers from China PR. After receiving comments from various parties, the sampled producers were notified vide notice dated 23rd January 2026. The sample considered was based on the volume of exports to India, with the producers having the largest volume of exports, being considered as a part of the sample, in terms of the first proviso to Rule 17(3), i.e., the largest percentage of the volume of exports from the subject country which could reasonably be investigated. The following producers were sampled.

S.No.	Sampled Producer/ Exporter	Total Volume exported to India (MT) as per DG System	% Share of Total Imports into India as per DG System
1.	M/s Xinjiang Yihua Chemical Industry Co., Ltd.	***	***
2.	M/s Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd.	***	***
3.	M/s Huaqiang Chemical Group Stock Co., Ltd.	***	***

48. The dumping margin for the non-sampled cooperating producers/exporters has been determined on the basis of the weighted average dumping margin of the sampled producers, consistent with Article 9.4 of the Anti-Dumping Agreement. For non-cooperative producers/exporters, the dumping margin has been determined on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules.

F.3.2 Determination of normal value for China PR.

49. Article 15 of the China's Accession Protocol to the WTO provides as follows:

“Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (“Anti-Dumping Agreement”) and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following.

15. (a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector.”

50. Authority has noted that while the provision contained in Section 15 (a)(ii) has expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO Anti-dumping Agreement read with the obligation under Section 15(a)(i) of the Accession Protocol require criterion stipulated in paragraph 8 of Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming market economy treatment. It is noted that since the responding producers/exporters from China PR have not submitted response to the supplementary questionnaire the normal value

computation is required to be done as per the provisions of paragraph 7 of Annexure I of the Rules.

51. As none of the producers from China PR have claimed determination of normal value on the basis of their own data/information, the normal value has been determined in accordance with paragraph 7 of Annexure I of the Rules, which reads as under:

“7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner [keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of the selection. Account shall also be taken within time limits, where appropriate, of the investigation if any, made in similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.”

52. It is noted that paragraph 7 of Annexure-I to the AD Rules stipulates three methods of constructing the normal value for non-market economies: (a) on the basis of price or constructed value in a market economy third country; (b) export price from a third country to other countries, including India; and (c) on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. The Authority notes that under the provisions of paragraph 7 of Annexure-I to the AD Rules, the normal value must be determined on the basis of the price or constructed value in a surrogate country, the price of the exports from such country to other countries, including India, or on any other reasonable basis.

53. It is noted that none of the interested parties have provided any information with regard to domestic price or constructed value or export price of the product from an appropriate market economy third country. In terms of paragraph 7 of Annexure I, the interested parties were informed, at the stage of initiation, of the proposal regarding the selection of an appropriate market economy third country and were given a reasonable opportunity to offer their comments. Since none of the interested parties has provided any verifiable information on the domestic price, constructed value or export price of the product in an appropriate market economy third country, and no such reliable information is otherwise available on record, the normal value could not be determined on the first two bases provided in paragraph 7.
54. Therefore, the normal value for China PR has been determined on “any other reasonable basis” in terms of paragraph 7 of Annexure I to the Rules, by way of a constructed normal value. Accordingly, the Authority has constructed the normal value for all sampled producers/exporters on the basis of the international price of the principal raw material(s) consumed in the manufacture of the PUC, the best available information regarding the consumption norms of other raw materials, utilities and other inputs, and the conversion cost, together with reasonable additions for selling, general and administrative expenses and a reasonable margin of profit. The normal value so determined is given below in the dumping margin table.

F.3.3 Export price for China

- a. Xinjiang Yihua Chemical Industry Co. Ltd., Yihua (Producer) (Xinjiang) Material Trade Co., Ltd.(Trader) , and Hubei Yihua International Trading Co., Ltd (Trader).
55. The following three companies have filed questionnaire response as part of Xinjiang Yihua group.
- a) Xinjiang Yihua Chemical Industry Co. Ltd. (Producer & exporter)
 - b) Yihua (Xinjiang) Material Trade Co. (Exporter)
 - c) Hubei Yihua International Trading Co. Ltd. (Exporter)
56. The export channels of the producers are as shown below
- a. Xinjiang Yihua Chemical Industry Co. Ltd. → Unrelated customers.

- b. Xinjiang Yihua Chemical Industry Co. Ltd. → Yihua (Xinjiang) Material Trade Co. → Unrelated customers.
 - c. Xinjiang Yihua Chemical Industry Co. Ltd. → Yihua (Xinjiang) Material Trade Co. → Hubei Yihua International Trading Co. Ltd. → Unrelated customers.
57. During the POI period, Xinjiang Yihua Chemical Industry Co., Ltd., China PR, has sold *** MT of subject good of invoice value as ***RMB to India. Out of which company has sold ***MT directly to unrelated buyers in India and the rest of the quantity (***MT) has been sold to India indirectly through a related exporter/trader namely, Yihua (Xinjiang) Material Trade Co., Ltd.
58. The subject goods (***MT) sold to Yihua (Xinjiang) Material Trade Co., Ltd., by Xinjiang Yihua Chemical Industry Co., Ltd., China PR has been further resold to another related exporter/trader namely, Hubei Yihua International Trading Co., Ltd., and Hubei Yihua International Trading Co., Ltd., has ultimately sold (***MT) to India to unrelated buyers in India.
59. It is further noted that Xinjiang Yihua Chemical Industry Co., Ltd., China PR has sold ***MT directly to unrelated buyers in India (as reported in Appendix-3A of Xinjiang Yihua Chemical Industry Co., Ltd.) but one of the transactions of (***MT) which commercial invoice was raised outside the POI period date (Invoice no. ***-V and invoice date ***) but was accounted for within the POI in the books of the company. The same quantity (***MT) has not been considered for the calculation of ex-factory export price and landed value.
60. The producer/exporter has claimed adjustment on account to ocean freight & insurance, inland transportation, port and other related expenses and credit cost. The same has been taken into account after desk verification to workout ex-factory export price level, and ex-factory export price so determined is as shown in the Dumping Margin Table below:
- b. Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd., China PR (producer), Harvest International Business Ltd (Trader) ., and Henan Xinlianxin International Trading Co.,Ltd (Trader)

61. The following three companies have filed questionnaire response as part of Xinjiang Xinlianxin group.
- Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co. Ltd
 - Harvest International Business Ltd.
 - Henan Xinlianxin International Trading Co., Ltd.
62. The export channels of the producers are as shown below
- Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co. Ltd → Harvest International Business Ltd. → Unrelated customers.
 - Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co. Ltd → Henan Xinlianxin International Trading Co., Ltd → Unrelated customers.
63. During the POI period, Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd., China PR, has sold ***MT of subject good of invoice value as ***RMB to India indirectly through two related exporters/traders namely, Harvest International Business Ltd., and Henan Xinlianxin International Trading Co., Ltd.
64. Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd., China PR has sold ***MT of subject goods to Harvest International Business Ltd., out of which Harvest International Business Ltd., has sold ***MT directly to Unrelated buyers in India and rest of quantity (***MT) has been sold to India indirectly through an unrelated exporter/trader namely, United Raw Material Pte. Ltd., Singapore.
65. It is further submitted that Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd., China PR has sold ***MT of subject goods to Henan Xinlianxin International Trading Co., Ltd., out of which the company has sold ***MT directly to unrelated buyers in India and the rest of the quantity (***MT) has been sold to India indirectly through two unrelated exporters/traders namely, Cosmos Vu Limited, Hong Kong and United Raw Material Pte. Ltd., Singapore. It is noted that these two traders did not submit required questionnaire response, and hence treated as non-cooperative by the Authority.
66. All these producer/exporters have filed their exporter questionnaire responses with the DGTR except, Cosmos Vu Limited, Hong Kong and United Raw Material Pte. Ltd., Singapore. With regard to quantity (***MT) exported to India through these two

unrelated exporters/traders, appropriate adjustments on the basis of facts available have been made to workout ex-factory export price and landed value. Authority has determined the ex-factory export price level based on the adjustments claimed by the producer/exporters have on account to inland transportation and port and other related expenses. The ex factory price so determined is shown in the Dumping Margin Table below:

c. Huaqiang Chemical Group Stock Co. Ltd.

67. Huaqiang Chemical Group Stock Co. Ltd. is a producer of the product under consideration and has filed a questionnaire response. During the POI, Huaqiang Chemical Group Stock Co., Ltd., China PR has sold ***MT subject goods of invoice value *** US\$ to unrelated buyers in India.

68. The producer/exporter has claimed adjustments on account to ocean freight, overseas insurance, inland transportation, port and other related expenses, credit cost and bank charges. The Authority conducted a desk verification of the information provided by the producer. Additional/supplementary information was sought to the extent deemed necessary. The net export price after taking all adjustments claimed, and verified were determined, and is shown in the table below.

d. Non-sampled cooperating producers/exporters

69. The dumping margin for non-sampled cooperating producers/exporters has been determined in accordance with the sampling methodology adopted by the Authority. The dumping margin for such producers/exporters has been considered on the basis of the weighted average dumping margin determined for the sampled cooperating producers/exporters, as considered appropriate by the Authority. The list of non-sampled cooperating producers is as follows:

- a. Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical Co., Ltd
- b. Weifang Changrun Chemical Co., Ltd.
- c. Xinji Jiuli Chemical Co., Ltd.
- d. Xinji Jiuyuan Chemical Co., Ltd
- e. Xinjiang Jinjiang Chemical Industry Co., Ltd
- f. Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co., Ltd.

e. Non-cooperative producers/exporters

70. The normal value and export price for non-cooperative producers/exporters from China PR has been determined on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules.

F.3.4 Dumping margin

71. Considering the normal value and the export price as determined above, the dumping margin has been determined and is shown below.

DUMPING MARGIN						
SN	Name of Producer	Constructed Normal Value	Export Price	Dumping Margin	Dumping Margin	Dumping Margin
		(\$/MT)	(\$/MT)	(\$/MT)	(%)	(Range)
1	Huaqiang Chemical Group Stock Co., Ltd.	***	***	***	***	40-50
2	Xinjiang Yihua Chemical Industry Co., Ltd.	***	***	***	***	50-60
3	Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd.	***	***	***	***	40-50
4	Non-sampled cooperating producers*	***	***	***	***	40-50
5	Any other producer	***	***	***	***	60-70

*Non-sampled cooperative producers -

- a) Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical Co., Ltd
- b) Weifang Changrun Chemical Co., Ltd.
- c) Xinji Jiuli Chemical Co., Ltd.

- d) Xinji Jiuyuan Chemical Co., Ltd
- e) Xinjiang Jinjiang Chemical Industry Co., Ltd
- f) Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co., Ltd.

G. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

G.1 Submission of the other interested parties

72. The other interested parties have made the following submissions with regard to injury and causal link:
- i. Imports are not displacing domestic production but are necessary to meet domestic demand.
 - ii. Domestic industry has been able to sell most of its output and reduce inventory levels.
 - iii. Both export and domestic sales of the domestic industry have declined in a similar manner, reflecting a broader global trend rather than injury caused by imports.
 - iv. The import prices from the subject country are comparable to those from other countries.
 - v. Negative price undercutting demonstrates that import prices are higher than the domestic selling prices.
 - vi. In 2021-22, melamine prices were inflated due to an exceptional global price spike. Reliance on such an abnormal year distorts the assessment of price effects.
 - vii. The Russia-Ukraine conflict significantly affected the melamine production chain. Disruptions in global natural gas and fertiliser supply chains directly impacted production costs.
 - viii. In the melamine investigation conducted by the European Union, acknowledged the distorted pricing environment prevailing in 2021-22. The elevated prices during that period were temporary and driven by extraordinary global events, including COVID-19 disruptions and the Russia-Ukraine conflict.
 - ix. Any decline in the domestic industry performance is attributable to factors such as fluctuations in raw material and natural gas prices, policy changes, currency risks, and subsidy-related issues.
 - x. Natural gas is a critical input in the production of melamine, as it is used not only for energy generation but also forms part of the upstream production chain for

ammonia and urea. Accordingly, its cost has a direct bearing on the cost of production.

- x. The procurement of natural gas is subject to specific pricing and end-use conditions, including government directives and allocation rules, as recognised by judicial precedent. Therefore, the source, pricing mechanism, allocation between products, and accounting treatment of natural gas require verification.
- xi. The injury alleged by the domestic industry is attributable to its own logistical and packaging limitations, as it supplies melamine only in 50 kg bags and does not offer bulk packaging options. In contrast, Chinese suppliers provide melamine in both 50 kg bags and jumbo bags, thereby offering greater flexibility to downstream users.
- xii. The absence of jumbo bag packaging results in higher manual handling requirements, increased packaging costs, transport inefficiencies, and higher unloading and storage costs. Consequently, the applicant incurs a cost disadvantage of approximately Rs. 1.5-2 per kg, making its product inherently more expensive on a delivered and consumption basis.
- xiii. The Authority, in the previous investigation, observed that Plants I and II were discontinued due to higher production costs, whereas Plant III operated at high-capacity utilisation because of its cost advantage. There is no evidence of any change in these underlying cost or technological conditions.
- xiv. Plants I and II have remained idle since April 2021, owing not to imports but to structural and technological disadvantages.
- xv. These plants employ older Chemie-Linz technology, whereas Plant III is based on the more efficient Casale LEM technology, which offers lower energy consumption, higher conversion efficiency, better product quality, and lower operating costs.
- xvi. The domestic industry Plant III enjoys significant advantages due to the Casale LEM technology, particularly in terms of energy efficiency and process integration benefits.
- xvii. Plant III was specifically designed to avoid the costly revamping of the existing urea-based infrastructure associated with Plants I and II.
- xviii. Injury to the applicant is attributable on account of failure of the domestic industry to expand capacity during the injury period and its operational inefficiencies, reduction in workforce accompanied by an increase in wages per employee and increase in exports by the domestic industry during the same period.

- xx. Despite the imposition of anti-dumping duties for nearly 17 years, the domestic industry's production has shown only modest growth. Such protection has not translated into meaningful capacity expansion.
- xxi. The Authority's continued adoption of a 22% return on capital employed for the calculation of the non-injurious price is inflated and inconsistent with prevailing economic conditions and the legal framework under the Rules.
- xxii. Courts in Bridgestone Tyres and Hyosung Corporation have held that such a return may distort the injury analysis.
- xxiii. GSFC is highly export oriented.
- xxiv. Reliance on post-POI trends is largely misplaced and irrelevant.
- xxv. Proportion of Urea or Natural Gas required to make Melamine, and its current international prices are well known and if we apply the proportion of Urea=> Melamine, this alone will be $\text{USD } 600 \times 2.5 = \text{USD } 1500/\text{Ton}$ besides the cost of processing it to Melamine.
- xxvi. The fair market price of inputs whether imported or domestic, not the subsidised cost of such inputs should be a guiding threshold to DGTR.

G.2 Submission of the domestic industry.

73. The domestic industry has made the following submissions with regard to injury and causal link:
- i. The producers in China are not only dumping in the Indian market but also in other jurisdictions, including the United States, European Union, and Eurasian Economic Commission.
 - ii. The capacity of melamine in China has increased to around 2,200,000 MT, which is more than 14 times higher than domestic industry capacity.
 - iii. The demand for the product within China is declining due to weakness in the real estate sector. Despite this, capacity is likely to reach around 2,600,000 MT by the end of 2025.
 - iv. The capacity additions in China are intended to be utilised for export purposes only. India, being a large and growing market, becomes a natural destination for diversion of surplus capacity.
 - v. Many Chinese producers are backward integrated and captively consume urea. The Chinese government also provides various price and tax-related incentives in the urea sector.

- vi. Chinese producers benefit from NRDC measures and other state support. These interventions reduce input costs and enable exporters to supply melamine at low prices in export markets.
- vii. GSFC currently has three plants with a combined capacity of 55,000 MT. However, due to dumped imports, the domestic industry is forced to suspend production in two plants with a combined capacity of 15,000 MT. Prior to 2021, GSFC invested Rs. 800 crores in a new plant of 40,000 MT capacity, increasing total capacity to 55,000 MT across three plants.
- viii. Considering the demand–supply gap, the domestic industry had planned further expansion of 40,000 MT. However, the plan was put on hold due to investment requirements exceeding Rs. 1,000 crore and inadequate financial viability caused by dumped imports.
- ix. The demand for the product has increased over the injury period.
- x. Imports from China increased sharply by 92% over the injury period, while value of imports decreased by 2%. Imports in relation to Indian production and demand also increased.
- xi. China accounts for more than 90% of total imports.
- xii. While imports from the subject country increased, imports from other countries declined.
- xiii. Chinese producers are not only capturing domestic market share but also displacing imports from other countries.
- xiv. While cost of sales increased over the injury period, selling prices declined, resulting in price suppression.
- xv. Due to sharp decline in landed prices, the domestic industry was forced to reduce selling prices below cost levels.
- xvi. Capacity of the domestic industry remained largely constant with more than 30% unutilised capacity.
- xvii. Production and capacity utilisation declined over the injury period. Production declined by 20% in the period of investigation compared to the base year.
- xviii. The domestic industry lost around 25,000 MT in production over the injury period.
- xix. Sales declined in 2022–23 saw marginal recovery in 2023-24 and declined again during the period of investigation.

- xx. Despite rising demand, domestic sales declined by 20% compared to the base year, reaching the lowest level in the period of investigation. In value terms, sales declined by Rs. [***] crores.
- xxi. Market share of the subject country increased, while that of the domestic industry declined and was restricted to ***%, against a potential ***%.
- xxii. The domestic industry was profitable in the base year. However, with increase in imports from the subject country, along with a sharp decline in landed prices, domestic industry profit significantly reduced profitability and eventually resulted in losses.
- xxiii. With further increase in dumped imports, prevented the domestic industry from selling above its cost of sales. Consequently, the domestic industry continued to incur financial losses.
- xxiv. On the submission that the domestic industry's injury is due to lack of capacity expansion, in the base year, all three plants of the domestic industry were in operation and earning reasonable profits. However, due to dumped imports, the domestic industry forced to shut down two of its plant. The same plants and facilities were operating profitably in the base year. The deterioration in performance has occurred only with the increase in dumped imports.
- xxv. On the submission that decline in Urea led to decline in the prices of melamine, the landed price of subject imports declined more than the cost of sales of the domestic industry. Further, the export price from China has declined more than the export price from the other countries.
- xxvi. On the submission that injury to the domestic industry on account of increase in exports, the export sales of the domestic industry have declined.

G.3 Examination by the Authority

- 74. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “... *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on the domestic producers of such articles...*”. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports

as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry, such as production, capacity utilisation, sales volume, inventory, profitability, net sales realisation, the magnitude and margin of dumping, etc., have been considered in accordance with Annexure II of the Anti-Dumping Rules.

75. Various submissions made by the domestic industry and other interested parties on injury and causal link have been examined and analysed considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis by the Authority ipso facto addresses submissions made by the domestic industry and other interested parties.

Submission on Plant I and Plant II being idle due to technological and structural disadvantage.

76. With regard to the submission of the other interested parties that Plants I and II of the domestic industry have remained idle due to technological and structural disadvantages which is responsible for the injury suffered by the domestic industry, the Authority observes that the two units alleged to suffer from such disadvantages are already shut down. Since the domestic industry's cost of sales excludes any costs relating to these two plants, and the injury claimed pertains solely to Plant III, the technological and structural disadvantages of Plants I and II cannot be held responsible for the injury suffered.
77. The domestic industry has further furnished a comparison of its performance had the imports entered the Indian market at prices equivalent to the global export prices of the product (i.e., export prices from all countries excluding China). This comparison shows that, at such prices, the domestic industry would have earned profits. It is also observed that the export price from China is significantly lower than the export prices from other countries. Accordingly, the injury claimed by the domestic industry cannot be attributed to its technological and structural disadvantages.

Submission on smaller packaging being a cause of injury.

78. On the above submission that injury is attributable to packaging limitations, including the alleged inability of the domestic industry to supply the product in jumbo bags, it is noted

that domestic industry has provided sales invoices of 1000 KG for export market. It is also seen that mere difference in packaging does not justify the difference between the landed price and cost of sales. Accordingly, the claim of the other interested parties cannot be accepted.

Submission on higher prices in past being extraordinary.

79. With regard to the submission that the prices prevailing in 2021-22 were high due to extraordinary global circumstances caused by disruptions from the COVID-19 pandemic and the Russia-Ukraine conflict, it is seen that the injury analysis in the present investigation has been undertaken on the basis of the entire injury period and not with reference to any single year in isolation. While it is acknowledged that prices during the base year were comparatively higher, the relevant consideration for the purposes of the present investigation is examination of performance of the domestic industry over the injury period. The performance of the domestic industry deteriorated significantly during the period of investigation as compared to the base year. The existence of dumping is examined with reference to the period of investigation and not the base year. The fact that prices may have been higher during the base year does not diminish the adverse price effects experienced by the domestic industry during the period of investigation as a result of the dumped imports.

Submission on post period of investigation data.

80. The domestic industry has contended that, in the post-period of investigation, while the demand for the subject goods remained at a similar level, imports from China increased further and were accompanied by a decline in landed prices. Consequently, the domestic industry losses intensified during the post period of investigation. The Authority notes that examination of performance in the post period of investigation is not necessary when the Authority has already found that the domestic industry has suffered material injury in the present period of investigation. The Authority has already considered the period of investigation a period of 12 months which is sufficient to assess both dumping and the resulting injury to the domestic industry.

Submission on decline in Urea prices being a cause of decline in import prices.

81. With regard to the submission of the other interested parties on the above issue, it is noted that that any decline in raw material prices would be equally applicable to producers

globally and not only the producers from the China PR. Therefore, it cannot be said that the decline in the raw material has led to decline in the prices of melamine.

Submission on appropriateness of 22% return on capital employed.

82. The interested parties have disputed consideration of 22% return on capital employed and adopt actual return on capital employed earned by the domestic industry during periods free from dumping allegations. For the same, the interested parties have placed reliance on the Hon'ble CESTAT Tribunal's decision in Bridge Stone Tyre Manufacturing & Others vs. Designated Authority and M/s Hyosung Corporation vs. Designated Authority. The Authority notes that Annexure III of the Rules refers to reasonable return (pre-tax) on the capital employed and it is a consistent practice of the Authority to determine the non-injurious price of the domestic industry based on reasonable return on capital employed, which is 22%. With regard to the interested parties' reference to Bridge Stone Tyre Manufacturing & Others vs. Designated Authority, it is seen that the interested parties in this case had produced specific evidence justifying a departure from the Authority's consistent practice. However, interested parties in the present case have not placed any evidence on record to justify such departure. With regards to the interested parties' reference to M/s Hyosung Corporation vs. Designated Authority, it is seen that post this decision by the Hon'ble CESTAT in 2011, there have been multiple cases including Tangshan Sanyou Group Hong Kong International Trade Co. Limited v. Union of India, Merino Panel Products v. Designated Authority and M/s Perstorp Chemicals GmbH & Anr. v. Designated Authority & Ors. wherein the Hon'ble CESTAT Tribunal has consistently upheld the Authority's practice of adopting a 22% ROCE for injury analysis. Therefore, the Authority finds considering a 22% return on capital employed as appropriate in the present investigation.
83. The Authority has examined the injury parameters objectively, considering the facts and arguments submitted by the domestic industry and other interested parties. The injury analysis made by the Authority hereunder addresses the various other submissions made by the interested parties.

G.3.1 Assessment of demand/consumption

84. The Authority has determined demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the domestic industry and imports of melamine from all sources.

SN	Particulars	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Domestic sales of applicant	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	80	82	79
2	Imports from China PR	MT	60,648	75,806	85,493	114,357
3	Imports from other countries	MT	12,858	9,282	6,381	3,273
4	Total Demand	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	103	110	131

85. It is seen that the demand for the product has increased over the injury period. The demand has also increased in the period of investigation as compared to the base year and the immediately preceding year. The demand was in the range of 1,10,000–1,20,000 MT in 2021-22 and 2022-23, 1,20,000–1,30,000 MT in 2023-24, and 1,40,000–1,50,000 MT in the period of investigation.

G.3.2 Volume effect of the dumped imports**a. Imports in absolute and relative terms**

86. With regard to the volume of dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the injury analysis, the Authority has relied on the DG system import data. The information is as below:

SN	Particulars	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Import volume	MT	60,648	75,806	85,493	114,357
2	Import value	Rs lacs	89,951	80,924	69,286	86,773
3	Imports from other countries	MT	12,858	9,282	6,381	3,273
4	Imports in relation to					
a	Indian production	%	***	***	***	***

	Trend	Index	100	138	171	235
b	Indian consumption	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	121	129	144
c	Total imports	%	83	89	93	97
	Trend	Index	100	108	113	118

87. It is seen that:

- i. The imports from the subject country have increased over the injury period and with a sharp increase in the period of investigation.
- ii. While the volume of imports from the subject country have increased, the value of imports from the subject country have declined over the injury period.
- iii. The imports from subject country in relation to Indian production have increased from ***% in the base year to ***% in the period of investigation.
- iv. The imports from subject country in relation to Indian consumption have increased from ***% in the base year to ***% in the period of investigation.
- v. Imports from subject country have increased, but the imports from other countries have declined over the injury period. Consequently, the share of subject imports in total imports increased from 83% in the base year to 97% in the period of investigation.

88. The domestic industry has submitted that the increase in imports from the subject country resulted in the displacement of imports from other countries and enabled the subject imports to capture the market share previously held by other countries. The Authority has examined the import trends over the injury period from DG System import data. Anti-dumping duties were imposed in past on imports from China PR till 2021 and there were significant imports from the European Union, Japan, Qatar and the United Arab Emirates in the Indian market during that period. The duties expired in 2021 and following the expiry of the anti-dumping duties, imports from the subject country increased sharply and imports from the other countries declined. The increase in imports from the subject country coincided with the decline in imports from other countries, shows that the subject imports captured a part of the market previously served by such imports.

G.3.3 Price effect of the dumped imports.

89. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

a. Price undercutting

90. Price undercutting has been determined by comparing the net sales realization of the domestic industry with the landed price of the imports for the period of investigation. The table below shows the price undercutting from the subject country.

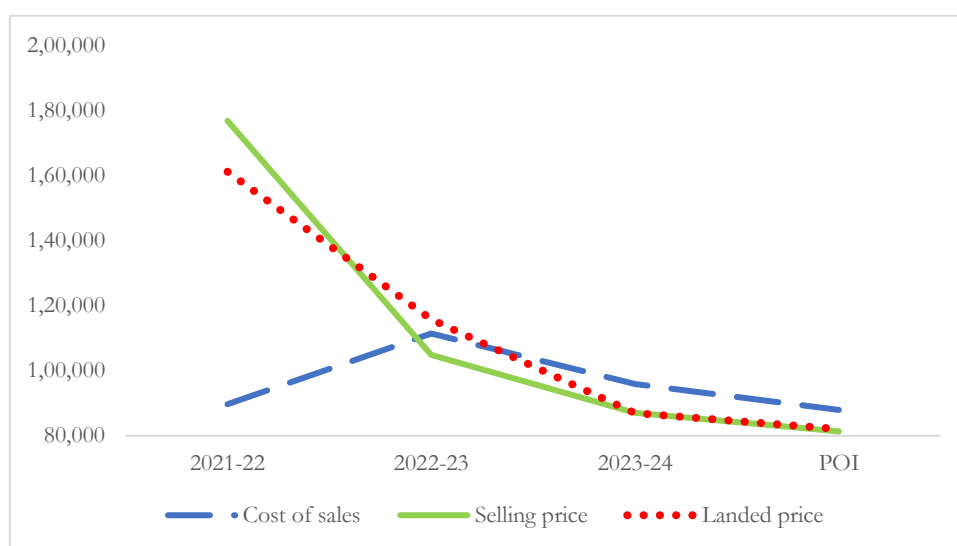
SN	Particulars	UOM	Amount
1	Landed price of imports	Rs/MT	82,139
2	Net Selling Price	Rs/MT	***
3	Price undercutting	Rs/MT	***
4	Price undercutting	%	(0-10)

91. It is seen that the landed price of imports from the subject country during the period of investigation is marginally higher than the net sales realisation of the domestic industry. Accordingly, the price undercutting from the subject country is marginally negative. It is seen that a negative price undercutting in a particular period does not, by itself, establish the absence of price injury. The domestic industry is the sole domestic supplier of the product in the domestic market, and the imports are majorly from the subject country. In terms of Annexure II (ii), the effect of the dumped imports on prices has, therefore, been examined further hereunder.

b. Price suppression and depression

92. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in the normal course, the changes in the costs and prices over the injury period were compared as follows:

SN	Particulars	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Cost of sales	Rs/MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	124	107	98
2	Selling price	Rs/MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	59	49	46
3	Landed price	Rs/MT	1,60,552	1,15,559	87,729	82,139
	Trend	Index	100	72	55	51



93. It is seen that:

- In 2022-23, while the cost of sales of the domestic industry increased by Rs. ***per MT, its selling price declined sharply by Rs. ***per MT. The selling price declined as the landed price declined sharply. Further, the decline in selling price was even below the levels of cost of sales of the domestic industry.
- In 2023-24, both the cost of sales and the selling price of the domestic industry declined. However, the decline in the selling price was greater than the decline in the cost of sales, as the landed price declined.
- During the period of investigation, the cost of sales declined by Rs. ***per MT, while the selling price declined by Rs. ***per MT. Although the reduction in the cost of sales exceeded the decline in the selling price, the selling price continued to remain below cost.

- iv. Over the injury period, while the cost of sales declined by 2%, the landed price has declined by 49%. As a result, the domestic industry was forced to reduce its selling price by 54%.
- v. It is therefore considered that imports were depressing the selling price of the domestic industry in the market and preventing the domestic industry to change its price in relation to change in the costs.

G.3.4 Economic parameters of the domestic industry

94. Annexure II to the Rules provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below. The Authority has examined the injury parameters objectively, taking into account various facts and arguments made by the interested parties in their submissions.

a. Production, capacity, capacity utilization and domestic sales

95. The Authority has considered capacity, production, capacity utilization and domestic sales of the domestic industry over the injury period.

SN	Particulars	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Installed capacity	MT	55,000	55,000	55,000	55,000
	Trend	Index	100	100	100	100
	Production	MT	52,855	47,748	43,500	42,452
	Trend	Index	100	90	82	80
3	Capacity utilization	%	96%	87%	79%	77%
	Trend	Index	100	90	82	80
4	Domestic sales	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	80	82	79

5	Domestic sales value	Rs Lacs	***	***	***	***
	Trend	Index	100	48	40	36

96. It is seen that:

- i. The capacity of the domestic industry remained unchanged throughout the injury period. The domestic industry has submitted that it has suspended production at two plants during the period of investigation.
- ii. Although demand for the product increased over the injury period, the domestic industry operated with more than 20% unutilized capacity during the period of investigation.
- iii. Production and capacity utilization of the domestic industry declined consistently throughout the injury period. The domestic industry recorded lowest production and capacity utilisation in the period of investigation.
- iv. Domestic sales of the domestic industry declined in 2022-23 and increased marginally in the subsequent period but declined again during the period of investigation.
- v. Despite an increase in demand, the domestic sales volume of the domestic industry declined by 21% in the period of investigation as compared to the base year. Over the injury period, the sales value of the domestic industry declined by Rs. [***] crore.

b. Market share

97. The Authority has examined the effect of the dumped imports on the market share of the domestic industry, subject country and other countries as under.

SN	Market Share	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Domestic industry	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	78	74	60
2	Imports from subject country	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	121	129	144
3	Imports from other countries	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	70	45	19

98. It is seen that:

- i. The market share of the domestic industry has declined consistently over the injury period.
- ii. The market share of imports from the subject country moved in the opposite direction to that of the domestic industry. While the market share of the domestic industry declined, the market share of imports from the subject country increased over the injury period and sharply increased in the period of investigation.
- iii. The market share of imports from other countries declined during the period of investigation as compared to the base year.

c. Profitability, cash profit and return on capital employed

99. The performance of the domestic industry has been examined in respect of profitability, profits, cash profits, PBIT, and return on investment.

SN	Particulars	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Profit/loss	Rs/MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	-8	-10	-8
2	Profit/loss	Rs lakhs	***	***	***	***
	Trend	Index	100	-6	-8	-6
3	Cash profit	Rs/MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	0	-3	0
4	Cash profit	Rs lakhs	***	***	***	***
	Trend	Index	100	0	-2	0
5	PBIT	Rs/MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	-8	-10	-8
6	PBIT	Rs lakhs	***	***	***	***
	Trend	Index	100	-6	-8	-6
7	ROI	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	-9	-13	-10

100. It is seen that:

- i. The domestic industry was profitable in 2021-22. However, as the volume of imports from the subject country increased in 2022-23 with a sharp decline in

import price, the profits of the domestic industry declined sharply and turned into losses.

- ii. The domestic industry has suffered losses in 2022-23, 2023-24 and the period of investigation.
- iii. The profit of the domestic industry was Rs [***] crore in the base year and has turned into losses of Rs [***] cr in the period of investigation.
- iv. With the deterioration in profitability due to the increase in dumped imports, the cash profits of the domestic industry declined sharply in 2022-23. As losses intensified in the subsequent period, the cash profits declined further and turned negative.
- v. While the cash profits of the domestic industry turned marginally positive during the period of investigation, it remained insufficient to sustain the operations of the domestic industry.
- vi. The PBIT of the domestic industry followed a trend similar to that of its profits per unit. The interest cost of the domestic industry is miniscule.
- vii. As the domestic industry suffered losses, its return on investment declined sharply, turned negative in 2022-23, and remained negative thereafter.

d. Inventories

101. The inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

SN	Particulars	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Opening inventory	MT	***	***	***	***
2	Closing inventory	MT	***	***	***	***
3	Average inventory	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	145	87	30

102. It is seen that the average inventory of the domestic industry increased sharply in 2022-23 but declined in the subsequent period and further declined in the period of investigation.

103. The domestic industry recorded its lowest inventory level during the period of investigation. The primary reason for the decline in inventory is suspension of production in other plants and sales below costs.

e. Employment, wages and productivity

104. Employment, wages and productivity of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

SN	Particulars	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	No of Employment	Nos.	***	***	***	***
	Trend	Index	100	55	47	43
2	Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
	Trend	Index	100	121	167	149
3	Productivity per day	MT/days	***	***	***	***
	Trend	Index	100	90	82	80
4	Productivity per employee	MT/employee	***	***	***	***
	Trend	Index	100	164	175	187

105. It is seen that:

- i. The level of employment with the domestic industry declined during the injury period.
- ii. The wages paid by the domestic industry increased in 2022-23 and further increased in 2023-24. However, wages declined during the period of investigation.
- iii. While the productivity per day declined during the period of investigation, productivity per employee increased during the same period.

106. With regard to the contention of the other interested parties that the deterioration in the performance of the domestic industry is attributable to internal cost management issues arising from an increase in wages despite a decline in employment, it is seen that the cost on account of wages is only *** of the total cost of production claimed by the applicant. The losses suffered by the domestic industry are far higher.

f. Growth

107. The growth of the domestic industry in terms of capacity, production, domestic sales volume, PBT, PBIT, cash profits and the return on capital employed is as per the table given below:

SN	Particulars	UOM	2022-23	2023-24	POI
1	Production	Y/Y	-10	-9	-2
2	Capacity utilisation	Y/Y	-9	-8	-2
3	Domestic sales	Y/Y	-20	2	-3
4	Inventory	Y/Y	45	-40	-65
5	Profit per unit	Y/Y	-108	-35	26
6	Profit in ₹ Lacs	Y/Y	-106	-37	28
7	Cash Profit	Y/Y	-100	-1,179	114
8	PBIT	Y/Y	-108	-35	26
9	ROCE	Y/Y	-63	-2	2

108. It is seen that the growth of the domestic industry during the period of investigation has been negative in various volume parameters. While it is positive in price parameters, it can be seen that the domestic industry has continued to suffer losses with the degree of losses declining.

g. Ability to raise capital investment

109. The Authority notes that the profitability, cash profits and return on capital employed of the domestic industry have deteriorated significantly over the injury period. The adverse financial performance of the domestic industry has impaired its ability to raise additional capital and undertake fresh investments.

110. The domestic industry had submitted that it had planned to expand its melamine capacity by setting up an additional plant of 40,000 MT, which would have increased its total installed capacity. However, the proposed expansion has been put on hold in view of the prevailing market conditions and the deterioration in the financial performance of the domestic industry. Since the financial performance of the domestic industry is

significantly affected, the domestic industry's ability to justify and secure such investment has been adversely affected.

h. Factor affecting the domestic prices.

111. The examination of DG System imports data shows that the import price from the subject country is marginally higher than the selling price of the domestic industry. However, the landed price of subject imports has not moved in proportion to the changes in cost. As a result, the domestic industry was compelled to reduce its selling price, which fell below the cost of sales as the landed price also declined significantly below the cost of sales. This decline had a significant adverse impact on the profitability of the domestic industry. The fact that the domestic industry has incurred losses and recorded a negative return on investment during the period of investigation clearly demonstrates the adverse effects of dumped imports.

i. Magnitude of dumping

112. It is seen that the dumping margin is positive and significant.

G.3.5 Conclusions on injury

113. The examination of the imports of the product under consideration and performance of domestic industry shows that:
- i. The imports from the subject country have increased from 60,648 MT in the base year to 1,14,357 MT. The imports have increased in absolute terms.
 - ii. The imports in relation to production increased from ***% in the base year to ***% in the period of investigation. The imports in relation to consumption increased from ***% in the base year to ***% in the period of investigation. The imports have increased in relative term.
 - iii. The imports from other countries have declined from 12,858 MT in the base year to 3,273 MT in the period of investigation. Dumped imports from China have displaced the market being catered by the imports from other countries.
 - iv. The landed price has remained below the cost of sales of the domestic industry in the period of investigation. As a result, the domestic industry has been unable to adjust its prices in line with the changes in the cost. The prices of the domestic industry were depressed in the period of investigation.

- v. The production, domestic sales and capacity utilization of the domestic industry declined over the injury period.
- vi. The market share of the domestic industry has declined over the injury period. Whereas the market share of the subject country increased during the same period.
- vii. The average inventory declined over injury period on account of sales made by the domestic industry in losses.
- viii. Profitability of the domestic industry turned negative in 2022-23 and continued to be in losses for the remaining of the period. The profit per unit has declined from Rs ***per MT to loss of Rs (*** per MT.
- ix. PBIT and return on capital employed of the domestic industry similarly turned negative in 2022-23 and remained negative for the remaining period. Cash profit turned negative in 2023-24 but increased during the period of investigation.
- x. The growth of the domestic industry was negative in volume parameters in the period of investigation. Although the price parameters improved marginally, the domestic industry continued to suffer losses.
- xi. The domestic industry's ability to raise capital has been adversely impacted.
- xii. The dumped imports have affected the prices of the domestic industry.
- xiii. The dumping margin is positive and significant during the period of investigation.

H. CAUSAL LINK & NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

114. As per the Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than the dumped imports which are injuring or are likely to cause injury to the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and the domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether the factors listed under the Rules could have contributed to the injury suffered by the domestic industry.

a. **Volume and price of imports from third countries**

115. Imports from the subject country constitute more than 90% share in the total imports into India. The imports of the subject goods from other countries are in insignificant volumes and at higher prices and hence cannot be said to have caused material injury to the domestic industry.

b. **Contraction in demand**

116. It is seen that the demand for the product under consideration has increased over the injury period. The investigation has not shown that the demand is likely to decline. Therefore, a decline in demand or a likely decline in demand cannot be a cause of injury to the domestic industry.

c. **Trade restrictive practices**

117. There is no trade restrictive practice that has caused or is likely to cause injury to the domestic industry.

d. **Development of technology**

118. Information on record shows that technology for the production of the product has not undergone any change. Domestic Industry, since its inception is manufacturing the subject goods through the urea-based route. Therefore, technology cannot be a cause of injury to the domestic industry.

e. **Export performance**

119. The export volumes of the domestic industry increased in 2022-23 and declined thereafter, though remaining above the base-year level. The decline in exports after 2022-23 was not accompanied by any increase in domestic sales, which declined from an index of 82 in 2023-24 to 79 in the period of investigation. The domestic industry instead reduced its production. Thus, the decline in domestic sales cannot be attributed to diversion of production to exports. Further, the injury analysis is done for domestic operations therefore, export performance cannot be linked to the cause of injury to the domestic industry.

f. Performance of other products of the company

120. The Authority has considered data relating to the performance of the subject goods only. Therefore, the performance of the other products produced and sold by the domestic industry is not a possible cause of injury to the domestic industry. As regards the contention concerning sale of urea by the domestic industry in the open market, the Authority notes that the injury analysis relates solely to the melamine operations of the domestic industry, and no evidence has been placed on record to show that the production of melamine was constrained by non-availability of urea.

g. Causal link between dumping and injury

121. The factors listed above clearly establish that injury to the domestic industry has not been caused by the other factors. The following factors establish causal link between dumping and injury to the domestic industry.
- a. The imports from subject country are at dumped prices.
 - b. The import price is below the cost of the domestic industry and has prevented it from charging adequate remunerative prices. As a result, the dumped imports have depressed the prices of the domestic industry.
 - c. The domestic industry profitability turned into losses in 2022-23 and continued to be in losses in the period of investigation.
 - d. As the dumped imports from the subject country are at low prices, they hold significant share in the domestic demand.
 - e. The production, domestic sales and capacity utilisation of the domestic industry have declined in the period of investigation despite there being sufficient demand for its product in the market.

I. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

122. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in AD Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the NIP, the best utilisation of the raw materials and utilities has been considered over the injury period. Best utilisation of production capacity over the injury

period has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pretax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure III to the AD Rules.

123. The non-injurious price determined above has been compared with the landed price for the product under consideration. The landed price for the sampled producers in the subject country has been determined on the basis of the data furnished by the producers. The injury margin for non-sampled cooperating producers has been determined on the basis of the weighted average injury margin determined for the sampled cooperating producers/exporters. The injury margin for non-cooperative producers/exporters from China PR has been determined on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The non-injurious price determined for the domestic industry is in the range of US\$ 1,100–1,200 per MT.

INJURY MARGIN						
SN	Name of Producer	NIP	Landed Price	Injury Margin	Injury Margin	Injury Margin
		\$/MT	\$/MT	\$/MT	%	Range (%)
1	Huaqiang Chemical Group Stock Co., Ltd.	***	***	***	***	30-40
2	Xinjiang Yihua Chemical Industry Co., Ltd.	***	***	***	***	20-30
3	Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd.	***	***	***	***	20-30
4	Non-sampled cooperating producers	***	***	***	***	20-30
5	Any other producer	***	***	***	***	50-60

J. INDIAN INDUSTRY INTEREST AND OTHER ISSUES

J.1 Submission made by the other interested parties

124. The other interested parties have made the following submissions about the Indian industry's interest:

- i. There is a significant demand-supply gap in the domestic market.
- ii. The domestic industry is the sole domestic producer of melamine, and its production capacity is insufficient to meet domestic demand, making imports essential to ensure adequate supply.
- iii. The imposition of anti-dumping duty on melamine would not be in the public interest, as it would adversely affect downstream industries, particularly MSMEs, which are heavily dependent on melamine as a key raw material.
- iv. Melamine is a critical input for the manufacture of melamine formaldehyde moulding powder (MFMP), as well as products such as laminates, plywood, particle boards, coatings, and adhesives, which serve the construction, housing, infrastructure, and consumer goods sectors.
- v. MFMP production is highly cost-sensitive, with melamine accounting for a substantial portion of total production costs. Any anti-dumping duty on melamine would directly increase production costs, erode the competitiveness of domestic MSME manufacturers vis-à-vis imported finished MFMP, and may result in loss of business and potential closure of units.
- vi. These downstream industries operate on thin margins and are highly price sensitive. Even a moderate increase in melamine prices would significantly compress margins, reduce competitiveness, and may not be recoverable through higher selling prices in the current market environment.
- vii. Any increase in production costs arising from anti-dumping duties is likely to be passed on to consumers, thereby contributing to inflationary pressures.
- viii. The imposition of duties would adversely affect employment, competitiveness, and the overall viability of MSME-based downstream industries by increasing input costs.
- ix. The current policy approach of the Government of India is to reduce input costs, ensure raw material availability, and strengthen industrial competitiveness across the chemical value chain, particularly in light of global supply chain disruptions and price volatility.

- x. Customs Notification No. 12/2026 dated 1 April 2026 reduced customs duty to nil on several key chemical inputs and intermediates linked to the melamine value chain. This reflects the Government's intent to ensure the availability of raw materials at competitive prices, support downstream industries, and enhance cost competitiveness.
- xi. Regulatory developments, including the implementation of Quality Control Orders (QCOs) for plywood and panel products, are expected to increase demand for melamine, making the availability of competitively priced imports even more critical.
- xii. Since the domestic industry is India's sole manufacturer of melamine, any restriction on imports would increase market dependence on a single supplier, adversely affecting fair competition, market balance, supply security, and the interests of user industries.
- xiii. While there is a huge demand & supply gap, but reasons for this gap is retardation of industry.
- xiv. Wood based domestic industry has more than enough protection by way of TBT import restrictions and it should not harp any more or further.
- xv. Unplanned or unviable capacities of consumer industries in a Wood based industry segment cannot be made sustainable, even if free Urea or Melamine is offered under any program of govt.
- xvi. Imported melamine accounts for 36% of total production cost. A moderate escalation in melamine prices leads to significant compression of operating margins.
- xvii. Imposition of duty would increase MFMP production cost by Rs 11.45/kg. Price cannot be raised beyond Rs 118.40/kg, this would reduce the existing profit margin by 53%.
- xviii. Despite being a public sector undertaking, is not functioning in the public interest.
- xix. GSFC benefited from ADD for more than 15 years. Imposition of duties is not in public interest.
- xx. GSFC supplies urea in the open market to receive government incentive rather captively consume the same in its plants.

J.2 Submission made by the domestic industry

125. The domestic industry has made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:

- i. Anti-dumping duty restores fair competition by ensuring that domestic manufacturers are able to compete on a level playing field.
- ii. Despite being the sole producer in India and operating in a demand-supply deficit market, the domestic industry continues to face significant idle capacity due to dumped imports from the subject country.
- iii. The impact of dumped imports has already resulted in the closure of two production plants, and there is a serious risk that the remaining plant may also become unviable due to low-priced imports. This would make India entirely dependent on imports and lead to substantial job losses.
- iv. The continued influx of low-priced dumped imports has made domestic production economically unviable for potential new entrants, leaving the applicant as the sole producer in India. Dumping has therefore not only injured the existing domestic industry but has also acted as a barrier to entry, undermining the Government's "Make in India" initiative.
- v. The domestic industry significantly expanded its capacity from 15,000 MT to 55,000 MT by investing approximately Rs. 800 crores in an additional 40,000 MT plant.
- vi. However, due to substantial dumped imports from China PR, the industry has been compelled to curtail operations and currently operates only one plant, leaving 15,000 MT of capacity idle. This demonstrates that the injury suffered is attributable to dumped imports rather than any failure to expand capacity.
- vii. Melamine is used in several industries, including plywood, laminates, and pigments. However, it is not directly consumed in these products. Rather, it is first converted into Melamine Formaldehyde Resin, which is then used in the manufacture of downstream products.
- viii. Since Melamine Formaldehyde Resin itself is an intermediate input, any impact of the proposed measures is absorbed within the manufacturing process. Consequently, the proposed duties would have only a minimal effect on downstream products.

- ix. The share of Melamine in the total cost of production of downstream products such as commercial plywood, veneer, pigments, and laminates is marginal. Therefore, the impact of the proposed measures on downstream industries would be minimal.
- x. Even if the price of Melamine were to increase by 20%, the impact on the final product would be approximately 5%. Producers of Melamine Formaldehyde Resin can pass on any increase in raw material costs to their customers, particularly since imports of Melamine Formaldehyde Resin remain limited. Against an annual Melamine demand of 150,000 MT, imports of Melamine Formaldehyde Resin are only about 5,000 MT.
- xi. The user industry largely operates on a pass-through basis. Accordingly, any increase in costs resulting from anti-dumping duties is likely to be passed through the supply chain with minimal impact on overall demand or final consumer prices.
- xii. Any contention that the proposed duties would cause injury to downstream users is unsupported by the evidence. Anti-dumping duties remained in force for nearly two decades, yet no adverse impact on downstream manufacturers was demonstrated.
- xiii. Despite anti-dumping duties being in force for almost twenty years, demand for the product increased consistently. Even when prices reached Rs. 161/kg, demand continued to grow, demonstrating that downstream industries were able to absorb higher input costs without any adverse impact on demand.
- xiv. The profitability data of downstream users further confirms the absence of any material impact. Despite substantial reductions in Melamine prices, downstream users did not experience corresponding improvements in profitability. In several cases, profitability either declined or remained broadly stable during the period of investigation.
- xv. Even in the base year, when the landed price of Melamine was significantly higher, downstream industries continued to operate profitably.
- xvi. The submission that anti-dumping duties would adversely affect MSMEs is misplaced, as none of the participating users qualify as MSMEs. Each of the participating companies has an annual turnover exceeding Rs. 2,000 crores.
- xvii. The imposition of anti-dumping duty would help safeguard quality standards in the Indian market. In the past, concerns have been raised regarding the quality of imports from China PR.

- xviii. Given that Melamine is widely used in consumer products such as plates, cups, and laminates, the continued influx of substandard imports poses potential risks to end consumers.
- xix. The domestic industry incurred expenditure of Rs. 21.98 crores on social development activities during the period of investigation.
- xx. Due to low-priced dumped imports, the applicant is suffering significant financial losses and negative returns on capital employed. As the sole producer in India, continued injury could force the applicant to cease operations, adversely affecting employment and livelihoods.
- xxi. Anti-dumping measures are intended to restore fair competition rather than maintain artificially suppressed prices. Consumers cannot claim a right to access dumped imports, as market participants are expected to operate under fair market conditions rather than benefit from unfair pricing practices.
- xxii. The reduction in customs duty by the Government is a temporary measure intended to address short-term supply concerns, facilitate trade, and ensure supply stability. Anti-dumping duties, by contrast, address unfair trade practices.
- xxiii. Regulatory developments such as Quality Control Orders (QCOs) applicable to plywood and panel products are not relevant to the present investigation. Even if such measures increase demand for Melamine, they cannot justify the continuation of dumped imports.
- xxiv. The proposed measures would not eliminate competition. Imports from both subject and non-subject countries would continue to be available, thereby ensuring adequate supply and competitive market conditions.

J.3 Examination by the Authority

- 126. The Authority considered whether imposition of the proposed anti-dumping duty will be against public interest. This determination is based on consideration of information on record and interests of various parties, including domestic industry, importers, and consumers of the product.
- 127. It is noted that the purpose of anti-dumping measures, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the

general interest of the country. The Authority recognizes that the anti-dumping duties might affect the price levels of the product under consideration as well as other downstream products manufactured by using the subject goods in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the contrary, the imposition of anti-dumping measures would prevent the decline in the performance parameters of the domestic industry that may ensue as a consequence of low-priced imports from the subject country and help maintain the wider availability of choices to the consumers of the product under consideration.

128. The Authority further notes that imposition of anti-dumping duty does not restrict imports. Imports will continue to happen at fair prices. The analysis of import data also shows that the dumping of the product from the subject country, has led to reduction in imports from other countries. It is seen that in past when the imports from China attracted anti-dumping duty, there were significant volume of imports from other countries. However, with the expiry of anti-dumping duty, these third-country imports have declined drastically. The purpose of Anti-dumping duty is to ensure that the imports are entering the Indian market at fair prices and a level playing field is maintained between the foreign exporters and the domestic industry.
129. The Authority has prescribed an economic interest questionnaire, which was sent to all interested parties in this investigation. The domestic industry, Indian laminates manufacture association, Merino Laminates Limited, Century Plyboard (India) Limited, Greenlam Industries Limited, Virgo Laminates Limited and Pristine Melamine LLP have filed responses to the economic interest questionnaire.
130. With regard to the submissions of the interested parties concerning Customs Notification No. 12/2026 and the recent policy measures relating to reduction in customs duties, it is noted that those measures are general customs measures applicable in accordance with the Government's fiscal and trade policy objectives. The present investigation, however, has been conducted under the provisions of the Customs Tariff Act, 1975 and the Anti-Dumping Rules with a view to determine the existence of dumping, injury to the domestic industry and the causal link between the dumped imports and the injury suffered by the domestic industry. The Authority notes that the existence of customs duty concessions or

reductions on certain products does not, in itself, have a bearing on the determination of dumping, injury or causal link in an anti-dumping investigation.

131. With regard to the contention of the other interested parties that regulatory developments, including Quality Control Orders on plywood and panel products, are expected to increase demand for melamine and that input cost stability is therefore critical for downstream industries, it is noted that regulatory developments affecting downstream industries may influence the demand for the subject goods. However, the existence of such regulatory measures does not have a bearing on the determination of dumping, injury and causal link in the present investigation. An increase in demand for the subject goods cannot justify continuation of imports at dumped prices in the domestic market. The demand for the subject goods can continue to be met through domestic production as well as imports at fair prices. On the other hand, the increase in demand for the subject goods shows the need for a vibrant domestic industry. A vibrant domestic industry ensures competitive pricing, shorter lead times, reduced forex risk, and strategic resilience against global disruptions, supply chain efficiency and foreign supplier dependence.
132. With regard to the contention of the interested parties that imposition of anti-dumping duty on melamine would adversely affect downstream industries operating on thin margins and would lead to an increase in cost pressures, the Authority has examined the significance of Melamine for the downstream industry. For this purpose, Annexure 2 filed by the user industry has been relied upon. The table below shows the profit and loss reported by the responding users.

Information provided by Century Plyboards

SN	Particulars	UOM	Laminate (Sheet)	Particle Board
1	Cost of PUC		***	***
2	Total cost		***	***
3	Share of PUC	%	***	***
4	If cost of PUC increases by 10%	Rs/sheet	***	***
5	Share of PUC after ADD	%	***	***
6	Increase in cost (impact of ADD)	%	***	***

Information provided by Merino Plywood

SN	Particulars	UOM	Laminate (HPL + LPL)	Particle Board
1	Cost of PUC	Per Pcs	***	***
2	Total cost	Per Pcs	***	***
3	Share of PUC	%	***	***
4	If cost of PUC increases by 10%	Rs/Pcs	***	***
5	Share of PUC after ADD	%	***	***
6	Increase in cost (impact of ADD)	%	***	***

Information provided by Greenlam

SN	Particulars	UOM	Decorative laminate (Greenlam)
1	Cost of PUC	Rs/Kg	***
2	Total cost	Rs/Kg	***
3	Share of PUC	%	***
4	If cost of PUC increases by 10%	Rs/Kg	***
5	Share of PUC after ADD	%	***
6	Increase in cost (impact of ADD)	%	***

Information provided by Pristine Melamine LLP

SN	Particulars	UOM	M F Glazing Powder	M M F Moulding Powder
1	Cost of PUC	Rs/Kg	***	***
2	Total cost	Rs/Kg	***	***
3	Share of PUC	%	***	***
4	If cost of PUC increases by 10%	Rs/Kg	***	***
5	Share of PUC after ADD	%	***	***
6	Increase in cost (impact of ADD)	%	***	***

133. The Authority has also quantified the impact of anti-dumping duty based on the Appendix 2 of the user questionnaire response filed by the user industry. The Authority notes that

the users have not established that they would be unable to pass on the increase in cost, if any, on account of the anti-dumping duty.

134. The domestic industry has also quantified the following impact of the proposed anti-dumping duty on various downstream products:

SN	Particulars	Commercial Plywood	Veneer	Pigment	Laminate
1	Rate of the product	1387 per 0.01728 cubic meter	3286 per 0.01152 cubic meter	750 per KG	3000 per 0.00288 cubic meter
2	Melamine norms (SION)	6.13 KG per cubic meter	4.15 KG per cubic meter	0.18 per KG	146 KG per cubic meter
3	Melamine price	81	81	81	81
4	Melamine cost	496.53	336.15	14.58	11826
5	Share of Melamine in the above price	0.58%	0.11%	1.82%	1.07%
6	Melamine price increase by 20%	15.2	15.2	15.2	15.2
7	Impact on final product price	0.116%	0.022%	0.36%	0.213%

135. The other interested parties submitted that imposition of anti-dumping duty would adversely impact downstream industries, particularly MSMEs engaged in the production of Melamine Formaldehyde Moulding Powder (MFMP) and Melamine Formaldehyde Glazing Powder (MFGP). The users have claimed that melamine accounts for significant share in the production cost and any increase in input price cannot be absorbed.

136. The domestic industry has also provided impact on MFMP:

SN	Particulars	UOM	Impact
1	Price of MFR	Rs/kg	162
2	Melamine rate [present price]	Rs/kg	81
3	Melamine consumption (estimated)	Kg	0.5

4	Melamine cost	Rs/kg	41
5	Share of Melamine in the above price	%	25%
6	Melamine price increase by 20%	%	5%

Source: domestic industry rejoinder

137. Upon examination of data and information provided by the interested parties and the domestic industry, it is seen that the participating downstream users, except Pristine Melamine LLP which has claimed registration as an MSME, are not MSMEs. Secondly melamine is generally not used directly in the manufacture of several downstream products. The product is first converted into Melamine Formaldehyde Resin (MFR), which is thereafter used in the manufacture of downstream products. Thus, melamine undergoes further processing and value addition before being used in the final product.
138. The domestic industry has claimed that against a demand of 1,50,000 MT of Melamine, the import of Melamine Formaldehyde Resin is only 5,000 MT. A Melamine Formaldehyde Resin producer would therefore be able to pass on the increase in the cost to the immediate consumer. The consumers of Melamine Formaldehyde have set up integrated plants where Melamine is consumed, used to make Melamine Formaldehyde which is then captively consumed to make other products. Therefore, Melamine Formaldehyde would be able to change its price easily in line with the changes in the cost of production
139. The other interested parties have claimed that the anti-dumping duties previously in force have significantly impacted the operations of the downstream industry and have increased the cost and price of the final downstream products. The domestic industry has disputed this by providing information on the historical demand for the product under consideration in India which is given below.

SN	Years	Demand (MT)	SN	Years	Demand (MT)
1	2004-05	100	12	2015-16	317
2	2005-06	99	13	2016-17	300
3	2006-07	108	14	2017-18	365
4	2007-08	146	15	2018-19	416

5	2008-09	127	16	2019-20	419
6	2009-10	167	17	2020-21	443
7	2010-11	204	18	2021-22	573
8	2011-12	216	19	2022-23	627
9	2012-13	255	20	2023-24	665
10	2013-14	263	21	2024-25	764
11	2014-15	304			

* Based on submission of domestic industry

140. In regard to the contention that there is a demand-supply gap in the country and the imports were warranted to meet the demand supply gap. The Authority notes that the existence of a demand-supply gap does not justify the dumping of the product in the Indian market. The Authority also notes that while the domestic industry has expanded capacity in past, no new producer invested in the product despite growing demand. However, when the domestic industry is faced with such significant losses, expansions cannot take place. The domestic industry has claimed that it has suspended capacity expansion plans.

141. In regard to the contention that anti-dumping duties will adversely affect the exports of the downstream industry, it is considered that imports for exports are not subject to anti-dumping duty. Further, the domestic industry has provided information showing that the product is being traded in global market at significantly higher prices as compared to the Indian market. Therefore, if the anti-dumping duty was to lead to increase in the prices, the downstream industry would be able to compete with the other global producers who are consuming the product under consideration at fair prices.

K. POST-DISCLOSURE COMMENTS

K.1 Submissions made by the other interested parties

142. The interested parties have made the following submissions in their comments on the disclosure statement:.

- i. The disclosure statement does not disclose the essential facts in terms of Rule 16. The normal value, export price, dumping margin, non-injurious price, price

undercutting, cost of sales, selling price, the historical demand series and the quantification of the impact on users have been withheld as confidential, without recording satisfaction under Rule 7 and without meaningful non-confidential summaries. Information that is neither disclosed nor summarised cannot support an affirmative determination. Reliance has been placed on *Century Plyboards (I) Ltd. v. Union of India* [WP(C) No. 6568/2017, Gauhati High Court, 26.08.2019], the judgment in Review Petition No. 9/2020, the order dated 21.06.2023 in I.A. (Civil) No. 2414/2022, *Reliance Industries Ltd. v. Designated Authority* [(2006) 10 SCC 368], *Union of India v. Meghmani Organics Ltd.* [(2016) 10 SCC 28], *Nirma Ltd. v. Union of India* (Gujarat High Court), and Articles 6.5 and 6.9 of the Anti-Dumping Agreement. Para 36 of the disclosure statement records that the non-injurious price and price undercutting were disclosed in range, whereas no range of the non-injurious price was disclosed and price undercutting was shown only as negative. A supplementary disclosure has been sought.

- ii. The reasoning in the disclosure statement is circular. The demand-supply gap, the domestic industry's own cost, the market structure and the decisions of the domestic industry itself have each been used to support an affirmative finding, and the same comparison between the domestic industry's cost and the Chinese price has been counted as dumping, as price injury and as causation. The Authority has not examined whether any evidence would have led to a negative determination, as required by Annexure II and by US – Hot-Rolled Steel (WT/DS184/AB/R).
- iii. Price undercutting is negative, although the application had claimed significant positive price undercutting. In the final findings dated 19.02.2018 concerning imports from the EU, Iran, Indonesia and Japan, and in F. No. 14/30/2010-DGTR, negative undercutting was treated as a relevant consideration against the imposition of duty. The selling price of the domestic industry declined by 54% while the landed price declined by only 49%, which shows that factors other than imports determined the prices of the domestic industry.
- iv. The decline in prices was global. The export realisation of the domestic industry declined in parallel with its domestic realisation (index 100 to 47 and 100 to 46), in markets unaffected by imports into India. Commission Implementing Regulation (EU) 2025/325 records that Chinese import prices into the EU fell by more than half from 2022, while EU measures were in force. The cost of sales of the domestic

- industry declined by only 2%, reflecting its own cost rigidity when gas and urea prices declined.
- v. The year-wise movements do not support causation. The steepest fall in the price of the domestic industry (2021-22 to 2022-23) coincided with the smallest increase in imports (15,158 MT), while between 2023-24 and the period of investigation, when imports increased by 28,864 MT, the loss per MT of the domestic industry narrowed and its cash profit turned positive. Between 2022-23 and the period of investigation, imports increased by about 51% while domestic sales, loss per MT and inventory did not deteriorate.
- vi. The base year 2021-22 is not representative, since anti-dumping duty on imports from China PR was in force up to 30.09.2021 and the year marked the peak of the global price cycle. Para 79 of the disclosure statement answers this contention with reference to the period of investigation for dumping, which does not address the injury analysis. The Authority should adopt 2022-23 as the reference year or disclose the net sales realisation separately for April-September 2021 and October 2021-March 2022.
- vii. The applicant had stated in its application that it had produced and sold to the extent of its capacity and had not claimed volume injury. The disclosure statement nevertheless relies on the decline in production, sales, capacity utilisation and market share.
- viii. At least three-fifths of the increase of 53,709 MT in subject imports is explained by the growth in demand and the decline of 9,585 MT in imports from other countries. The decline in domestic sales of the domestic industry in 2022-23 coincided with a doubling of its exports, while its total sales remained unchanged. Export performance is a factor listed in Annexure II and has been wrongly disregarded. Displacement of third-country imports, which the applicant itself had earlier alleged to be dumped, cannot constitute injury to the applicant, and the sharp decline in inventories contradicts any volume injury.
- ix. The cost of sales has been confined to Plant III, while capacity utilisation has been computed on the capacity of 55,000 MT, including Plants I and II, which have been suspended. The production of 42,452 MT in the period of investigation exceeds the capacity of Plant III of 40,000 MT. The applicant's explanation for the suspension of Plants I and II has shifted over the years. The fall in employment and rise in

wages reflect internal reorganisation, and the claimed expansion plan of 40,000 MT is not supported by any board approval or project report.

- x. The non-attribution analysis is summary. The Authority has not separated and distinguished the global decline in prices and costs, the lapse of anti-dumping duty in September 2021, the capacity constraint of the domestic industry, the allocation of its output to exports, the suspension of Plants I and II and their older technology, the rigid costs and gas procurement terms of the domestic industry, its inability to supply in jumbo bags (a disadvantage of about Rs 1.5-2 per kg to users), and its sale of practically its entire production of urea in the open market to earn subsidy (about Rs 3,723 crore in 2024-25). Para 120 of the disclosure statement contains an incomplete sentence on urea.
- xi. Several statements in the application are contradicted by the applicant's own data. The applicant was found non-cooperative by the US Department of Commerce in a countervailing duty investigation (C-533-925). The Authority should record the scope of verification under Rule 8, including allocation of gas and common costs and exclusion of costs of Plants I and II, and should record whether the applicant imported the product from any source during the injury period.
- xii. A return of 22% on capital employed cannot be applied mechanically. The capital employed of the domestic industry declined (index 100 to 62) with unchanged capacity; the Authority should confirm that idle and shared assets, including integrated urea and ammonia facilities, have been excluded. The non-injurious price must be determined in Indian Rupees and converted at the exchange rate prevailing when it is acted upon, as held at para 66 of the review judgment of the Hon'ble Gauhati High Court.
- xiii. The Authority has not exhausted the market economy third-country options under paragraph 7 of Annexure I, and public information, such as the EU regulation, was available. Para 54 of the disclosure statement refers to the price paid or payable in India but describes a cost construction. The difference between the coal-based Chinese process and the urea-based process of the domestic industry has not been addressed.
- xiv. About 75% of subject imports would attract the residual duty, since the cooperating producers account for only 25.47% of the imports. On the domestic industry's own figures, a 50% increase in the price of melamine would raise the cost of melamine formaldehyde resin by about 11.7%. Para 133 of the disclosure statement, which

records that pass-on has not been established, contradicts para 138. The impact figures at para 134 have been wrongly computed. The Authority has wrongly held that none of the participating users is an MSME, since Pristine Melamine LLP has filed its MSME registration certificate, ILMA represents over 150 members who are mostly MSMEs, and 1,388 of 1,422 organised units in the plywood and panel sector are MSMEs. The cumulative effect of the parallel investigations on phenol and décor paper, the decisions of the Central Government not to impose duty in 2021 and 2022, Customs Notification No. 12/2026, and the absence of any capacity addition by the domestic industry despite 17 years of protection should be considered.

- xv. Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co., Ltd. has submitted that it filed its questionnaire response within the extended time and has been listed at S.No. 8 of the sampling table at para 42, but has been omitted from the list of non-sampled cooperating producers at para 69. It has requested that it be included in the said list in the final findings.
- xvi. The disclosure statement contains several errors: the sampling notice is dated 23.01.2026 while the sampled producers are stated to have been notified on 17.01.2026; para 45 refers to fifteen responding parties and nine responses, which is inconsistent with para 42; para 3 refers to “this preliminary finding”; para 113(iii) states that dumped imports displaced “the Chinese imports”; and para 118 refers to the “gas route”. The Authority should also confirm that no post-period of investigation data has been relied upon.
- xvii. The investigation should be terminated without imposition of duty. In the alternative, the duty should not exceed what is necessary to remove the injury caused by dumped imports.

K.2 Submissions made by the domestic industry

143. The domestic industry has made the following submissions in its comments on the disclosure statement:

- i. The scope of the product under consideration as proposed in the disclosure statement should be confirmed. No evidence has been filed to show any material difference between the product of the domestic industry and the imported product on account of purity or production route.

- ii. The injury claimed pertains only to Plant III. The domestic industry has furnished segregated data for domestic and export operations, and the net sales realisation has been determined after deducting discounts and outward freight, at the same level as the landed price.
- iii. The factors listed by the other interested parties as alternative causes of injury are neither quantified nor supported by evidence. In terms of US – Hot-Rolled Steel and EC – Tube or Pipe Fittings, the obligation to separate and distinguish the effects of other factors arises only in respect of known factors supported by evidence on record.
- iv. The capacity of melamine in China PR is about 22,00,000 MT and is expected to reach about 26,00,000 MT, against declining domestic demand in China. The capacity additions are export-oriented and India is a target market.
- v. Chinese producers are backward-integrated into urea, which is subject to state trading, guided pricing and incentives reducing the cost by 150-160 Yuan per MT.
- vi. The domestic industry invested about Rs 800 crore to expand its capacity from 15,000 MT to 55,000 MT. Due to dumped imports, two plants with a capacity of 15,000 MT had to be idled, and a further expansion of 40,000 MT involving an investment of over Rs 1,000 crore has been put on hold.
- vii. The finding at para 133 of the disclosure statement that the users have not been able to establish pass-on is contrary to para 138, and the users operate on a pass-through basis. The finding should be revised.
- viii. Technology is not a cause of injury. The domestic industry earned a profit of Rs *** per MT on its exports during the period of investigation, as against a loss of Rs *** per MT on its domestic sales, using the same plant.
- ix. The anti-dumping duty should be imposed in the form of a fixed amount in US\$ per MT, considering that the landed price declined by 49% while the cost of sales declined by only 2%, and that no PCN has been proposed. The benchmark (reference price) form of duty imposed earlier was evaded and proved ineffective. The duty should be imposed for a period of five years.

K.3 Examination by the Authority

144. The Authority has examined the post-disclosure comments of the interested parties. It is noted that most of these comments are reiterations of the submissions made earlier, which

have already been examined and addressed at the relevant places in these findings. The issues raised afresh, or requiring further examination, are addressed below.

145. Interested parties have made various submissions and comments with regard to the injury analysis undertaken by the Authority. The Authority has examined the submissions so made and considers that the injury analysis undertaken in the present investigation adequately addresses the relevant issues and concerns raised by the interested parties. The Authority further notes that the assessment of injury is required to be undertaken on the basis of an overall evaluation of the various economic parameters and indicators relevant to the state of the domestic industry, and not on the basis of any single parameter in isolation.
146. The Authority further considers that it is not necessary that each and every injury parameter should demonstrate deterioration during the period of investigation or over the injury period. The injury analysis is required to be examined considering the data of the domestic industry over the injury period. The individual economic parameters may exhibit different trends depending upon the prevailing market conditions and the particular circumstances of the domestic industry. While certain parameters may show deterioration, other parameters may remain stable or may even show improvement. The interested parties have seen such movements in isolation, and these cannot be determinative of the overall injury suffered by the domestic industry. The Authority has however undertaken a holistic assessment of all relevant economic factors and indicators, including their collective impact on the condition and performance of the domestic industry, in determining whether the domestic industry has suffered material injury.

Disclosure of essential facts and confidentiality

147. The Authority notes that the disclosure statement disclosed the essential facts forming the basis of the proposed determination. These included the basis and methodology for determination of the normal value, the adjustments made to the export price of each sampled producer, the dumping margins and injury margins in range, the actual volume of imports and demand, the injury parameters of the domestic industry in indexed form, the result of the price undercutting analysis, the methodology for determination of the non-injurious price, and the reasons of the Authority on each issue. The information withheld relates to the costs, prices and profitability of the sole domestic producer and of

the individual sampled producers. Disclosure of such information in absolute terms would reveal the costs and prices of a single enterprise to its competitors and customers. The confidentiality claims were examined in terms of Rule 7 and accepted on good cause shown, and the non-confidential summaries have been provided in indexed or range form in accordance with Trade Notice 10/2018 dated 7th September, 2018 and the consistent practice of the Authority. Thus, all the essential facts under consideration which forms the basis for decision has already been disclosed under the provisions of Rule 16 and does not warrant supplementary disclosure.

Objectivity of the examination

148. The contention that the reasoning of the Authority is circular chain of reasoning is not correct. The dumping margin has been determined by comparing the constructed normal value with the export prices of the sampled producers, whereas the injury determination is based on the effect of the dumped imports on the prices and performance of the domestic industry. These are distinct determinations based on different information. The determination of injury rests on positive evidence, namely the verified data of the domestic industry and the transaction-wise import data of DG Systems, and on an examination of all the factors listed in Annexure II. The Authority has also examined the other known factors, as recorded in section H and below.

Price effect and negative price undercutting

149. Annexure II (ii) of the Rules requires the Authority to consider whether there has been significant price undercutting or whether the effect of the imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases which would otherwise have occurred. The requirements are alternative. In the present case, the landed price of the subject imports is marginally above the selling price of the domestic industry (by ***per MT, or 1%). However, the landed price declined from Rs 1,60,552 per MT in 2021-22 to Rs 82,139 per MT in the period of investigation, and remained below the cost of sales of the domestic industry (Rs ***per MT) in the period of investigation. The domestic industry, whose share in the Indian market declined to ***, had no option but to align its prices with the landed price of subject imports, which account for ***% of the Indian demand.

150. With regard to the contention that the selling price of the domestic industry declined by 54% while the landed price declined by 49%, the Authority notes that the selling price of the domestic industry was about 10% higher than the landed price in the base year (Rs *** against Rs 1,60,552 per MT). By the period of investigation, it had been brought down to the level of the landed price (Rs *** against Rs 82,139 per MT). The larger percentage decline thus reflects the elimination of the price premium earlier enjoyed by the domestic industry, under the pressure of the dumped imports. It does not show that factors other than imports determined the prices of the domestic industry. The earlier findings relied upon by the interested parties concerned imports from other countries, on different facts, at a time when duties on imports from China PR were in force and the domestic industry was profitable. Each investigation is determined on its own facts.

Decline in global prices and export prices of the domestic industry

151. The Authority notes that a decline in the cost of raw materials would affect producers globally and would be reflected in the cost of the domestic industry as well. The cost of sales of the domestic industry is based on verified data and declined by 2% over the injury period, whereas the landed price of the subject imports declined by 49% and fell below the cost of sales of the domestic industry. The decline in the export prices of the domestic industry does not establish that the price of the subject imports in India was not dumped or not injurious. The regulation of the European Union relied upon by the interested parties itself relates to anti-dumping measures on imports of melamine from China PR. Further, the non-injurious price has been determined on the basis of the best utilisation of raw materials, utilities and capacity, which neutralises any inefficiency or cost rigidity of the domestic industry.

Choice of base year and year-wise trends

152. The Authority has examined the contention that 2021-22 is not a representative base year. Even if the analysis is confined to the period from 2022-23 to the period of investigation, the following position emerges:
- i. imports from the subject country increased from 75,806 MT to 1,14,357 MT, i.e., by 51%;
 - ii. the landed price of subject imports declined from Rs 1,15,559 per MT to Rs 82,139 per MT, i.e., by 29%;

- iii. the selling price of the domestic industry declined from Rs ***per MT to Rs ***per MT, i.e., by 22%, and remained below its cost of sales throughout;
 - iv. the market share of the domestic industry declined from ***% to ***%; and
 - v. the domestic industry suffered losses and a negative return on capital employed in each year.
153. The injury to the domestic industry is, therefore, established irrespective of the base year adopted. The Annexure II analysis does not require that each injury parameter deteriorate in every year of the injury period. The narrowing of the loss per MT in the period of investigation was due to a decline in the cost of sales, while the selling price continued to decline and remained below cost. The Authority has not relied upon any post-period of investigation data, as recorded at para 80. The request for bifurcation of the net sales realisation of 2021-22 is not considered necessary in view of the above.

Volume effect, exports and inventories

154. The Authority is required under Annexure II (iv) to evaluate all relevant economic factors having a bearing on the state of the domestic industry, irrespective of the claims made in the application. The determination of material injury in the present case rests on the totality of the parameters, principally the price depression and the deterioration in profitability, cash profits and return on capital employed. The volume parameters show that, while demand increased by 31%, the domestic sales of the domestic industry declined by 21% and its market share declined significantly (index 100 to 60). As regards exports, the export volumes of the domestic industry declined after 2022-23, yet its domestic sales did not increase. This shows that the decline in domestic sales was not on account of diversion of production to exports. The decline in inventories, as recorded at para 103, is attributable to the reduction in production and to sales made by the domestic industry below its cost. It does not negate the price injury suffered by the domestic industry.

Plants I and II and capacity of the domestic industry

155. The Authority notes that the cost of sales and the non-injurious price have been determined excluding the costs relating to Plants I and II. The capacity and capacity utilisation have been examined on the basis of the installed capacity of the domestic industry. The Authority notes that, even if the capacity of Plants I and II were disregarded,

the conclusions on price depression, losses, cash profits and return on capital employed, which are based on the costs of Plant III alone, would remain unaffected.

Other known factors

156. The Authority has further examined the other factors referred to by the interested parties:

- i. Lapse of duty in September 2021: the expiry of the earlier duty is not a factor causing injury in itself. It is the context in which dumped imports from the subject country increased and displaced imports from other countries, as recorded at para 88.
- ii. Demand-supply gap and capacity of the domestic industry: the existence of a demand-supply gap may explain the need for imports. It does not explain the price at which the imports have entered, nor the losses suffered by the domestic industry on the volumes it did sell.
- iii. Packaging: the claimed disadvantage of about Rs 1,500-2,000 per MT on account of packaging is significantly lower than the gap between the cost of sales of the domestic industry and the landed price of imports (Rs ***per MT), and than the injury margins determined. Further, if such cost were added to the price of the domestic industry, as argued by the interested parties, the price undercutting would turn positive.
- iv. Urea and natural gas: the injury analysis relates only to the melamine operations of the domestic industry. The domestic industry operated with unutilised capacity, and there is no evidence that its production of melamine was constrained by availability of urea. The use of APM gas for melamine has been examined at para 27. The non-injurious price has been determined in terms of Annexure III, which requires the allocation and apportionment of expenses to be examined for reasonableness.
- v. Technology: the technology of Plants I and II cannot be a cause of injury, since their costs have been excluded from the analysis.

157. None of these factors, individually or collectively, is found to break the causal link between the dumped imports and the material injury suffered by the domestic industry.

Reliability of data and verification

158. The data of the domestic industry has been verified to the extent considered necessary, in accordance with Rule 8, with reference to its books of account and cost records. The

findings of an authority of another jurisdiction in a countervailing duty investigation, in respect of a different period and issues, do not bear upon the verification of the data in the present investigation. The difference between the statements in the application and the verified data has no bearing on the determination, which is based on the verified data.

Non-injurious price, return on capital employed and exchange rate

159. The Authority has adopted a reasonable return of 22% on the average capital employed in accordance with Annexure III and its consistent practice, which has been upheld by the Hon'ble CESTAT, as recorded at para 82. No evidence has been placed on record to justify a departure. The capital employed has been considered for the product under consideration, and it has been ensured that no depreciation has been charged for facilities not deployed in the production of the subject goods. The non-injurious price has been determined in Indian Rupees and compared with the landed price for the determination of the injury margin, and the duty is recommended in US\$ as a fixed amount, in accordance with the consistent practice of the Authority.

Normal value

160. The initiation notification invited the interested parties to offer comments on the selection of an appropriate market economy third country. No interested party provided verifiable information on the domestic price, constructed value or export price of the product in any market economy third country. The normal value has, therefore, been constructed on any other reasonable basis, as recorded at para 54, which has been suitably clarified. The production route does not alter the product's characteristics or its end use, as held in section C.

List of cooperating producers and inclusion of Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co., Ltd.

161. The Authority notes that Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co., Ltd. and Sichuan Qing'an Materials Technology Co., Ltd. are listed in the sampling table at para 42 on the basis of their questionnaire responses, but were inadvertently omitted from the list of non-sampled cooperating producers. The said list has been corrected, and Yihua (Xinjiang) Material Trade Co., Ltd., being a part of the sampled Xinjiang Yihua group, has been removed from it. The non-sampled cooperating producers shall be subject to the weighted

average margin determined for the sampled producers. The chronology of the sampling notices and the number of participating producers have also been corrected.

Indian industry's interest

162. The Authority has corrected the statement at para 133 of the disclosure statement, which was inconsistent with para 138. The figures at para 134 are as submitted by the domestic industry; the computation of the impact by the Authority is set out below. The Authority has further examined the impact of the duties now recommended, which range from US\$ 245 to 403 per MT (i.e., about Rs 20.93 to 34.43 per kg, or 25% to 42% of the landed price of Rs 82.14 per kg). Considering the duty of US\$ 257 per MT applicable to non-sampled cooperating producers and the residual duty of US\$ 403 per MT, the impact on the cost of the downstream products is as under:

SN	Downstream product	Basis	Share of melamine in cost/price	Impact at US\$ 257/MT	Impact at US\$ 403/MT
1	Commercial plywood	SION norm 6.13 kg/m ³ ; Rs 80,266/m ³	0.62%	0.17%	0.26%
2	Veneer	SION norm 4.15 kg/m ³ ; Rs 2,85,243/m ³	0.12%	0.03%	0.05%
3	Laminate	SION norm 146 kg/m ³ ; Rs 10,41,667/m ³	1.14%	0.31%	0.48%
4	Pigment	SION norm 0.18 kg/kg; Rs 750/kg	1.94%	0.53%	0.83%
5	Laminate (Century Plyboards)	EIQ data of user	***	0–1%	1–2%
6	Laminate (Merino)	EIQ data of user	***	0–1%	1–2%
7	Decorative laminate (Greenlam)	EIQ data of user	***	0–1%	1–2%
8	Melamine formaldehyde resin	DI estimate 0.5 kg/kg; Rs 162/kg	25.00%	6.78%	10.63%

SN	Downstream product	Basis	Share of melamine in cost/price	Impact at US\$ 257/MT	Impact at US\$ 403/MT
9	MF glazing powder (Pristine)	EIQ data of user	***	5–10%	10–15%

163. It is seen that the impact on the cost of the principal downstream products, namely plywood, veneer, laminates and pigments, would be less than 2%. The impact on melamine formaldehyde resin and glazing powder, where melamine is the principal input, would be higher. However, as noted at para 138, the resin producers are in a position to pass on the increase in cost, and the impact at the level of the final products remains low.

164. As regards the MSME users, the Authority has taken note of the claim of Pristine Melamine LLP that it is registered as an MSME, and para 137 has been modified accordingly. The letters annexed as Exhibit 1 to the joint comments of ILMA and others are addressed to the Authority in the sunset review investigation concerning some other product and seek termination of that investigation. They do not relate to the present investigation and cannot be relied upon. The general information on the number of MSME units in the plywood and panel sector has not been accompanied by any information on the impact of the duty on such units. With regard to the parallel investigations on other inputs, each investigation is determined on its own facts, and no information quantifying the cumulative impact has been placed on record. The contentions regarding the earlier decisions of the Central Government and Customs Notification No. 12/2026 have already been examined at paras 28 to 32 and 130.

165. The interested parties have contended that the Hon'ble Gauhati High Court has held, in litigation concerning melamine and this very applicant, that the normal value, export price, margin of dumping and non-injurious price are essential facts that cannot be withheld under Rule 7, that a Division Bench of that Court has declined GSFC's application for "leave to appeal" against that direction, and that the Authority is, therefore, bound to give effect to the said order. The Authority notes that these directions were issued pursuant to the WP(C)No.6568/2017 filed, challenging following proceedings:

- i. Notification No. 14/35/2010-DGAD dated 01.06.2012 (original investigation findings: EU, Indonesia, Japan and Iran)

- ii. Notification No.15/17/2014-DGAD dated 05.12.2015 (final findings 2nd SSR: China)
 - iii. Notification No. 7/14/2017-DGAD dated 22.09.2017 (initiation of SSR and interim recommendation: EU, Indonesia, Japan and Iran)
166. And consequently, the corresponding Customs Notifications were also challenged:
- i. Notification No.48/2012-Customs (ADD) dated 08.10.2012
 - ii. Notification No.2/2016-Customs(ADD) dated 28.01.2016
 - iii. Notification No.47/2017-Customs (ADD) dated 06.10.2017
167. The Authority notes that Notifications No.48/2012-Customs (ADD) dated 08.10.2012, Notification No.2/2016-Customs(ADD) dated 28.01.2016, Notification No.47/2017-Customs (ADD) dated 06.10.2017 have since expired by efflux of time.
168. GSFC and Union of India filed Writ Appeals No. 11/2020 and 12/2020 before Division Bench against the Judgment & Order dated 26.08.2019 passed in connection with W. P. (C) No.6568/2017. The writ appeal filed by the GSFC seeking leave to file appeal was dismissed, though granted liberty to seek permission for intervention in the writ appeal filed by the Union of India. Writ Appeal filed by Union of India (i.e., DGTR) was withdrawn with a liberty to challenge the order passed in Review Petition No.9/2020 as well. The Union did not file fresh Writ appeal.
169. The Authority notes that the directions of the Hon'ble High Court were issued in the context of the specific notifications challenged in WP(C) No. 6568/2017, all of which have since lapsed. The present case is a fresh investigation, based on a different period of investigation and a different record, in which the Authority is required to discharge its obligations under Rules 7 and 16 with reference to the information on the record of this investigation. The contentions of Century Plyboards (India) Ltd. and other interested parties in the present investigation are examined below with regard to disclosure of normal value/export price/non-injurious price.

170. Rule 7(1) of the Anti-Dumping Rules provides as follows:

“Confidential information- (1) *Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.*”

(2) *The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.*

(3) *Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalised or summary form, it may disregard such information.*

171. The non-obstante clause in Rule 7(1) makes it clear that the Authority is obligated to maintain confidentiality while performing its functions under Rule 6(2) [public notice to known exporters], Rule 6(3) [providing a copy of the application to known exporters and governments of exporting countries], Rule 6(7) [obligation to make available only such evidence as is presented by interested parties], Rule 12(2) [public notice with preliminary findings], Rule 15(4) [notice of acceptance of undertaking] and Rule 17(4) [publishing of final findings]. It is clear that the obligation of confidentiality permeates the entire Anti-Dumping Rules. This arises from India’s treaty obligations under Articles 6.5.1, 6.5.2 and 12.2.2 of the Agreement on the Implementation of Article VI of General Agreement on Tariffs and Trade (the “WTO Anti Dumping Agreement”) which emphasize the importance of maintaining confidentiality.

172. *Article 6.5 of WTO Agreement on Anti Dumping provides as under*

6.5 Any information which is by nature confidential (for example, because its disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor or because its disclosure would have a significantly adverse effect upon a person supplying the information or upon a person from whom that person acquired the information), or which is provided on a confidential basis by parties to an investigation shall, upon good cause shown, be treated as such by the authorities. Such information shall not be disclosed without specific permission of the party submitting it. [footnote omitted]

6.5.1 The authorities shall require interested parties providing confidential information to furnish non-confidential summaries thereof. These summaries shall be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information submitted in confidence. In exceptional circumstances, such parties may indicate that such information is not susceptible of summary. In such exceptional circumstances, a statement of the reasons why summarization is not possible must be provided.

6.5.2 If the authorities find that a request for confidentiality is not warranted and if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, the authorities may disregard such information unless it can be demonstrated to their satisfaction from appropriate sources that the information is correct. [footnote omitted]

173. Article 6.5 of WTO Agreement on Anti Dumping provides that confidential information which would create significant competitive advantage to a competitor and has adverse effect on the person disclosing it shall not be disclosed without the permission of the person providing the information. The Authority notes that statute and statutory rules must be interpreted according to India's Treaty obligations. Anti-Dumping Rules must, therefore, be interpreted in light of WTO Agreement as held by Hon'ble Supreme Court in the matter of *Commr. of Customs v. G.M. Exports*, (2016) 1 SCC 91. **Relevant extract is reproduced below**

"...23. A conspectus of the aforesaid authorities would lead to the following conclusions:

(1) Article 51(c) of the Constitution of India is a directive principle of State policy which states that the State shall endeavour to foster respect for international law and treaty obligations. As a result, rules of international law which are not contrary to domestic law are followed by the courts in this country. This is a situation in which there is an international treaty to which India is not a signatory or general rules of international law are made applicable. It is in this situation that if there happens to be a conflict between domestic law and international law, domestic law will prevail.

(2) In a situation where India is a signatory nation to an international treaty, and a statute is passed pursuant to the said treaty, it is a legitimate aid to the construction of the provisions of such statute that are vague or ambiguous to have recourse to the terms of the treaty to resolve such ambiguity in favour of a meaning that is consistent with the provisions of the treaty.

(3) In a situation where India is a signatory nation to an international treaty, and a statute is made in furtherance of such treaty, a purposive rather than a narrow literal construction of such statute is preferred. The interpretation of such a statute should be construed on broad principles of general acceptance rather than earlier domestic precedents, being intended to carry out treaty obligations, and not to be inconsistent with them.

(4) In a situation in which India is a signatory nation to an international treaty, and a statute is made to enforce a treaty obligation, and if there be any difference between the language of such statute and a corresponding provision of the treaty, the statutory language should be construed in the same sense as that of the treaty. This is for the reason that in such cases what is sought to be achieved by the international treaty is a uniform international code of law which is to be applied by the courts of all the signatory nations in a manner that leads to the same result in all the signatory nations.

48. We have already held that this would fly in the face of all the judgments referred to in paras 15 to 22 hereinabove, and Principles (3) and (4) of para 23 of this judgment which speak of how domestic legislation must be construed when it is made in furtherance of an international treaty. In particular, in the facts of these cases, it would also ignore the effect of Article 18.4 of the WTO Agreement, which expressly states that all the signatory member nations have to make their laws

“conform” to the provisions of the WTO Agreement, something which the Central Government itself states in its internet website which deals with the law of anti-dumping...”

174. The Authority further notes that Hon’ble Supreme Court in the matter of **Union of India & Anr. Vs M/s. Meghmani Organics Ltd., (2016) 10 SCC 28** held that DA must not disclose the information which are already held by him to be confidential by duly accepting such a claim of any of the parties providing the information. While taking precautions not to disclose the sensitive confidential information, the DA can, by adopting a sensible approach indicate reasons on major issues so that parties may in general terms have the knowledge as to why their case or objection has not been accepted in preference to a rival claim. Relevant extract is reproduced below.

30. We may only explain here that while dealing with objections or the case of the parties concerned, the DA must not disclose the information which is already held by him to be confidential by duly accepting such a claim of any of the parties providing the information. While taking precautions not to disclose the sensitive confidential information, the DA can, by adopting a sensible approach indicate reasons on major issues so that the parties may in general terms have the knowledge as to why their case or objection has not been accepted in preference to a rival claim. But in the garb of unclaimed confidentiality, the DA cannot shirk from its responsibility to act fairly in its quasi-judicial role and refuse to indicate reasons for its findings. The DA will do well to remember not to treat any information as confidential unless a claim of confidentiality has been made by any of the parties supplying the information. In cases where it is not possible to accept a claim of confidentiality, Rule 7 hardly leaves any option with the DA but to ignore such confidential information if it is of the view that the information is really not confidential and still the party concerned does not agree to its being made public. In such a situation the information cannot be made public but has to be simply ignored and treated as non est.

175. The Authority further notes that Honble Supreme Court in the matter of **Sterlite Industries (India) Ltd. v. Designated Authority, (2006) 10 SCC 386** held that confidentiality under Rule 7 is not something which must be automatically assumed. Of

course in such cases there is need for confidentiality as otherwise trade competitors would obtain confidential information which they cannot otherwise get. But whether information supplied is required to be kept confidential has to be considered on a case to case basis. It is for the Designated Authority to decide whether a particular material is required to be kept confidential. Even where confidentiality is required, it will always be open for the appellate authority, namely, CEGAT to look into the relevant files. Relevant extract is reproduced below;

3. In our view, it is not necessary for us to go into the merits of this matter as we propose to send the matter back to CEGAT after laying down certain guidelines. From what has been argued before us, it appears that in pursuance of Rule 7 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Designated Authority is treating all material submitted to it as confidential merely on a party asking that it be treated confidential. In our view, that is not the purport of Rule 7. Under Rule 7, the Designated Authority has to be satisfied as to the confidentiality of that material. Even if the material is confidential the Designated Authority has to ask the parties providing information, on confidential basis, to furnish a non-confidential summary thereof. If such a statement is not being furnished then that party should submit to the Designated Authority a statement of reasons why summarisation is not possible. In any event, under Rule 7(3) the Designated Authority can come to the conclusion that confidentiality is not warranted and it may, in certain cases, disregard that information. It must be remembered that not making relevant material available to the other side affects the other side as they get handicapped in filing an effective appeal. Therefore, confidentiality under Rule 7 is not something which must be automatically assumed. Of course in such cases there is need for confidentiality as otherwise trade competitors would obtain confidential information which they cannot otherwise get. But whether information supplied is required to be kept confidential has to be considered on a case-to-case basis. It is for the Designated Authority to decide whether a particular material is required to be kept confidential. Even where confidentiality is required, it will always be open for the Appellate Authority, namely, cegat to look into the relevant files.

176. Authority notes that a harmonious construction of Rule 6, 7, 12, 15, 16 and 17 makes it evident that it is incumbent on the Designated Authority to disclose full explanation of the reasons for the methodology used in the establishment of the normal value, export price, dumping margin and non-injurious price and not necessarily the absolute figures themselves. The Authority further notes that the far-reaching consequence of disclosure of information specifically prohibited under Rule 7 of the Rules and Article 6.5 of the WTO Agreement may invite legal action by the concerned WTO Member before the WTO against Government of India and prevent cooperation and responses from foreign producers and the proceeding conducted by Authority will be termed as in violation of WTO agreement itself. Further, such disclosures may result in litigations by the interested parties (including domestic industry) before the Indian courts.
177. The Authority notes though the non obstante clause in Rule 7(1) does not expressly refer to Rule 16, yet, on a harmonious reading of the Rules, it applies equally to the disclosure under Rule 16. An information that cannot be disclosed either at the stage of initiation or during the course of the investigations or at the stage of final determination, if disclosed at the stage of Rule 16, will defeat the very purpose for which confidentiality has been granted under Rule 7. It is for the reason that not only disclosure statement is issued to all the interested parties, de-facto it becomes a public document forever and shall be available to any party in future. The Authority further notes that information which cannot be disclosed in the final findings cannot be disclosed at an earlier stage either. Therefore, in particular, normal value, export price, non-injurious price cannot be disclosed by the Authority even through disclosure statement. In the view of the Authority, it is precluded from disclosing the absolute figures of the normal value, export price, dumping margin and non-injurious price at any stage of the investigation, and the same have accordingly been disclosed in range. Otherwise, it would lead to a situation wherein the Authority would fall under an obligation to disclose and make available to all parties, with competing or conflicting interests, business related confidential information of a company participating in the investigations, particularly when such company has not publicly disclosed such information and claimed it confidential and after examining the same in terms of Rule 7, the Authority accepted the claim of confidentiality. The disclosure of confidential information under Rule 16 in the form of normal value, export price, dumping margin and non-injurious price determined by the Designated Authority at the time of issuing disclosure statement would frustrate the object of Rule 7. The Authority

also notes that while issuing the final findings, Authority is allowed to treat such information as confidential.

178. As regards the contention that the price undercutting table in the disclosure statement disclosed neither the landed price, nor the NSR, nor the amount of undercutting, nor any range, and stated only “Negative”, the Authority notes as follows. Actual figure of NSR is confidential information as claimed by the domestic industry and accepted by Authority. The landed price has been determined from the transaction-wise import data received from DG Systems and has now been disclosed at para 90 of these final findings, along with the range of price undercutting. The Authority notes that the degree of price undercutting (marginal) has been disclosed in the para 92 of the disclosure statement. The Authority has held that *“It is seen that the landed price of imports from the subject country during the period of investigation is **marginally** higher than the net sales realisation of the domestic industry. Accordingly, the price undercutting from the subject country is marginally negative.”* The Authority notes that Annexure-II to the Rules requires the Authority to examine, with regard to the effect of the dumped imports on prices, whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred, to a significant degree. The disclosure of the landed price and of the range of price undercutting enables the interested parties to understand the extent of price undercutting, while protecting the net sales realisation of the sole domestic producer. The Authority notes in this regard that there may be injury to the domestic industry even if price undercutting is negative. The Authority stated in the disclosure and present final findings how the price undercutting has been determined and also shown the same in a tabular form for appreciation of the interested parties.
179. As regard the disclosure of constructed normal value, the net export price and the dumping margin in US\$ per MT, Authority notes that normal value and export and dumping margin in absolute number is confidential, as examined above. Methodology for construction of normal value and export price and dumping margin range have been disclosed in the final findings. The normal value in range is between US\$ 1,000–1,100 per MT,

180. As regard the disclosure of NIP, Authority notes that absolute number of NIP is confidential, as examined above. Methodology for determination of NIP has been disclosed in the disclosure statement in detail. The NIP is the parameter on the basis of which the injury margin is determined, and the injury margin has been disclosed in range. The non-injurious price however in range is between US\$ 1,100–1,200 per MT,
181. As regards the disclosure of demand, the Authority considers that the information relating to demand was provided by the applicant on confidential basis. Further, Authority has determined demand on the basis of sales of the domestic industry and import volumes quantified by the Authority on the basis of DG Systems data. The Authority considers that since demand is determined based on domestic sales, and same has been claimed confidential by the applicant, the Authority could not have disclosed the same. Since the domestic industry is the sole producer in India and the import volumes have been disclosed, disclosure of the demand in absolute terms would reveal the domestic sales of the domestic industry. The information on trend of historical demand was provided by the domestic industry to the interested parties in its economic interest questionnaire. The interested parties have not made any meaningful submissions on the claims of the domestic industry. Therefore, no prejudice is caused to the interested parties by not reporting the same in the disclosure statement. The Authority further notes that this information is not relevant to determination of dumping, injury or causal link. The domestic industry has provided this information in the context of its claim on public interests. Notwithstanding, the Authority has disclosed the demand in range at para 85 of these final findings.
182. As regards the data produced at paragraph 132, the Authority considers that the information is based on the user questionnaire response, including the response filed by Century Plyboard India Limited. The Authority notes that the Century Plyboard India Limited has itself claimed information as confidential and has now demanded that such information should be disclosed by the Authority.
183. As regards the information on per unit cost of sales and selling price for each year of the injury period, the information has been disclosed in trend. The applicant had claimed confidentiality over this information and had provided this information in trend. The Authority considers that the information constitutes business sensitive information

regarding cost structure of the domestic industry and therefore, there is sufficient good cause for treating this information as confidential.

L. CONCLUSION

184. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties, and the facts available before the Authority as recorded in the above findings, the Authority concludes as follows:

- i. The product under consideration is “Melamine”, and the subject goods produced by the domestic industry are like articles to the product imported from the subject country.
- ii. The applicant, Gujarat State Fertilisers and Chemicals Limited, constitutes the domestic industry within the meaning of Rule 2(b) and satisfies the requirements of standing under Rule 5(3) of the Rules.
- iii. The normal value for the subject country has been determined in accordance with paragraph 7 of Annexure I to the Rules. The subject goods have been exported to India from the subject country at dumped prices, and the dumping margins are positive and significant.
- iv. The imports of the subject goods from the subject country have increased significantly in absolute terms, from 60,648 MT in 2021-22 to 1,14,357 MT in the period of investigation, and in relation to production and consumption in India.
- v. The dumped imports have depressed the prices of the domestic industry to a significant degree. The landed price of the subject imports declined by 49% while the cost of sales of the domestic industry declined by 2%, and the domestic industry was compelled to reduce its selling price below its cost of sales.
- vi. The domestic industry has suffered material injury, as evidenced by the decline in its production, capacity utilisation, domestic sales and market share, and the deterioration in its profitability and return on capital employed, which turned negative, while cash profits, though marginally positive during the period of investigation, remained insufficient to sustain the operations of the domestic industry.
- vii. The other known factors have been examined and do not break the causal link. The material injury to the domestic industry has been caused by the dumped imports from the subject country.

viii. The injury margins are lower than the dumping margins for all the producers/exporters.

ix. The imposition of anti-dumping duty is not against the public interest.

185. The Authority, therefore, considers it appropriate to recommend the imposition of definitive anti-dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.

M. RECOMMENDATION

186. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties, and adequate opportunity was given to the domestic industry, the producers/exporters, the importers/users and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and causal link. Having determined a positive dumping margin, material injury to the domestic industry and a causal link between the dumped imports and the injury, the Authority is of the view that imposition of definitive anti-dumping duty is required to offset the dumping and the injury.

187. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury. Accordingly, the Authority, in terms of Rule 17(1)(b) of the Rules, recommends imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods originating in or exported from the subject country, for a period of five years from the date of notification to be issued by the Central Government in this regard, equal to the amount mentioned in column 7 of the duty table below:

DUTY TABLE

SN	Heading	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2933 61 00	Melamine*	China PR	Any country including China PR	Huaqiang Chemical Group Stock Co., Ltd.	282	MT	US\$

SN	Heading	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	2933 61 00	Melamine*	China PR	Any country including China PR	Xinjiang Yihua Chemical Industry Co., Ltd.	245	MT	US\$
3	2933 61 00	Melamine*	China PR	Any country including China PR	Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd.	248	MT	US\$
4	2933 61 00	Melamine*	China PR	Any country including China PR	Xinji Jiuli Chemical Co., Ltd.	257	MT	US\$
5	2933 61 00	Melamine*	China PR	Any country including China PR	Xinji Jiuyuan Chemical Co., Ltd.	257	MT	US\$
6	2933 61 00	Melamine*	China PR	Any country including China PR	Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical Co., Ltd.	257	MT	US\$
7	2933 61 00	Melamine*	China PR	Any country including China PR	Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co., Ltd.	257	MT	US\$
8	2933 61 00	Melamine*	China PR	Any country including China PR	Xinjiang Jinjiang Chemical Industry Co., Ltd.	257	MT	US\$

SN	Heading	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	2933 61 00	Melamine*	China PR	Any country including China PR	Weifang Changrun Chemical Co., Ltd.	257	MT	US\$
10	2933 61 00	Melamine*	China PR	Any country including China PR	Any producer other than those mentioned at S. No. 1 to 10	403	MT	US\$
11	2933 61 00	Melamine*	Any country other than China PR	China PR	Any	403	MT	US\$

**The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration.*

188. The application of the individual duty rates specified for the companies mentioned in the above duty table shall be conditional upon presentation to the customs authorities of a valid commercial invoice, on which shall appear a declaration dated and signed by an official of the entity issuing such invoice, identified by his/her name and function, drafted as follows:

'I, the undersigned, certify that the (volume) of Melamine sold for export to India covered by this invoice was manufactured by (company name and address) in China PR. I declare that the information provided in this invoice is complete and correct.'

189. If no such invoice is presented, the duty specified for "any other producer" in the duty table shall apply. This requirement is without prejudice to the verification procedures independently undertaken by the customs authorities under the applicable customs law and regulations.

Landed value

190. The landed value of imports for the purpose of these findings shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962, and includes all duties of customs except duties levied under Sections 3, 8B, 9, 9A, 9B and 9C of the Customs Tariff Act, 1975.

Further procedure

191. An appeal against the order of the Central Government arising out of these findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with Section 9C of the Act.

AMITABH KUMAR, Designated Authority